पंचम माला, खंड 23, अंक 5, शुक्रवार, 23 फरवरी, 1973/4 फाल्गुन, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIII No. 5, Friday, February 23, 1973/Phalguna 4, 1894 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price : Two Rupees*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिय गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

## विषय सूची/CONTENTS

अंक 5 शुक्रवार, 23 फरवरी, 1973/4 फाल्गुन, 1894 (शक)

*No. 5 Friday, February 23, 1973/Phalguna 4, 1894 (Saka)*

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 61 | हिन्दुस्तान एरोनाटिकस लिमिटेड द्वारा दिऐ गये एवरो विमानों को इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा लेने से इन्कार करना । | Indian Airlines Refusal to take Delivery of Avro Planes offered by HAL | 1—5 |
| 62 | रूस और अन्य समाजवादी देशों में भारतीय चाय बोर्ड के कार्यालय | Offices of Tea Board in USSR and other Socialist Countries . | 5—6 |
| 63 | जूता उद्योग में संकट | Crisis in Shoe Industry . | 7—9 |
| 64 | बंगला देश के साथ व्यापार | Trade with Bangladesh . | 10—13 |
| 65 | सूखा राहत कार्यों के लिये महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Maharashtra for Drought Relief Works | 13—18 |
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| 66 | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी निवेश सम्बन्धी पद्धति का सर्वेक्षण | Survey by RBI on the Pattern of Investment of Scheduled Commercial Banks. . . | 19 |
| 67 | कीमतों में वृद्धि | Rise in Prices . . | 20 |
| 68 | राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मेवों के व्यापार की दिशा में हुई प्रगति | Progress made in canalising Dry Fruit Trade through STC . . | 20 |
| 69 | एशिया 72 में विभिन्न देशों द्वारा अपने स्टालों में प्रदर्शित वस्तुओं के लिये मंजूर की गई विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange Sanctioned for Articles Displayed by various Countries in their Stalls at Asia' 72 . . | 21 |


किसी नाम पर अंकित यह—+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign — + marked above the name of a member indicated that Question was actually asked on the floor of the House by him.

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 70 | टाटा, बिडला और साह जैन उद्योग समूह द्वारा कम राशि तथा अधिक राशि के बीजक बनाना | Under invoicing and over invoicing by Tatas, Birlas and Group of Sahu-Jain Industries . | 21—22 |
| 71 | केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में अधिकारियों का एक स्थान पर रहना | Stay of Officers in Central Excise and Customs Department at one place . . . | 23 |
| 72 | विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये भारतीय निर्माताओं का सार्थ संघ | Consortium of Indian Manufacturers for Setting up Joint Ventures Abroad . . . | 23 |
| 73 | भारत की विदेशी मुद्रा निधि में कमी | Decline in India's Foreign Exchange Reserves . | 24 |
| 74 | सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Gujarat for Drought Relief Works . . | 24 |
| 75 | प्राकृतिक रबर का उत्पादन और इसकी आवश्यकता | Production and Requirements of Natural Rubber . . . | 25 |
| 76 | उपदान (ग्रेच्युटी) को आयकर से छूट देना | Exemption of Gratuity from Income-Tax . | 25 |
| 77 | पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात में कमी | Decline in Exports toEast European Countries | 25 |
| 78 | आल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिऐशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन | Memorandum submitted by All India Bank Employees Association . | 25 |
| 79 | वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋण | Advances made by Commercial Banks to Agricultural Sector . . | 26 |
| 80 | रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की जांच के लिये की गई मांग | Demand made for Inquiry into the working of Reserve Bank of India | 26—27 |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | | |
| 601 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा कमाया गया लाभ | Profit earned by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 27 |
| 602 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में मंहगाई भत्ते को मकान किराया भत्ते में परिवर्तित करना | Conversion of Dearness Allowance into House Rent Allowance in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 28 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 603 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान | Gratuity to the Employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . | 28 |
| 604 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली संबंधी चान्दीवाला पंचाट | Chandiwalla Award in relations to Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 28 |
| 605 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना | Application of Second Pay Commission Recommendation in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 29 |
| 606 | नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी | Theft in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . . | 29 |
| 607 | खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिये निधियों का आवंटन तथा व्यय | Allotment and Expenditure of Funds in KVIC | 30 |
| 608 | नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में मैनेजर का पद | Post of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 30 |
| 609 | नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को वस्त्र धुलाई भत्ता | Washing Allowance to the Staff of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 30—31 |
| 610 | आपसी हित के मामलों पर फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत | Discussions with Foreign Minister of France on Bilateral Issues . . | 31 |
| 611 | पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा उद्योग को सहायता | Relief to West Bengal Textile Industry . . | 31—32 |
| 612 | संयुक्त भारत-बंगलादेश पटसन मूल्य नीति | Joint Indo-Bangladesh Jute Price Policy . | 32 |
| 613 | रुपये के मूल्य में कमी | Depreciation of value of rupee . . . | 32 |
| 614 | मूल्य वृद्धि के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें | Pay Commission's recommendations on Price Rise . . | 33 |
| 615 | रूस से सामान का आयात | Import of goods from U.S.S.R. . . . | 33 |
| 616 | 'दैनिक अवंतिका' के बारे में जांच | Inquiry in respect of 'Daily Avantika' . | 33—34 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 617 | एयर इंडिया के परिचालन व्यय में वर्ष 1970-71 की तुलना में वर्ष 1971-72 के दौरान हुई वृद्धि | Increase in operational expenditure of Air India in 1971-72 in comparison to 1970-71 | 34 |
| 618 | मदुरे स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी द्वारा अन्य पार्टों के माल का पकड़ा जाना | Seizure of Third Party Goods by Collectorate of Central Excise, Madurai . . . | 34 |
| 619 | उत्पादन तथा सीमा शुल्क विभाग में तलाशी लेने वाली महिलायें | Lady Searchers in the Excise and Customs Department . . | 35 |
| 620 | एशिया, 1972 के दौरान लघु उद्योगों के उत्पादों के लिये नये व्यापार करारों पर हस्ताक्षर | New Trade Agreements for the products of Small Industries signed during Asia '72 . | 35 |
| 621 | निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा की गई भर्ती | Recruitment made by Export Inspection Council . . . | 35 |
| 623 | स्कूटर और कारें खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किये गये ऋण | Loan sanctioned to Central Government Employees for purchase of scooters and cars . | 36 |
| 624 | युगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई | Supply of Wagons to Yugoslavia . . | 36 |
| 625 | पोलैण्ड द्वारा वैगनों का क्रय | Wagons to Poland . | 37 |
| 626 | बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता | World Bank Assistance for Irrigation Projects in Bihar . . | 37 |
| 627 | राजस्थान नहर के लिये विश्व बैंक से ऋण | Loan from World Bank for Rajasthan . . | 37 |
| 628 | भारतीय सूती कपड़ा उद्योग द्वारा स्वैच्छिक निर्यात | Voluntary Export by India's Cotton Textile Industry . . . | 38 |
| 629 | कृत्रिम रेशों के सम्बन्ध में अनुसंधान | Research in Man made Fibres . . . | 38 |
| 630 | सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता | Assistance to Drought affected States . . | 38—39 |
| 631 | पश्चिम बंगाल और तामिल नाडू में चमड़ा उद्योग | Leather Industry in West Bengal and Tamil Nadu . . . | 40 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 633 | खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के व्यापारिक कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए नियम | Rules for Staff Working on Trade Operation Side in KVIC . . | 40 |
| 634 | बीजापुर तथा गुलवर्ग में बेरोजगार हथकरघा बुनकार | Unemployed Handloom Weavers in Bijapur and Gulbarga . . | 41 |
| 635 | शिल्पियों को रोजगार देने के लिये मैसूर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता | Assistance to Mysore Khadi and Village Industries Board to provide employment to Artisans . | 41—42 |
| 636 | केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली संबंधी मामले | Cases referred to CBI pertaining to Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . | 42 |
| 637 | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी व्यय में वृद्धि | Increase in the Expenditure on account of Pay and Allowances of Central Government Employees . . . | 42 |
| 638 | अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा गोष्ठी | International Textile Seminar . . . | 43 |
| 639 | दिल्ली में वायदा बाजार केन्द्रों पर छापे | Raids on Forward Trading Centres in Delhi . | 43 |
| 640 | पालघाट में रबड़ कारखाना | Rubber Factory at Palghat . . . | 43—44 |
| 641 | मूल्य सूचकांक में वृद्धि | Increase in price Index | 44 |
| 642 | सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया विदेशी माल | Foreign Goods Seized by Customs Authorities . | 45 |
| 643 | औद्योगिक संस्थानों को सरकारी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण | Loans Received by Industrial Establishments from Government Financial Institutions . . . | 46—47 |
| 644 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली का नियन्त्रण किसी अन्य एजेन्सी को हस्तान्तरित करना | Transfer of Control on Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi to other Agency | 48 |
| 645 | खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा (बिहार) के खातों में अनियमितताएं | Irregularities in the Accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sang Darbhanga (Bihar) . . . | 48 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 646 | जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों की गिरफतारी | Arrest of Hoarders and Blackmarketeers . . | 48—49 |
| 647 | चम्बल घाटी में विकास कार्यक्रमों के लिये विश्व बैंक से सहायता | World Bank Aid for Development Programmes in Chambal Valley . . | 49 |
| 648 | स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा राशि | Deposits of Indian Citizens in Swiss Bank . | 49 |
| 649 | पर्यटन वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal to set up a Tourism Finance Corporation . . . | 50 |
| 650 | चाय की किस्म में सुधार | Improvement in the Quality of Tea . . | 50—51 |
| 651 | छोटे तथा कम विकसित चाय बागानों को ऋण | Loans to Small and Under developed Tea Gardens . . . | 51 |
| 652 | बालयोगेश्वर के सामान से बरामद माल को जब्त करने के लिये उसको नोटिस देना | Notice issued to Balyogeshwar for confiscation of goods recovered from his baggage . | 52 |
| 653 | भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते का रद्द किया जाना | Revision of Trade Agreement between India and U.K. . . . | 52—53 |
| 654 | फसलों की खराबी के कारण मूल्य वृद्धि के रोकने में कठिनाई | Difficulty to check rise in prices as a result of failure of crops . . | 53 |
| 655 | इंडियन एयर लाइन्स आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा की गई मांगों पर निर्णय | Decision on Demands put forward by Indian Airlines Officers Association . . . | 54 |
| 656 | अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता | Assistance from International Development Association . . | 54 |
| 657 | एशिया 72 मेले में किये गये व्यापारिक सम्बन्धी सौदे | Business Transactions in Asia 1972 Fair . . | 55 |
| 658 | एशिया 72 के मैदान में एक स्थाई औद्योगिक प्रदर्शनी/मेला बनाये रखने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal to keep a permanent Industrial Exhibition/Fair in the grounds of Asia' 72 . | 55—56 |
| 659 | 1972-73 के दौरान भारत से निर्यात | Exports from India during 1972-73 . | 56—57 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 660 | विदेशी तकनीशनों को आयकर की अदायगी से छूट दिया जाना | Grant of Exemption from payment of Income Tax to Foreign Technicians . . . | 57 |
| 661 | हरियाणा स्थित मारुति एण्ड कम्पनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण दिया जाना | Loan Sanctioned by a Nationalised Bank to Maruti and Co., Haryana . . . | 58 |
| 662 | जापान को किये गये लौह अयस्क के निर्यात से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को गत तीन वर्षों के दौरान हुई हानि | Loss suffered by MMTC due to Iron Ore Export to Japan during the last three years . | 58—59 |
| 663 | डाक्टरों, वकीलों तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले परामर्शदाताओं द्वारा आय कर का अपवंचन | Evasion of Income Tax by Doctors, Advocates and Consultants in various Spheres . . | 59 |
| 664 | दिल्ली के फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयकर की बकाया धन राशि | Arrears of Income Tax due from the Film Distributors and Cinema owners of Delhi . | 59—60 |
| 666 | बड़े उद्योगपतियों द्वारा सूती कपड़े के निर्यात सम्बन्धी वायदे | Textile Export Commitments by Big Industrialists . . | 60—61 |
| 667 | बिहार में कपड़े की उचित मूल्य की दुकानें | Fair Price Cloth Shops in Bihar . . . | 61 |
| 668 | भारत से पोलैंड को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात | Export of Consumer Goods from India to Poland . . | 61—62 |
| 669 | श्रिम्पस, लाबस्टर्स तथा गहरे समुद्र की मछलियों का आयात और नर्यात | Export and Import of Shrimps, Lobsters and Deep Sea Fish . . | 62 |
| 670 | विदेशी मुद्रा की आय | Foreign Exchange Earning . . . | 63 |
| 671 | भारत और बंगलादेश के बीच परस्पर व्यापार | Two way Trade between India and Bangladesh. | 63 |
| 672 | विदेशी बैंकों में जमा राशि | Deposits in Foregin Banks . . . | 64 |
| 673 | मेवों के व्यापार के लिये एक अलग निगम | Separate Corporation for Dry Fruit Trade | 64—65 |
| 674 | लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रतिवेदन | Survey Reports under Lead Bank Scheme . | 65 |

| तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 675 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों की बैठक में लिया गया निर्णय | Decision taken in the Meeting of Chairman and Managing Directors of Public Sector Banks . . . | 65—66 |
| 676 | ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समदाय में शामिल होने के बाद भारत का यूरोप तथा ब्रिटेन के साथ व्यापार | India's Trade with Europe and U.K. after U.Ks entry into EEC | 66 |
| 677 | भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार सन्तुलन | Balance of Trade between India and the EEC . | 67 |
| 678 | 16—1—73 को दिल्ली हवाई अड्डे के एक हैंगर के निकट एयर इंडिया के सामान चढ़ाने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच | Enquiry into the death of Air India Loader near a Hanger at Delhi Airport on 16-1-1973 . | 67 |
| 679 | पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के प्रयास | Efforts to increase Foreign Exchange Earnings through Tourist Trade | 68—69 |
| 680 | इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में कमी | Decline in Export of Engineering Goods . . | 70 |
| 681 | अभ्रक वस्तुओं पर निर्यात शुल्क | Export duty on Mica Goods . . | 70—71 |
| 682 | केन्द्रीय अध्ययन दल की तमिलनाडु की यात्रा | Visit by Central Study Team to Tamilnadu . | 71 |
| 683 | पटना के फुलवारी शरीफ में इलाहाबाद बैंक की शाखा का खोला जाना | Opening of branch of Allahabad Bank in Phulwari Sharif, Patna | 72 |
| 684 | मुद्रा स्फति को रोकने के लिये मजूरी स्थिर करने की मांग | Demand for Wage Freeze to curb Inflation . | 72 |
| 685 | राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति | Credit Policy of Nationalised Banks . . | 72—73 |
| 686 | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले कमजोर वर्ग की अपेक्षा बड़े व्यापार गृहों को कम ब्याज पर ऋण देना | Grant of Loan by Nationalised Banks to Big Business Houses at Lower rates of interest than that charged from weaker Sections . . | 73—74 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 687 | स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों के कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध संरक्षण | Enjoying of Protection against Victimisation by Employees of subsidiary Banks of State Bank of India . . | 74 |
| 688 | निर्यात के लिये रुस के साथ व्यापार करार | Trade Agreement with USSR for Export . | 75 |
| 689 | दिसम्बर, 1972 के दौरान इंडियन एयर लाइन्स को अपनी उड़ानों से हुआ लाभ | Operational profit made by Indian Airlines during December, 1972 . | 75 |
| 690 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों पर रियायती व्याज दर | Concessional Interest Rates on Advances made by Public Sector Banks . . | 76 |
| 691 | जकार्ता में 16-6-73 से 28-7-73 तक चलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के सम्बन्ध में निर्णय | Decision regarding participation in International Fair at Jakarta from 16-6-1973 to 28-7-1973 . . . | 76 |
| 692 | ग्रीस के साथ व्यापार करार | Trade Agreement with Greece . . . | 77 |
| 693 | एशिया 72 मेले में कला प्रदर्शनी | Art Exhibition In Asia '72 . . . | 77 |
| 694 | स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा लेबनान के बाजार में ऋण लेना | Floating of loan by the State Bank of India in Lebanese Market . . . | 78 |
| 695 | अकाल तथा सूखा राहत सम्बन्धी कार्यों के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Rajasthan for Famine and Drought Relief Works . . . | 79 |
| 696 | बंगला देश की सरकार की ओर से करेन्सी नोटों का छापना | Printing of Currency Notes on behalf of Government of Bangladesh . . . | 79 |
| 697 | एशिया 72 मेले में नागरिक उड्डयन विभाग के मंडप में प्रदर्शित एक जैन साधु की पत्थर की पुरानी अर्ध-प्रतिमा का बरामद किया जाना | Recovery of an Antique Stone Bust of a Jain Monk displayed in Civil Aviation Pavilion in Asia '72 Fair . . | 80 |
| 698 | नियंत्रित कपड़े का न उठाया गया स्टाक | Unlifted Stocks of controlled cloth . . | 81 |

अतां० प्र० संख्या


| U. S. Q. Nos | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 699 | भारत के ग़ैर-परंपरागत उत्पादों के निर्यात में गिरावट | Fall in the export of non-traditional Indian Products . . . | 81 |
| 700 | श्री लंका को श्रौर वहां से माल की तस्करी | Smuggling of Goods to and from Sri Lanka . | 81—82 |
| 701 | मध्य प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा | Visit by Central Team to Drought affected Areas in Madhya Pradesh . | 82 |
| 702 | श्रायकर श्रधिकारियों द्वारा विरोध दिवस मनाया जाना | Observation of Protest Day by Income Tax Officers . . . | 83 |
| 703 | श्रायकर की बकाया राशि का बट्टे खाते डाला जाना | Writing off Arrears of Income Tax . . | 83—84 |
| 704 | भारत के वार्षिक निर्यात लक्ष में गिरावट | Fall in India's Annual Export Target . . | 84—85 |
| 705 | राज्य व्यापार निगम द्वारा सोवियत संघ को जूतों की सप्लाई | Supply of Shoes by STC to USSR . . . | 85 |
| 706 | लघु उद्योगों के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ श्राई० डी० ए० से ऋण | Loan from International Development Association for Development of Small Scale Industries . . . | 85 |
| 707 | भूमिहीन लोगों की श्रावश्यकताश्रों के सम्बन्ध में योजना तैयार करने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को श्रनुदेश | Instructions to Public Sector Banks to prepare scheme in regard to Requirements of Landless people . . | 86 |
| 708 | भारतीय श्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा छोटे तथा बड़े उद्योगों को दी गई धन राशि | Amount given to Small and Big Industries by Finance Corporation of India . . . | 86 |
| 709 | पांच बीघे की जोत वाले किसानों को दिये गए ऋण | Loan Advanced to Farmers having land Holding of Five Bighas . | 87 |
| 710 | बड़े उद्योग-गृहों के प्रतिनिधियों को विदेश यात्राश्रों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन | Allocation of Foreign Exchange for Visits to Foreign Countries to Representatives of Big Industrial Houses | 87 |
| 711 | तीसरे वेतन श्रायोग की रिपोर्ट का पश किया जाना | Submission of Report by Third Pay Commission | 87—88 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 712 | निर्यात सम्बर्धन परिषद् और वाणिज्य मंडल प्रतिनिधियों की बैठक | Meeting of Representaives of the Export Promotion Council and Chambers of Commerce . . | 88—89 |
| 713 | पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में गोष्ठी | Seminar on Trades with East Europe . . | 89 |
| 714 | आयात के लिये सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता | Trade agreement with USSR for Import . | 90 |
| 715 | वस्त्रों के बारे में विचार गोष्ठी | Seminar on Textiles . | 90 |
| 716 | स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में हरिजनों के विरुद्ध कथित भेदभाव | Alleged Discrimination against Harijans in the SBI New Delhi . | 91 |
| 717 | नारियल और सूपारी का आयात | Import of Coco-Nut and Areca Nut . . | 91—92 |
| 718 | वांचू समिति द्वारा काले धन की मात्रा आंकन का तरीका | Method of Computing Quantum of Black Money by Wanchoo Committee. . . | 93 |
| 719 | जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता | Financial Assistance given by LIC to various States . . . | 93—95 |
| 720 | विदेशी पूंजी का विनियोजन | Foreign Investment . | 95—96 |
| 721 | लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, लि० कानपुर का अधिग्रहण | Taking over of Laxmi Rattan Cotton Mills Ltd., Kanpur . . | 97 |
| 722 | बांचु समिति की सिफारिशें | Recommendations of Wanchoo Committee . | 97 |
| 723 | वाणिज्य मंत्री की यूरोपीय देशों की यात्रा | Visit of the Minister of Commerce to European Countries . . . | 97—98 |
| 724 | कीमतों म वृद्धि के कारण पेंशनरों को अन्तरिम सहायता | Interim Relief to Pensioners as a result of Rise in Prices . . | 98 |
| 725 | कृषि आय कर के संबन्ध में के० एन० राज समिति का प्रतिवेदन | Raj Committee Report on Agricultural Income Tax . . . | 98—99 |
| 726 | सरकारी कम्पनियों में लगी पूंजी के बारे में रिजर्व बक आफ इंडिया द्वारा किया गया अध्ययन | Study made by the Reserve Bank of India in Finances Government Companies . | 99—100 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 727 | काले धन को समाप्त करने के लिये विधेयक | Bill to Curb Black Money | 100 |
| 728 | राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट करना | Overdrafts by States | 100—101 |
| 729 | संयुक्त भारत-ब्रिटेन आर्थिक आयोगों की स्थापना का प्रस्ताव | Proposal to Establish Joint Indo-British Economic Commissions | 101 |
| 730 | आयकर के लिये पत्नी और पति की आय को मिलाना | Clubbing of Incomes of Wife and Husband for Income Tax | 101 |
| 731 | विमान से फोटो लेने के लिये 12 नवम्बर, 1972 को इंडियन एयर लाइन्स के विमान द्वारा बम्बई से दिल्ली यात्रा कर रहे एक विदेशी के विरुद्ध शिकायत | Complaint against a Foreign Travelling from Bombay to Delhi by I. A. Flight on 12th November, 1972 for taking Photographs from the Aircraft | 102 |
| 732 | जून, 1972 में हुई हड़ताल के परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि को बहाल करना | Restoration of Increments of Reserve Bank Employees suspended as a result of strike of June, 1972 . . | 102—103 |
| 733 | गैर-सरकारी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया निवेश | Investment of LIC in Public Limited Companies in the Private Sector . . . | 103 |
| 734 | राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का मल्यांकन | Assessment made into the working of Nationalised Banks . . . | 103 |
| 735 | छोटे उद्योगों तथा कृषि प्रयोजनों के लिये उदारतापूर्वक ऋण देने के बारे में बैंकों को निदेश | Directions to Banks re-Liberalising Credits for Small Industries and for Agricultural Purposes . . . | 104 |
| 736 | पटसन उद्योग में संकट | Crisis in Jute Industry | 104—105 |
| 737 | कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में संकट | Crisis in Kandla Free Trade Zone . . | 105 |
| 738 | अनुसूचित बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी प्रणाली | System of Recruitment to the various posts of Scheduled Banks . | 105—106 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 739 | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता | Assistance from World Bank for Projects in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Haryana | 106 |
| 740 | बीस रुपये वाले नोटों की कमी | Shortage of 20 Rupee Notes . . . | 106 |
| 741 | हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें | Branches of Nationalised Banks Working in various Districts of Himachal Pradesh . . | 107 |
| 742 | भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा ऋण मुक्ति | Debt relief from Aid India consortium . . | 108 |
| 743 | स्पेन के साथ आर्थिक सहयोग | Economic Co-operation with Spain . . | 108 |
| 744 | बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति | Persons arrested for cheating in Banks . . | 109 |
| 745 | बड़ौदा में छोटी टकसाल का पकड़ा जाना | Seizure of Mini Mint in Baroda . . . | 109 |
| 746 | भारत में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के कदाचार को रोकने के उपाय | Measures to check Malpractices indulged in by International Airlines operating in India . . . | 110 |
| 747 | औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम विकसित जिलों को वित्तीय सहायता | Financial Assistance given by IFC to less developed Districts . . | 110—111 |
| 748 | सीमा शुल्क विभाग द्वारा पास किये जाने से पूर्व माल की जांच के लिये अन्तः विभागीय समिति | Inter-departmental Committee to check goods before customs clearance . . . | 111 |
| 749 | व्यपारिक बैंकों में ऋण और निक्षेप में अनुपात | Credit Deposit Ratio in Commercial Banks . | 112 |
| 750 | व्यक्तियों के पास पूंजी बनने के संबंध में औद्योगिक वित्त निगम के ध्यक्षअ द्वारा व्यक्त किये गये विचार | Views expressed by Chairman of IFC in regard to Capital formation with individuals. . | 112 |
| 751 | इंडियन एयर लाइंस द्वारा एवरो विमान चलाये जाने के कारण हुई हानि | Loss suffered due to operation of Avros by Indian Airlines . . | 113 |
| 752 | भारत में विग उद्योग | Wig Industry in India . | 113 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 753 | लाख का व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का प्रस्ताव | Proposal to Canalise Lac Trade through STC . | 114 |
| 754 | कृषि पदार्थों, औद्योगिक कच्चे माल तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि | Rise in prices of Agricultural Commodities, Industrial Raw Materials and Industrial Manufactures . . | 114—115 |
| 755 | वर्ष 1972–73 के दौरान भारत का आयात और निर्यात | Volume of India's Imports and Exports during 1972-73 . . | 116—117 |
| 757 | पटसन का उत्पादन करने वाले देशों का सम्मेलन | Conference of Jute Growing Countries . . | 117—118 |
| 758 | पांच बीघा से कम भूमि वाले किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम धन देना | Amount given by Nationalised Bank to Farmers having Land holdings of less than Five Bighas . . . | 118 |
| 759 | निगमित क्षेत्र के नाम कर की बकाया राशि | Arrears of Taxes against Corporate Sector . | 118 |
| 760 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की योजना जहां पर पहले बैंक नहीं हैं । | Plan for Opening of New Branches by Public Sector Banks in Unbanked Areas . . | 119 |
| 761 | पालम स्थित एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल द्वारा गलत सूचना देने के बारे में दिल्ली और नागपुर के बीच उड़ाने भरने वाले विमान चालकों की शिकायत | Complaint from Pilots operating between Delhi and Nagpur regarding wrong Information by Air Traffic Control at Palam . . . | 119 |
| 762 | कपास और पटसन के बोरों के मूल्यों की समीकरण पद्धति के लिये समिति का गठन | Setting up of a Committee for Prices equalisation system of raw Cotton and Jute Bags . . | 120 |
| 763 | बंगला देश को और बंगला देश से सामान का तस्कर व्यापार | Smuggling of Goods from and to Bangladesh . | 120 |
| 764 | टुकड़ों और चीथड़ों की परिभाषा | Specification of Bits and Rags . . . | 121 |
| 765 | आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में अपर डिवीजन कलर्क | Upper Division Clerks in the Office of Commissioner of Income Tax Delhi . . | 122 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 766 | बैंकों से धोखे से रुपए निकालना | Fraudulent Withdrawals from Banks | 122—123 |
| 767 | भारत बंगला देश व्यापार समझौता | Indo-Bangladesh Trade Pact | 123 |
| 768 | बंगला देश के साथ पटसन व्यापार | Jute Trade with Bangladesh | 123 |
| 769 | आयकर की बकाया राशि की वसूली | Collection of Arrears of Income Tax | 124—125 |
| 770 | इंडियन एयरलाइन्स में विमान चालकों का चयन | Selection of Pilots in Indian Airlines | 125—126 |
| 771 | इंडियन एयरलाइन्स के लिये और एवरो विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव | Proposal to acquire more Avros for Indian Airlines | 126 |
| 772 | राष्ट्रीयकृत बैंकों के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम के निष्पादन के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण | Training of Staff for Projection of Expansion programme of the Nationalised Banks | 126 |
| 773 | औद्योगिक वित्त निगम द्वारा छोटे इस्पात संयंत्रों को धन देना | Lending of Funds by IFC to Mini-Steel Plants | 127 |
| 774 | स्टेट बैंक आफ इंडिया गोरखपुर, के खजांची द्वारा 10 रुपये के जाली नोटों के परिचलन के बारे में पुलिस को की गई शिकायतें | Complaint lodged by Cashier of SBI Gorakhpur regarding circulation of Fake Currency Notes of 10 Rupees Denomination | 127 |
| 775 | भारत में निजी विदेशी पूंजी निवेश में कमी | Decline in Private Foreign Investment in India | 128 |
| 776 | मद्रास में राडार की स्थापना | Installation of a Radar at Madras | 128 |
| 777 | वृन्दावन (मथुरा) को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव | Proposal to develop Vrindaban (Mathura) as a Tourist Centre | 129 |
| 778 | मैसूर राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों को पर्यटकों की रूचि के स्थानों के रूप में विकसित करने के लिये कार्यवाही | Steps to develop Cultural and Religious places of Tourist interest in Mysore State | 129—130 |
| 779 | जापान से आर्थिक सहयोग की पेशकश | Offer for Economic Co-operation from Japan | 130—131 |

| अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 780 | सूत की सप्लाइ के लिये स्वैच्छिक योजना | Voluntary Scheme for Supply of Cotton Yarn . . . | 131 |
| 781 | कर संबंधी आयोग | Commission on Taxation | 131 |
| 783 | कोजीकोड के निकट सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक नौका (लांच) का रोका जाना | Interception of a Launch by Customs Officials near Kozhikode . | 132 |
| 784 | राजस्थान के होटलों द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की योजना | Scheme for Earning Maximum Foreign Exchange by Hotels in Rajasthan. . . . | 132 |
| 785 | राजस्थान में पर्यटन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना | Scheme to increase the number of Tourist Centres in Rajasthan | 133 |
| 786 | जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान सरकार को मकान बनाने के लिये दी गई सहायता | Financial assistance given by LIC to Rajasthan Government for building houses . . | 134 |
| 787 | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा इण्डियन एयर लाइन्स को एवरो विमान दिया जाना | Delivery of Avros to Indian Airlines by HAL | 135 |
| 788 | इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास बुक किए विमानों को दिया जाना | Delivery of Aircraft booked with HAL by Indian Airlines . . . | 135 |
| 789 | स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम के अन्तर्गत सहायक बैंक के महाप्रबन्धक द्वारा पद पर बने रहने की अवधि | Tenure of Office held by General Manager of Subsidiary Bank under SBI (Subsidiary Banks) Act . . . | 136 |
| 790 | लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात | Export of Products manufactured by Small Scale Sector . . . | 136 |
| 791 | देश में समुद्री तटों पर दर्शनीय स्थलों के विकास की योजना | Scheme to develop Beach Resorts in the country . . . | 136 |
| 792 | विदेश यात्रा कर की अदायगी | Payment of Foreign Travel Tax . . . | 137 |
| 793 | स्पेन के साथ व्यापार करार | Trade Agreement with Spain . . . | 138 |
| 794 | बहुत बड़े पैमाने पर बीजकों में मूल्य से कम राशि का दिखाया जाना | Large scale under invoicing . . . | 138 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 795 | मैसूर से कच्चे रेशम का निर्यात | Export of Mysore raw silk . . . | 139 |
| 796 | उड़ीसा में चिल्का झील का विकास | Development of Chilka Lake in Orissa . . | 139 |
| 797 | भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर में परिवर्तन का प्रस्ताव | Proposal to revise the interest Rate on Provident Fund . . | 139 |
| 798 | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि | Losses suffered by Public Sector undertaking . | 140 |
| 799 | सरकार द्वारा खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लेना | Taking over of Foodgrains trade by Government . . . | 141 |
| 800 | कृषि पुनर्वित्त निगम को अन्तराष्ट्रीय ऐजेन्सियों से वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Agricultural Refinance Corporation from International Agencies . | 141—142 |
| | अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . | 142 |
| | डालर का अवमूल्यन करने के अमरीकी सरकार के निर्णय का भारतीय रुपये पर प्रभाव | Impact on Indian Rupee of US Government's decision to devalue dollar . . . | 142 |
| | श्री० इन्द्रजीत गुप्त | Shri Inderajit Gupta . | 142 |
| | श्री० यशवन्त राव चव्हान | Shri Yashwantrao Chavan . . | 142—148 |
| | नियम 377 के अन्तर्गत मामला | Matter under Rule 377 | |
| | मंत्रियों के कथित गलत वक्तव्य | Alleged wrong Statements by Ministers . . | 148—149 |
| | आन्ध्र प्रदेश में बंदी बनाये गये श्री नागभूषण पटनायक की चिकित्सा के बारे में और रानीगंज में हरिजन बस्ती के जलाये जाने के बारे में | Re. Medical treatment of Shri Nagabhushan Patnaik detained in an Andhra Jail and reburning of Harijan Basti in Raniganj . | 149—151 |
| | सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 151—155 |
| | राज्य सभा से संदेश | Message from Rajya Sabha | 155 |
| | अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक | Advocates (Amendment) Bill . . . | 155 |




M/J(D)1LSS—3

अता० प्र० संख्या

| U. S. Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | As Passed by Rajya Sabha . . . | 156 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee . . . | 156 |
| 65 वां प्रतिवेदन | Sixty fifth Report. . | 156 |
| रेल अभिसमक्ष समिति | Railway Convention Committee . . . | 156 |
| तीसरा प्रतिवेदन | Third Report . . | 156 |
| सभा का कार्य | Business of the House . | 156—158 |
| भारत और मिश्र के बीच व्यापार करार के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to SQ No. 174 retrade agreement between India and Egypt . | 158 |
| समितियों का चुनाव | Election to Committees . | 159 |
| (एक) इलायची बोर्ड | Cardamom Board . . | 159 |
| (दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति | Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . | 159 |
| आधे घंटे की चर्चा के बारे में | Re. Half-an-Hour Discussion . . . | 160 |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव | Motion of Thanks on the President's Address . | 160 |
| श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami . . . | 160—161 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . . . | 161—162 |
| ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . | 162 |
| 22 वां प्रतिवेदन | Twenty Second Report . | 162 |
| संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) बिधेयक (नयी धारा 11 का अन्त : स्थापन) डा० कर्णीसिंह का | Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (insertion of new section 11) by Dr. Karni Singh . . | 163—165 |
| पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत | Motion to introduce—negatived . . . | 165 |
| विधेयक पुरः स्थापित | Bills Introduced . | 165 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| एक संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन) श्री भोगेन्द्र झा का | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri Bhogendra Jha | 165 |
| (दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 100 और 189 का संशोधन) श्री आर० पी० उलगम्बी | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 100 and 189) by Shri R.P. Ulagambi . . | 165 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक वापस लिया गया (आठवीं अनुसूची का संशोधन) डा० कर्णी सिंह का | Constitution (Amendment) Bill—Withdrawn (Amendment of Eighth Schedule) Dr. Karni Singh . . . | 166 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | 166 |
| श्री० ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa . | 166 |
| श्री० एम० रामगोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy . . . | 167 |
| श्री० सुरेन्द्र महन्ती | Shri Surendra Mohanty . | 166 |
| श्री० दशरथ देब | Shri Dasaratha Deb . | 167 |
| श्री० हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai . . . | 167 |
| श्री० नीतिराज सिंह चौधरी | Shri Nitiraj Singh Chaudhary . . . | 167—169 |
| डा० कर्णी सिंह | Dr. Karni Singh . . | 169 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19, 22 आदि का संशोधन) श्री० ए० के० गोपालन का | Constitution (Amendment) Bill— (Amendment of articles 19, 22 etc.) by Shri A. K. Gopalan . . . | 171 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . | 171 |
| श्री० ए० के० गोपालन | Shri A.K. Gopalan | 171 |
| श्री० बी० आर० शुकल | Shri B.R. Shukla . | 173 |
| श्री० सरजू पांडे | Shri Sarjoo Pandey . | 174—175 |
| श्री० बी० वी० नायक | Shri B.V. Naik . . | 175 |

अता० प्र० संख्या


| U.S.Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री० जे० माथा गौडर | Shri J. Matha Gowder . | 175—176 |
| श्री० राम सहाय पांडे | Shri R.S. Pandey . . | 176—177 |
| श्री० हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Ka-chwai . . . | 177 |
| श्री० एम० राम गोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy . . | 178 |

**लोक सभा**

LOK SABHA

**शुक्रवार, 23 फरवरी, 1973/4 फाल्गुन, 1894 (शक)**

Friday ; February 23, 1973/Phalguna 4, 1894 (Saka)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the Chair]

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दिये गए एवरो विमानों को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लेने से इन्कार करना**

*61. **श्री †कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

**श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दिये गये 7 नए एवरो 748 विमानों को लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) : इंडियन एयर लाइंस ने हिन्दुस्तान एरोनॉटिकस लिमिटेड को जिन दस-748 विमानों की खरीद का अपना आखिरी आदेश दिया था उनमें से तीन विमान उन्हें मिल चुके हैं। शेष सात विमान अभी उन्हें ऑफर नहीं किये गये हैं। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इंडियन एयरलाइन्स को सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में कुछ उत्पादन सम्बन्धी समस्यायें हैं, और वे अपने निर्माण-सहयोगी मैसर्ज़ हॉकर सिडले लिमिटेड के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच कर रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : श्रीमान जी, मेरा पहला पूरक प्रश्न इस प्रकार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एच० एस० 748 एवरो विमान की उड़ान क्षमता कम है, क्या सरकार दो वर्ष पहले इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों द्वारा की गई मांग के औचित्य को कम से कम कब स्वीकार करेंगी और यदि हां, तो क्या सरकार विमान चालकों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही को वापस लेगी और विशेष रूप से इण्डियन एयरलाइन्स, बम्बई के भूतपूर्व उप-संचालक प्रबन्धक श्री रणदिवे के विरुद्ध, जिन्हें यह सच्चाई ब्यान करने के कारण बम्बई की एक अदालत द्वारा तीन महीने के कारावास की सजा दी गई थी ?

**डा० कर्ण सिंह** : जिस तरह से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है ; उससे सही स्थिति प्रकट नहीं होती। मैं दो वर्ष पहले हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण हड़ताल के ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। उसके कई कारण थे। कैप्टेन रणदिवे पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन सरकार ने मुकदमा चलाया था और उन्हें कारावास की सजा दी गई है। मुझे पता चला है कि उन्होंने इस सजा के विरुद्ध अपील की है। यह विशिष्ट मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है कि सुरक्षा के न्यूनतम स्तर में किसी भी स्थिति में गिरावट न आने पाये और विमान पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व नागर विमान ा के महानिदेशक के ऊपर है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मेरे विचार में मन्त्री महोदय ने जो कुछ अपने उत्तर में कहा है, वह सही नहीं है, इसलिए मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इंजिनों की शक्ति में वृद्धि करने के बावजूद, विमानों की उड़ान क्षमता में सुधार नहीं हो सका ? यदि हां, तो इन विमानों को उपयोगी बनाने और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**डा० कर्ण सिंह** : उड़ान क्षमता के प्रश्न से समय समय पर कुछ चिन्ता होती रही है। और वस्तुत: इसी उड़ान क्षमता के कारण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० कुछ नये तथ्यों के बारे में हॉकर सिडलीज के साथ विचार विमर्श कर रहा है। परन्तु, मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के सभी एवरो विमान नागर विमानन के महा-निदेशक द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की शर्तों की आज पुर्णत: पूर्ति करते हैं। ऐसे विमानों को सप्लाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं, जो सुरक्षा मानकों के स्तर से नीचे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। 'द्वितीय सैग्मैन्ट क्लाइम्ब' के बारे में मुझे आशा है कि वह तब अधिक बेहतर होगी जबकि हॉकर सिडलीज के साथ परामर्श करके हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० ये सुधार करता है।

**श्री डी० वी० चन्द्र गौडा** : एक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र "दि हिन्दू" के 16 फरवरी के संस्करण में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इण्डियन इयरलाइन्स ने 7 एवरो-748 विमानों की डिलीवरी लेने से इन्कार कर दिया है। क्या यह सच है कि प्रति घंटा संचालन व्यय लगभग 3600 रुपये आता है जबकि तुलनात्मक आय लगभग 3200 रुपये ही होती है ? खैर, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा इन एवरो-748 विमानों की डिलीवरी लेने से इन्कार करने के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या सरकार श्री रामामूर्थम के अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति की उस रिपोर्ट पर विचार करेगी जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये एवरो विमान की गई मॉगों के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं ?

**डा० कर्ण सिंह :** जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया था, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा डिलीवरी लेने से इन्कार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तीन विमान सप्लाई किये गये हैं और वे ले लिये गये हैं। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० ने अभी चौथा विमान सप्लाई ही नहीं किया है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्यों ?

**डा० कर्ण सिंह :** क्योंकि, जैसा कि मैंने अभी अपने उत्तर में बताया, कुछ तकनीकी कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं, जिनका वे इंगलैण्ड में अपने सहयोगी–हॉकर सिडलीज के साथ परामर्श करके समाधान कर रहे हैं। वस्तुत: इस कार्य के लिए एक विमान इंगलैण्ड गया। इसलिए, इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान की डिलीवरी लेने से इन्कार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरे, संचालन व्यय के बारे में मुझे यह कहना है कि यह सच है कि छोटे विमान जैसे एवरो विमान की संचालन लागत उसकी अर्जन क्षमता की तुलना में अधिक है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है केवल लाभप्रदता को ही हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लाभप्रदता इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस खण्ड पर विमान उड़ान करता है, ईंधन का लागत व्यय कितना है, वेतन-व्यय कितना है आदि आदि। इसलिए, यह सच है कि एवरो विमान निस्सन्देह उस तरह से एक बहुत लाभप्रद विमान नहीं है, परन्तु इण्डियन एयरलाइन्स अनेक स्थानों के लिए उड़ान करके और उन अनेक मार्गों पर उड़ान करके सार्वजनिक सेवा का कार्य कर रहा है, जो लाभप्रद नहीं हैं। इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जिसका सरकार और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सदैव ध्यान रखा जाता है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** It has become quite clear from the reply given by the hon. Minister that there are certain defects in Avro plane, and it has been sent to the manufacturers for sorting out those technical snags. Is it not a fact that the pilots were already having this stand— and they are emphasizing even now—that this flame could be put into operation, but it should be allowed to fly with less weight? Why have they made it a prestige issue? This is the question of passenger's security. In fact, there should be a detailed enquiry as to why this Avro plane was purchased. But the honourable Minister says that it is a big issue and it should not be raised at this juncture. If the pilots want to fly the plane with less weight, what is the difficulty for the Government in permitting them to do so?

**Dr. Karan Singh:** The honourable Member has stated that it has been made a prestige issue. There is no prestige issue involved. The most important thing is the security of the passengers. I would, therefore, like to tell Shri Vajpayee that it is the responsibility of the Director General, Civil Aviation to see as to which of the planes could fly or could not fly. He has said that it could be cleared for All-up weight. Why should we reduce the weight then? If we do so, it would carry less number of passengers and less baggage and thus, this plane would become more unprofitable. If D.G.C.A. says that this plane is dangerous and it should not be flown, I would put all the planes out of operation. It is my duty to this House and this country that I should not allow any plane to be put into operation, which is dangerous. Despite the question of second segment climb, the D.G.C.A. has certified that this plane is air worthy and that is why the plane is still in operation.

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: Why has it been sent to London then?

**Dr. Karan Singh**: There is a difficulty in purchasing the fourth plane which has not been purchased so far. Since it has also been mentioned in the press, I would, therefore, like to tell the House that no prestige issue is involved in it. I have full responsibility as a Minister of Civil Aviation. If I have any doubt that this plane is not safe, I would put at once all the planes out of operation. But, If without any doubt, I put all the planes out of operation, there would be great difficulty to the people. I would not put them out of operation unless I am sure that these planes are not in order. Under the Act passed by this House, the D.G.C.A. is the licensing authority. He has said that this plane is air worthy. There is no question of reducing the weight of grounding it?

**श्री जगन्नाथ राव** : एवरो विमान कलकत्ता और हैदराबाद के बीच उड़ते हैं। अभी हाल में दम-दम और हैदराबाद के बीच एक एवरो-विमान-सेवा चालू भी की गई है और मैं अक्सर इससे यात्रा करता हूं। क्या इण्डियन एयरलाइन्स इस विमान की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है ? दुर्घटना होने की स्थिति में, वे मृतक के परिवार को केवल 40,000 रुपये ही मुआवजे के रूप में देते हैं।

**डा० कर्ण सिंह** : जैसा कि मैंने कहा है, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इन विमानों की सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट है और तभी ये विमान प्रयोग में लाये जा रहे हैं। क्षति-पूर्ति में 40,000 रुपये से 1,00,000 तक की गई वृद्धि विशुद्ध दैवी कारणों से संबंधित है तथा इसका एवरो विमानों के कार्यकरण से कोई संबंध नहीं है।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : इस तथ्य को देखते हुए कि एवरो विमान सुरक्षा, संचालन तथा उड़ान लागत में मितव्ययिता की दृष्टि से विवाद का विषय बन गया है, सरकार केवल इसी विमान को क्यों प्रयोग में लाना चाहती है ? क्या उनके पास किसी अन्य विमान का कोई प्रस्ताव है जो कि सुरक्षा तथा लाभ की दृष्टि से अधिक संतोषजनक हो ?

**डा० कर्ण सिंह** : जैसा कि आपको पता होगा, हमने हाल ही में 7 बोइन्ग विमान खरीदे हैं।

जहां तक उनके कार्य-करण का संबंध है, वे उत्तम हैं तथा उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रश्न ये है कि ये विमान इंडियन एयरलाइन्स के बेडे में हैं और इनका निर्माण भारत में होता है। हमने 24 विमानों के आर्डर में से 17 विमानों का निर्माण किया है और उनमें से 17 विमानों को बनाकर सौंपा गाया है। एक को छोड़कर शेष 16 विमान हमारे पास हैं। इनका निर्माण भारत में होता है। जब तक इसमें कोई कठिनाई नहीं होती, हमें उनका उपयोग करना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुरन्त सभी एवरो विमानों के स्थान पर 20 जेट और खरीद लेता। यह उत्तम बात होती, परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि हमारे संसाधन सीमित हैं। जब तक ये विमान उड़ान में सुरक्षित हैं, हमें इनका उपयोग करना चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : ये विमान सुरक्षित नहीं हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या यह सच है अथवा नहीं कि इस विमान की उड़ान क्षमता का पता लगाने का कार्य एक कृतिक दल को सौंपा गया था जिसने यह पाया कि ये विमान उड़ान के योग्य हैं? क्या यह भी सच है अथवा नहीं कि विशेषकर फोकर फ्रेंडशिप के विदेशी विमान समर्थक एवरो के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं ?

**डा० कर्ण सिंह** : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, इसके लिए रामामुरुथम समिति स्थापित की गई थी। इसके पश्चात् एक कृतिक दल की स्थापना की गई। मुझे इसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसकी एक प्रति संसद के ग्रन्थागार में रखी गयी है। इसके सदस्य ओ० पी० मेहरा, जो हिन्दुस्तान एयरक्राफट लिमिटिड के अध्यक्ष थे और अभी भी इसके अध्यक्ष हैं परन्तु जो अब वायुसेनाध्यक्ष हो गये हैं, उन्होंने इसे सही बताया है।

जहां तक इस बारे में प्रचार करने का संबंध है, मैं समझता हूं कि ऐसे प्रचार की कोई बात नहीं है और हम पर कोई दबाव नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस विमान के लिए जोरदार प्रचार किया गया था।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया है कि फोकर फ्रेंडशिप विमान के समर्थकों ने भोज का आयोजन किया था जिसमें सभी आमंत्रित व्यक्तियों को एक-एक घड़ी भेंट की गई थी।

**रुस और अन्य समाजवादी देशों में भारतीय चाय बोर्ड के कार्यालय**

*62. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चाय को बड़ी मात्रा में नियमित रूप से खरीदने वाले रूस तथा अन्य समाजवादी देशों में भारतीय चाय बोर्ड के कार्यालय न होने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : विदेशों में चाय बोर्ड कार्यालय बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए स्थापित किये जाते हैं। तदनुसार चाय बोर्ड ने समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थापित किये हैं और इस समय उनके कार्यालय लन्दन, बुसेल्ज़, न्यूयार्क, काहिरा तथा सिडनी में हैं।

अभी तक चाय बोर्ड ने सोवियत संघ अथवा अन्य समाजवादी देशों में कार्यालय स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा है।

**श्री सरोज मुखर्जी** : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि अन्य देशों में कार्यालयों का खोलना बाजार के ऊपर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण चाय बोर्ड करता है। जब कि हमारी चाय का निर्यात समाजवादी देशों को बढ़ रहा है तो चाय बोर्ड मास्को तथा अन्य समाजवादी देशों की राजधानियों में कार्यालय खोलना आवश्यक क्यों नहीं समझता है और क्यों वह लंदन और न्यूयार्क जैसे पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार पर निर्भर करता है ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : इन कार्यालयों को खोलने का उद्देश्य चाय के निर्यात में आई विभिन्न कठिनाइयों को दूर करना है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि रूस तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार में 57 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1970 में निर्यात 3.279 करोड़ किलो ग्राम से बढ़कर वर्ष 1972 में 5.2 करोड़ किलोग्राम हो गया है। साथ ही, इसका मूल्य जो 1970 में 27 करोड़ था, 1972 में बढ़कर 42 करोड़ रुपये हो गया है। पूर्व यूरोप को इसका निर्यात 56 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है, इस बात को देखते हुए तथा विभिन्न आर्थिक संगठनों के साथ चाय संवर्द्धन क्रियाकलापों को नियमित करने की आवश्यकता को देखते हुए, हमने रूस तथा अन्य समाजवादी देशों में चाय बोर्ड के कार्यालयों की स्थापना की आवश्यकता नहीं समझी है। यदि हमें कभी इस संबंध में आई कठिनाइयों को दूर करने हेतु चाय बोर्ड के कार्यालयों को

खोलने की आवश्यकता महसूस होगी, हम ऐसा करने में कभी नहीं हिचकिचायेंगे । चाय बोर्ड के अन्य कार्यालयों के मामले में चाय व्यापार को बनाए रखना अत्यावश्यक है और हमें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ।

**श्री सरोज मुखर्जी** : क्या मंत्री महोदय भारतीय चाय बोर्ड की इस प्रतिक्रियावादी तथा भ्रष्ट पद्धति को समाप्त करेंगे जबकि सरकार ने यह घोषणा की है कि हम समाजवादी देशों के साथ चाय तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापार बढ़ायेंगे ?

**श्री ए० सी जार्ज** : चाय बोर्ड स्वशासी निकाय नहीं है और इस पर सरकार का नियंत्रण है, स्वभावतः चाय बोर्ड में किसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता । (**व्यवधान**)

**श्री बी० के० दास चौधरी** : मंत्री महोदय, के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में समाजवादी देशों, विशेषकर रूस और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों, के साथ हमारा चाय का निर्यात व्यापार बढा है, चाहे मंत्री महोदय द्वारा मात्रा तथा मूल्य के रूप में बताए गए आंकड़े कुछ भी हों । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दार्जलिंग चाय के कुल निर्यात का 95 प्रतिशत भाग केवल रूस को जाता है । इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कारण है कि गत दो या तीन वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई है ? मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात की जाने वाली ऐसी चाय पश्चिम देशों के दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को भेजी जा रही है ? इस तथ्य को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से जोर देकर कहना चाहूंगा कि क्या वे शीघ्र ही समाजवादी देशों में चाय केन्द्र खोलेंगे ताकि यह अंतर समाप्त किया जा सके और चाय से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

दूसरे, मंत्री महोदय ने अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि विश्व के विभिन्न भागों में चाय केन्द्र खोलने के क्या लाभ हैं, यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि वे समाजवादी देशों में चाय केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं ।

**श्री ए० सी० जार्ज** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने, जो चाय बोर्ड के सदस्य हैं, यह विशेष प्रश्न पूछा है, यह सच है कि रूस को हमारी चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है । वर्ष 1970 की तुलना में, जब यह 2.876 करोड़ किलोग्राम था, वर्ष 1972 में यह बढ़कर 4.152 करोड़ किलोग्राम हो गया । इसके मूल्य में भी वृद्धि हुई है । परन्तु मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि कोई समाजवादी देश हमसे चाय खरीदकर दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को बेच रहा है । यह एक गलत धारणा है । यदि ऐसी कोई धारणा फैली हुई है तो मैं उसका स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं । चाय उन देशों को निर्यात की जा रही है जो इसको खरीदना चाहते हैं, हम माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकते हैं कि इस बात के लिए अतिरिक्त प्रयास किये जायेंगे कि हमारी चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक बिके और अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो ।

**श्री जे० माता गौडर** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रूस के साथ उसको चालू वर्ष में चाय का निर्यात करने के लिए करार किया है और यदि हाँ, तो कितनी चाय का निर्यात किया जायेगा ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : वर्ष 1973 की व्यापार योजना के अनुसार बड़ी मात्रा में चाय का निर्यात किया जायेगा । (**व्यवधान**)..... रूस के साथ हमारा व्यापार करार है और उसमें चाय भी कोटे के रूप में शामिल है, मैं इस समय इसकी ठीक ठीक मात्रा नहीं बता सकता ।

**Crisis in Shoe Industry**

***63. Shri Shiv Kumar Shastri:**

Will the Minister of **COMMERCE** be pleased to state:

(a) whether the shoe industry in India is facing a crisis due to export of raw leather; and

(b) If so, the steps taken by Government to meet the crisis?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के भारी मात्रा में हुए निर्यातों के कारण चमड़े की सप्लाइयों में कुछ हद तक कमी आ गई है और कीमतों में भी वृद्धि हो गई है, जिसके परिणामस्वरुप जूता उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने निम्नोक्त कदम उठाए हैं :—

(1) सभी प्रकार के जूतों का सभी गन्तव्य स्थानों को निर्यात 14-11-1972 से भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है ।

(2) अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात, जिनमें क्रस्ट लैदर भी शामिल है, 14-12-1972 से भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिये गये हैं ।

(3) सभी प्रकार की कच्ची खालों तथा चमड़ियों (मेमने की फर वाली खाल को छोड़कर) के निर्यातों पर 20-1-1973 से रोक लगा दी गई है ।

(4) 1-4-1973 से कोटा प्रणाली आरम्भ करके अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं ।

(5) चमड़े की सप्लाइयों में कमी तथा चमड़े की कीमतों में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों का निराकरण करने के लिये जूता उद्योग को सहायता पहुंचाने हेतु एक योजना विचाराधीन है ।

**Shri Shiv Kumar Shastri:** Sir, in the statement it is mentioned that due to large scale export of semi-processed hides and skins, there is shortage of supplies of leather to some extent and there has also been a rise in the prices, as a result of which the footwear industry is facing some difficulty. A few days back, it was stated that import of woollen garments in the name of rags has unsettled the home market. So, I want to know whether there is no government department to keep a watch over the items being exported and imported, because government becomes wiser only after the event.

**श्री० ए० सी० जार्ज :** वास्तव में सदस्य महोदय का प्रश्न कुछ अस्पष्ट है । अर्ध-साधित चमड़ा कच्चा माल है.....

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : अर्ध-साधित चमड़ा क्या होता है ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : जो भी पूर्णतया साधित नहीं है, अर्ध-साधित है। 1971-72 में अर्ध-साधित चमड़े का निर्यात 84 करोड़ रुपये का था। किन्तु 1972 में अप्रैल से दिसम्बर तक के नौ मास में इसका निर्यात बढ़ कर 105 करोड़ रुपये हो गया। यह उत्साहजनक बात प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में देश में जूते बनाने के लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारा यही प्रयास रहता है कि तैयार माल ही अधिकाधिक बाहर जाये ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। अर्ध-साधित और साधित चमड़े का अनुपात 2:3 का है।

**Shri Shiv Kumar Shastri**: Sir, I had asked whether a watch is kept over balanced export and import and if so, how this imbalance is there?

**श्री ए० सी० जार्ज** : यह वास्तव में असंतुलन नहीं है। माननीय सदस्य ने जैसे स्वयं कहा है, डा० सीतारमैया की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। उसकी रिपोर्ट अनुसार अधिकाधिक अर्धसाधित चमड़ा निर्यात करना ठीक नहीं होगा, अत : 1971-72 में निर्यात चमड़े की मात्रा की अधिकतम मान कर शनै : शनै अर्ध-साधित चमड़े का निर्यात घटाया जाये ताकि देश के जूता उद्योग के लिए अधिकाधिक कच्चा माल उपलब्ध हो सके।

**Shri Shiv Kumar Shastri**: My question still remains unanswered. I will ask another question. He has stated that a scheme is under consideration to help the footwear industry. May I know the outlines thereof and how it is proposed to help them?

**श्री ए० सी० जार्ज** : योजना यह है कि अर्ध-साधित चमड़े के निर्यात पर एक प्रकार का शुल्क या उपकर वसूल किया जाये और यह राशि जूता आयोग के प्रोत्साहन पर खर्च की जाये। इस योजना पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि 1 अप्रैल, 1973 तक इसे लागू कर दिया जाएगा।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ भागों में हाल में सूखा और अकाल पड़ा था और चारे के अभाव में अनेक पशु मर गए। क्या महाराष्ट्र और तेलेगांना से चमड़े की सप्लाई बढ़ी है ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : मेरे विचार में सूखे की स्थिति को चमड़े की उपलब्धि से नहीं जोड़ा जा सकता।

**Shri Hukam Chand Kachwai**: The Hon. Minister has said in his statement that due to excessive export of semi finished leather, there was shortage in the country resulting in rise in its price. I want to know the percentage of rise? When they were aware that excessive export would result in shortage within the country and that small units would face crisis as a result thereof, was this aspect not kept in mind when exports were being made? If so, what was thought at that time? In the end, he said that assistance for them is contemplated. I want to know the nature thereof and what immediate assistance is proposed to be extended, the outlines of the scheme and when it is to be finalised?

**श्री ए० सी० जार्ज :** मैंने शुरू में ही कहा था कि अर्ध-साधित चमड़े के निर्यात में वृद्धि से देश में इसके मूल्य में काफी वृधि हुई है। इस स्थित का पता लगते ही 14 दिसम्बर, 1972 से हम ने इसके निर्यात को नियंत्रित किया ताकि सरकार स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रख सके। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर में भी जैसा कि बताया जा चुका है, जूता निर्माताओं की सहायता के लिये प्रस्तावित योजना 1 अप्रैल, 1973 से लागू कर दी जाएगी।

**Shri Hukam Chand Kachwai:** My question has not been answered. I wanted to know how the export went up? Increased exports resulted in a set back to the trade and a price rise. I want to know the percentage of increase in prices of the raw-material and what steps are proposed to be taken in this regard? I also want to know the nature of relief contemplated for them?

**श्री ए० सी० जार्ज :** ठीक ठीक प्रतिशतता तो इस समय मैं बता नहीं सकूंगा।

**Shri Hukam Chand Kachwai:** When would this be told? The prices have gone up by 20 to 40 percent. On what basis he has stated that they have increased?

**श्री एच० एम० पटेल :** क्या वह अनुमान भी नहीं बता सकते कि कीमतें किस हद तक बढ़ी हैं।

**श्री ए० सी० जार्ज :** सामान्य वृद्धि 30 प्रतिशत से अधिक हुई है।

**Shri Achal Singh:** Is the Hon. Minister aware that footwear industry has suffered a lot? What is being done to improve its condition, so that exports to USSR are increased by which we earn crores of rupees?

**श्री ए० सी० जार्ज :** हमारी योजना अर्ध-साधित चमड़े को साधित चमड़े में बदलने और उससे जूते और अन्य वस्तुएं बनाने की है। इसके लिये विदेशी मशीनें चाहिये और हम इस उद्योग के लिये मूलभूत ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अर्ध-साधित चमड़े से जूते और अन्य वस्तुएं तैयार की जा सकें।

**Shri Ram Sahai Pandey:** Sir, Indian footwear are very popular in international markets because they are lasting, cheap and beautiful but the consignments exported to the Soviet Union once contained only one of the pair of shoes. The other was sent later when they protested about it. That is the reason for discontinuance of export of footwear and instead finished and semi-finished leather is being exported. If this is the fact, what steps are being taken to resume export of footwear, so that labour is benefited and finished material is exported in place of raw material?

**श्री ए० सी० जार्ज :** यह गड़बड़ी एक मात्र गलती थी जो 1968 में हुई थी; इसके पश्चात् हमने पर्याप्त सावधानी बरती है और कोई भी शिकायत नहीं आई है।

**बंगला देश के साथ व्यापार**

*64. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बंगला देश को विभिन्न भारतीय वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया;

(ख) इस निर्यात में से कितने प्रतिशत गैर-सरकारी व्यापार एजेंसियों के माध्यम से किया गया; और

(ग) उस देश से भारत ने कुल कितना आयात किया ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)** :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

अप्रैल—अगस्त 1972 की अवधि के लिए निर्यात के वस्तुवार अभिलिखित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रु० में)

| क्रमांक | वस्तु | इकाई | परिमाण | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गेहूं | हजार मे० टन | 226 | 1933 |
| 2 | चने की दाल | टन | 633 | 9 |
| 3 | अनिर्मित तम्बाकू | लाख कि० ग्रा० | 45 | 196 |
| 4 | दूध तथा क्रीम | हजार कि० ग्रा० | 320 | 28 |
| 5 | सफेद तथा पीला फासफोरस | ,, | 9 | 1 |
| 6 | फासफोरस लाल | ,, | 9 | 1 |
| 7 | पोटेश्यिम क्लोरेट | ,, | 220 | 5 |
| 8 | चिकित्सा संबंधी तथा भेषजीय उत्पाद | कीमत | — | 35 |
| 9 | रबड़ की वस्तुएं तथा माल | ,, | — | 6 |
| 10 | कागज तथा गत्ता | ,, | — | 17 |
| 11 | गूदे की बनी वस्तुएं | ,, | — | 10 |
| 12 | सीमेंट पोर्टलैंडग्रे | हजार मे० टन | 59 | 127 |
| 13 | सोडियम बाइकारबोनेट | हजार कि० ग्रा० | 48 | 2 |
| 14 | अरंडी का तेल | लाख कि० ग्रा० | 4 | 11 |

| क्रमांक | वस्तु | इकाई | परिमाण | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 15 | लिटर स्वीपिंग आदि को छोड़ कर कपास | हजार मे० टन | 3.2 | 301 |
| 16 | सूत तथा धागा | हजार कि० ग्रा० | 548 | 70 |
| 17 | लोहा तथा इस्पात की गाल्ब्ड तथा नाली दार चादरें | हजार में० टन | 3 | 40 |
| 18 | उच्च कार्बन मिश्र धातु इस्पात के अलावा लोहा या इस्पात की तार छड़ें | ,, | 0.9 | 12 |
| 19 | छड़ें, सलाखें, लोहे या उच्च कार्बन मिश्र धातु इस्पात के सिवाय इस्पात की तार छड़ें छोड़ कर | ,, | 0.5 | 6 |
| 20 | कच्चा लोहा, ढले हुए सहित | ,, | 2.2 | 12 |
| | कुल निर्यात (अन्य मदों तथा पुनर्निर्यात सहित) | मूल्य | – | 3317 |

अगस्त माह के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) निर्यातकों के वर्गों के अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) अप्रैल-जुलाई 1972 के दौरान, जिसके आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं, बंगला देश से 26 लाख रुपए के आयात हुए थे ।

**श्री आर० एन० बर्मन** : क्या विश्व के अन्य देशों को पटसन का निर्यात करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

**प्रो० डी० पी०चट्टोपाध्याय** : प्रश्न बंगलादेश के विषय में पूछा गया था । माननीय सदस्य ने दूसरे देशों को पटसन निर्यात करने के सम्बन्ध में हमारी योजना के विषय में पूछा है । निश्चय ही ऐसी योजनायें हमारे पास हैं और दूसरे देशों को भी पटसन का निर्यात करने वाली योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है ।

**श्री आर० एन० बर्मन** : क्या सरकार हथकरघा बुनकरों के वस्त्र बंगलादेश को निर्यात करने और वहां से मछली का आयात करने की महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार करेगी ?

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : हमने बंगलादेश के साथ जो करार किया है उसमें मछली का आयात करने का उपबन्ध है और इसे कार्यरूप दिया जा रहा है । परन्तु इतना नहीं जितनी हमने आशा की थी । हथकरघा वस्त्र तथा अन्य वस्तुयें हम राज्य एजेंसियों के माध्यम से निर्यात कर रहे हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान उन बहुत से समाचारों की ओर दिलाया गया है जो प्रकाश में आये हैं, जिनमें बताया गया है कि भारत से बंगलादेश को जो वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं, विशेषतया गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा, उनमें से कुछ घटिया किस्म की होती हैं। और कई बार विशिष्ट विवरणों के अनुसार भी नहीं होती और बंगलादेश में भारत विरोधी तत्वों ने इन चीजों का लाभ उठाया है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी बातें किस सीमा तक हुई हैं और सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं जिससे ये बात दोनों देशों के बीच अनावश्यक कटुता की भावना पैदा न करे।

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : यह सच है कि मूल रूप में ऐसे समाचार मिले परन्तु उनको ध्यान में रखते हुए बंगलादेश के साथ व्यापार पद्धति में पूर्णतया परिवर्तन कर दिया गया है और सीमित भुगतान समझौते के अंतर्गत बंगलादेश के साथ 70 प्रतिशत से भी अधिक हमारा व्यापार राज्य एजेंसियों के माध्यम से चल रहा है ताकि ऐसी अनियमित तथा अप्रभावकारी घटनायें न हों और दोनों देशों के बीच कोई गलत भावना पैदा न हो।

**श्री समर गुह** : क्या यह सच है कि इस वर्ष 31 मार्च तक भारत–बंगला देश का 150 करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार करार समाप्त होने जा रहा है और यदि हां, तो क्या बंगलादेश तथा भारत के द्वारा किये गये आयात, निर्यात की सफलताओं–असफलताओं का कोई तुलन–पत्र बनाया गया है। और यदि हां, तो क्या बंगलादेश के साथ नया करार करने से पूर्व उस पर विचार किया जायेगा।

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : जी हां। दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय करार हुआ है उसमें कुल 50 करोड़ रुपये क व्यापार की बात है 150 करोड़ रुपये की नहीं ; परन्तु व्यवहार में इस करार ने उतना कार्य नहीं किया जितनी हमें इससे आशा थी। बदलती हुई परिस्थितियां, यातायात अवरोध तथा अन्य कठिनाइयां आदि इसके बहुत से कारण हैं। जैसा कि मैंने बताया है, करार की क्रियान्विति हमारी आशा के अनुकूल नहीं हुई। अतः अगला करार करते समय, त्रुटियों तथा उनके कारणों पर विचार किया जायेगा।

**श्री नवल किशोर सिन्हा** : क्या यह सच है कि जहां तक पटसन के मूल्यों का संबंध है बंगला देश काफी समय से हमारी अपेक्षा कम मूल्य पर बेच रहा है और इस प्रकार भारत के पटसन के निर्यात को जोखिम में डाल रहा है ?

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : मैं इस समय इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में सही आवश्यक जानकारी हमार पास उपलब्ध नहीं है।

**Shri Onkarlal Berwa :** May I know the names of those Private Trading Angencies which exported certain sub-standard goods to Bangla Desh and the action taken against them?

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय**. मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि सरकारी एजेंसियां कदाचार कर रही हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट जानकारी है और वह हमें बताते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**Shri Onkarlal Berwa :**—I have asked about Private Agencies.

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : जैसा कि मैंने पहले ही माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया है, वर्ष 1972 में, आरम्भ में ही ऐसे कुछ समाचार थे।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपको उन एजेन्सियों के नामों की कोई जानकारी है।

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : जी हां। उन्हें भविष्य में व्यापार करने से बंचित कर दिया गया है।

## सूखा-राहत कार्यों के लिये महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

*65. **श्री अनन्त राव पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में राशि मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र को अब तक कितनी सहायता प्रदान की गयी है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा पेश की गयी 180.58 करोड़ रुपये की मांग के बदले, केन्द्रीय दलों की सिफारिश पर चालू वित्तीयवर्ष में सूखाराहत कार्यों पर व्यय के लिये केन्द्रीय सहायतार्थ कुल 94·09 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा अंगीकार की गयी है। राज्य सरकार को अब तक 49·00 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। अधिकतम सीमा के अन्तर्गत और सहायता राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायेगी।

## सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता

*74. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

**श्री डी० पी० जदेजा** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुल कितनी धन-राशि की मांग की है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति दी है ; और

(ग) कुल कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) : राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में गुजरात का दौरा किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर सूखा राहत कार्यों पर व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ 6.9 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा अंगीकार की गयी थी। इस अधिकतम सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर उस सरकार को अब तक 1·5 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ; और सहायता राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायगी। लगातार चली आ रही सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा पर फिर से विचार करने के लिये केन्द्रीय अधिकारियों का एक और दल इस समय राज्य का दौरा कर रहा है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**श्री अन्नतराव पाटिल** : महाराष्ट्र निरन्तर तीन वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और इस वर्ष की अकाल की स्थिति तो अभूतपूर्व है। हजारों राहत कार्य आरम्भ किये गये हैं, और 30 लाख से भी अधिक पुरुष और महिलाओं को राहत कार्यों में रोजगार दिया गया है। लोग बढ़े साहस से विपदा का सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से राहत प्रदान करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

केन्द्र द्वारा स्वीकृत 94·09 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक केवल 49 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। मै वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या शेष 45 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च से पहले दे दी जायेगी क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत धन राशि पहले ही खर्च कर चुकी है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैंने बताया है, जो वास्तविक रूप में व्यय किया गया है धनराशि उसी के आधार पर दी जायेगी। अतः यदि व्यय उस अवधि में होता है, तो धनराशि निश्चित रूप से दी जायेगी।

**श्री अन्नतराव पाटिल** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी वर्षा आने में 4 माह शेष हैं और राहत कार्य जुलाई, सितम्बर तक चलाने होंगे तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अनेकों लोगों को रोजगार प्रदान करना है और इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बहुत अधिक व्यय किया जाना है, क्या राज्य सरकार केन्द्र से और अधिक सहायता मांग सकती है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह सब राज्य सरकार के निर्णय तथा मूल्यांकन पर निर्भर है।

**Shri Arvind M. Patel**:—The Hon. Member has said that there are unprecedented drought conditions in Maharashtra. I can say that there are unprecedented drought conditions in Gujarat also and fodder, water and grains are not available there. Therefore, I would like to request the Hon. Minister to release the amount of assistance and provide in any form, maximum help to the State in terms of money, fodder or grains during this hour of calamity.

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : गुजरात में भी स्थिति विकट है और हमनें गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि केन्द्र इस मामले में निश्चय ही उनकी सहायता करेगा।

**श्री डी० पी० जदेजा** : मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय दल ने गुजरात का दौरा किया है। दल ने दौरा किया था और यह और भी दौरा करने जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने जिले सूखाग्रस्थ हैं जिनकी ओर अभी दौरा करने वाले केन्द्रीय दल का ध्यान नहीं गया है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : सही रूप से यह बताना मेरे लिये बहुत कठिन है कि उन्होंने कितने जिलों का दौरा किया। परन्तु राज्य सरकार की सूचना के अनुसार कि खरीफ की फसल की 81 लाख एकड़ भूमि सूखाग्रस्त है और रबी की फसल के अन्तर्गत 88,000 गांव आते हैं, पशुओं की कुल संख्या 49 लाख है। इन आंकड़ों से समस्या की व्यापकता का पता चल जाता है।

**श्री डी० पी० जदेजा** : मैंने जिलों के बारे में इसलिये पूछा था कि जामनगर एक ऐसा जिला है जहां इससे पूर्व कभी ऐसे भयंकर सूखे की स्थिति नहीं हुई। जैसा इस समय है ऐसा कभी नहीं हुआ। परन्तु दुर्भाग्यवश न तो किसी केन्द्रीय अधिकारी ने और न मंत्री महोदय ने इस जिले का दौरा किया है। क्या भविष्य में वे इस जिले का दौरा करेंगे ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : केन्द्रीय दल के दौरे की कार्यक्रम राज्य सरकार बनाती है क्योंकि अकाल आदि के बारे में उन्हें ही अधिक पता होता है। यह राज्य सरकार के कहने पर निर्भर है। केन्द्रीय दल के लोग भी अपनी ओर से पहल कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे उस स्थान पर भी जायेंगे और कार्यवाही करेंगे यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो मैं उसे योजना आयोग के सम्बद्ध व्यक्तियों के पास पहुंचा दूंगा।

**प्रो० मधु दंडवते** : महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से दो विशिष्ट मांगें की हैं। पहली यह कि राहत कार्यों में पश्चिम तट पर कोंकण रेलवे तुरन्त चलायी जाये। रेलवे बजट में सदन को बताया गया था कि उस पर वित्त मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है। अब जब सौभाग्यवश वित्त-मंत्री यहां उपस्थित हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि सक्रिय विचार के मामले में क्या प्रगति हुई है ? क्या यह अकाल की स्थिति समाप्त होने से पहले पूरा हो जायेगा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह वित्त मंत्रालय के ही विचाराधीन नहीं है अपितु सम्पूर्ण सरकार के विचाराधीन है।

**प्रो० मधु दंडवते** : हमें ऐसा ही बताया गया है। हमें रेल मंत्री ने बताया था कि मामला वित्त-मंत्रालय के विचाराधीन है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं भी सरकार की ओर से ही बता रहा हूं।

**श्री जगन्नाथराव जोशी** : उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या विचार कार्य अकाल की स्थिति समाप्त होने से पहले पूरा हो जायेगा। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

**प्रो० मधु दंडवते** : एक मंत्रालय के दो मंत्रियों ने परस्पर विरोधी उत्तर दिये हैं। अध्यक्ष महोदय आपको मामले का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखकर भेजिये तब मैं देखूंगा कि इसमें विरोधाभास कहां पर है तब मैं मामले का स्पष्टीकरण प्राप्त करूंगा।

**श्री पीलू मोदी** : स्पष्टीकरण न करें तो आप उन्हें पद से हटा दें।

**अध्यक्ष महोदय** : जब आप अध्यक्ष होंगे, तब ऐसा अधिकार आप को ही मिलेगा।

**श्री शंकरराव सावन्त** : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार को अब तक जो सहायता दी गई है वह उनकी मांग के अनुपात में बहुत कम है और यदि हां, तो की-गई मांग तथा दी गई सहायता में कितना अन्तर है? तीसरे, राज्य सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा करेगी।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जो मांग की जाती है, उसका मूल्यांकन एक मापदंड के अनुसार किया जाता है जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है इस के आधार पर यह सब किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न महाराष्ट्र और गुजरात के सम्बन्ध में है। मैं इन राज्यों के सदस्यों को ही बोलने का अवसर दूंगा।

**श्री पीलू मोदी** : मैं दोनों राज्यों से सम्बद्ध हूं।

**श्री एस० आर० दामाणी** : सरकार की नीति के इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये, कि राज्य ऐसी परियोजनायें आरम्भ कर सकते हैं। जिनसे अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी रूप से राहत मिले क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई तथा ग्राम विद्युतिकरण योजनाओं, को जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, स्वीकृति दी जायेगी और यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि बीच की स्वीकृत की जायेगी।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : माननीय सदस्य ने योजना की सामान्य योजनाओं के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**श्री पीलू मोदी** : महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों ही में अकाल की स्थिति बहुत गम्भीर है। दोनों सरकारों के समक्ष यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र सकार को 44,45 करोड़ रुपया दिया गया है जब कि गुजरात सरकार को केवल 3·5 से चार करोड़ रुपये के बीच की राशि दी गई है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : केवल 1·5 करोड़।

**श्री पीलू मोदी** : धनराशि देने में इतना भेदभाव क्यों किया गया है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वास्तव में धनराशि, किये गये वास्तविक व्यय तथा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दी जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि . . .

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : कितनी धनराशि प्राधिकृत की गई है। क्या प्राधिकृत राशि एक बहुत बड़ी राशि है। हो सकता है व्यय कम किया गया हो। परन्तु प्राधिकृत राशि क्या है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : आप राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राशि के बारे में जानना चाहते हैं।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : केन्द्र द्वारा की गई।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : हमने एक मापदंड बनाया है और धनराशि आवंटित करने के लिये कुछ क्षेत्र निर्धारित किये हैं। प्राधिकृत राशि इन क्षेत्रों पर दिये जाने वाले व्यय पर आधारित है।

**श्री पी० जी० मावलंकर** : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र को 49 करोड़ रुपये की राशि दे दी गयी है परन्तु प्रेस समाचारों से ज्ञात होता है कि लगभग 73 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है यह असंगति किस कारण से है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह असंगति स्वीकृत तथा दी गई राशि के बीच है। ये दोनों अलग चीजें हैं। नियतन एक चीज है और दी जाने वाली राशि दूसरी चीज है।

**श्री पी० जी० मावलंकर** : प्रैस रिपोट में कहा गया है कि यह राशि 74 करोड़ रुपये के लगभग है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : माननीय सदस्य मेरी दी हुई रिपोट देखें। प्रैस रिपोट के पीछे वह क्यों जाते हैं ?

**श्री पी० जी० मावलंकर** : इस स्पष्टीकरण के उपरान्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गुजरात की स्थिति भी महाराष्ट्र के समान ही गंभीर है अपितु महाराष्ट्र की अधिक गंभीर है। परन्तु गुजरात को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही क्योंकि केन्द्र सरकार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जोकि राजनीतिक दबाव डालकर गुजरात सरकार के लिये अधिक सहायता देने को कहें।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैंने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है और सदन को भी आश्वासन देता हूं कि गुजरात में सूखे की स्थिति दूर करने हेतु हम यथावश्यक सहायता प्रदान करेंगे न केवल गुजरात में ही अपितु देश के किसी भी कोने में लोगों के कष्टों को दूर करने में हम उनका साथ देंगे।

**श्री धर्मराव आफज़लपुरकार** : मैसूर में भी गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है और इससे गुलबर्गा बदिर, रायचूर, बीजापुर, बेलगाम तथा धारवाड़ आदि ज़िले प्रभावित हो रहे हैं . . . ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न महाराष्ट्र और गुजरात के संबन्ध में है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** :—There is droughts situation in M. P. also (Interruptions).

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : महाराष्ट्र और गुजरात के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी प्रश्न किए जा रहे हैं।

**श्री एच० एम० पटेल** : गुजरात के मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कहा था कि उन्होंने केन्द्र से 92 करोड़ रुपये सूखा सहायता के लिये मांगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : बिल्कुल ठीक है। विवरण में दिया हुआ है। हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे।

**श्री राम सहाय पांडे** : कृपया इस पर चर्चा की अनुमति दे दीजिए क्योंकि आधा देश सूखे से ग्रस्त है।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं महाराष्ट्र तथा गुजरात के सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। श्री गोर्टखिडे।

**श्री अण्णा साहिब गोर्टाखिडे** : इस आधार पर कि महाराष्ट्र राज्य को अकाल राहत कार्य के लिये जो भी धन दिया गया था उसे राज्य सरकार ने उचित रूप से व्यय किया है। और इस आधार पर कि पानी की कमी के कारण सैंकड़ों लोग गांवों की ओर से शहरों में आ रहे हैं। म जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पीने के जल–हेतु अधिक धन का आवंटन करेगी। ताकि राज्य सरकार इस ओर अधिक धन लगा सके और लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर सके।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मैं बता चुका हूं कि लगभग बचत कितनी है और तदनुसार ही व्यय के आधार पर धन दिया जाएगा।

मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह महसूस न करे कि उसके राज्य अर्थात् राजस्थान या मध्य प्रदेश की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं इस सम्बन्ध में एक अत्यंत संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

**श्री पीठ बेंकटसुब्बया** : मंत्री महोदय कुछ कह रहे थे जिसे हम शोर के कारण पूरी तरह नहीं सुन सके कृपया उन्हें दुबारा से कहने को कहिए ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : कुछ सदस्य ऐसा सोचते हैं कि हम केवल कुछ राज्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अन्य राज्यों के बारे में नहीं (व्यवधान) मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ सूचना है सूखे की स्थिति . . .

**श्री पी० एम० मेहता** : अध्यक्ष महोदय आप दिए गए विषय के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर प्रश्न उठाने की अनुमति न दें अन्यथा भविष्य में यह प्रथा बन जाएगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : केवल गुजरात और महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु, अन्य राज्यों के सदस्य भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिये मैं पृथक समय निश्चित करना चाहता हूं । इस समय आप कृपया जो जानकारी आपके पास है उसे कृपया दे दें ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : वर्ष 1972–73 के दौरान 22 फरवरी तक राज्यों के लिये नियत की गई राशि और दी गई राशि के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । उदाहरण के लिये प्राकृतिक प्रकोप आदि जैसे सूखे और तूफान के लिये आंध्र प्रदेश को अनुदानों के माध्यम से 74 करोड़ रुपये तथा तूफानों के लिये 7 करोड़ रुपये की मांग की थी । वित्त मंत्रालय ने इस प्रकार होने वाली क्षति के लिये केन्द्रीय सहायता की जो सीमा निश्चित की है वह इस प्रकार है । सूखा के लिये 28 करोड़ रु० तथा तूफानों के लिये 71 लाख रुपये । आसाम के लिये यह 4 करोड़ रु० और 72 करोड़ रु० बिहार के मामले में 30 करोड़ रु० और 20·4 करोड़ रुपये गुजरात के मामले में 6·9 करोड़ रुपये और केरल के मामले में 1·27 करोड़ रुपये था । दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है किन्तु एक केन्द्रीय दल से स्थिति की जांच करने के लिये कहा गया है तथा उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है ( एक माननीय सदस्य–और मैसूर के बारे में) मैसूर के बारे में स्वीकृत नियत राशि 7·75 करोड़ रुपये थी । किन्तु मैंने 10 करोड़ रुपये की राशि देनी मंजूर की है जिसमें से 8 करोड़ रूपये दिये जा चुके हैं ।

**Shri Onkar Lal Berwa** : What about Rajasthan ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण**: राजस्थान के लिये इस वर्ष 6·60 करोड़ रुपये, तमिल नाडु के लिये 1·5 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिये 8·10 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिये 10·8 करोड़ रुपये और उड़ीसा के लिये 14·6 करोड़ रुपये दिए गए हैं . . . . . (व्यवधान)

**प्रो० मधुदंडवते** : हममें से कुछ सदस्यों ने सूखा स्थिति पर खाद्य मंत्री के दिए हुए वक्तव्य के बारे में चर्चा करने की अनुमति मांगी है ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : महाराष्ट्र में स्थिति अत्यंत बिगड़ती जा रही है । भोजन के अभाव में लाखों लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं और व्यापारी तथा काले बाजार वाले उनका अनुचित लाभ उठा रहे हैं । उन्हें आधे वेतन पर रोज़गार दिया जा रहा है । बम्बई शहर में 8 रुपये प्रति दिन कमाने वाले मज़दूर केवल 3 रुपये रोज़ पर नौकर रखा जा रहा है । ऐसा कांग्रेस राज्य में हो रहा है और श्री चव्हाण वित्त मंत्री हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

### भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी निवेश सम्बन्धी पद्धति का सव-क्षण

*66. **श्री एस० ए० मुरुयन्तम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी निवेश सम्बन्धी पद्धति का हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) **और (ख)** एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पूंजी-निवेश का सर्वेक्षण हर वर्ष 31 मार्च को किया जाता है । सबसे हाल का सर्वेक्षण, जिसकी सूचना प्रकाशित की गयी है, 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में है । इस सर्वेक्षण का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बक के नवम्बर 1972 के बुलेटिन में दिया गया है ।

2. इस सवक्षण के अन्तर्गत भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों और विदेशो मे स्थित भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यलयों के द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रति-भूतियों, अन्य न्यासी प्रतिभूतियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों, बकों केसावधि जमा खातों आदि में किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा दिया गया है । इस सर्वेक्षणके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(क) 31 मार्च, 1971 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल निवेश जिसमें भारतीय बैंकों के विदेशों में स्थित कार्यालयों का निवेश भी सम्मिलित है, 1871 करोड़ रुपये था । आलोच्य वर्ष के दौरान निवेश में 284 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो उससे पिछले वर्ष हुई 176 करोड़ रुपये की वृद्धि से अधिक थी ।

(ख) मार्च, 1970 के अन्त से मार्च 1971 के अन्त तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में किये गए निवेशों के अनुपात में कमी आई और राज्य सरकारों तथा "अन्य न्यासी प्रतिभूतियों" में किये गये निवेश के अनुपात में वृद्धि हुई ; और

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की परिपक्वता के स्वरूप के देखने से पता चलता है कि मार्च 1970 के अन्त से लेकर और मार्च 1971 के अन्त तक की अवधि में अल्पावधिक और मध्यावधिक प्रतिभूतियों में निवेश किये जाने के बजाय अब दीर्घा-वधिक प्रतिभूतियों में निवेश किया जाने लगा है ।

## कीमतों में वृद्धि

*67. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

**श्री ए० एम० जोजफ :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 जनवरी 1973 के "इकानामिक टाइम्स" बम्बई में "स्काई राकेटिंग प्राइसिज-कन्ज्यूमर्ज में एरप्ट-एनी टाइम (कीमतों में भारी वृद्धि–उपभोक्ता किसी भी समय भड़क सकते हैं)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) : जी, हां। 17 जनवरी, 1973 के इकनामिक टाइम्स में "स्काई राकेटिंग प्राइसिज-कन्ज्यूमर्स मे एरप्ट एनी टाइम (कीमतों में भारी वृद्धि-उपभोक्ता किसी भी समय भड़क सकते हैं)" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। यह समाचार बम्बई में कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के बारे में था।

(ख) : सरकार खुदरा मुल्यों में हो रही वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में चिन्तित है। इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि को रोकने का उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय। राज्य सरकार इस दिशा में उपयुक्त कदम उठा रही है। लेकिन बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या का सम्बन्ध मूलत: आवश्यकता वस्तुओं विशेष रूप से खाद्यान्नों की कमी से है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसने मूल्यों पर विशेषत : आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें ये उपाय भी शामिल हैं : रबी के उत्पादन में वृद्धि करने का द्रुतप्रभावी कार्यक्रम, खाद्यान्नों और खाद्य तेलों / तेलहनों का भारी मात्रा में आयात, चीनी और नियंत्रित किस्मों के कपड़े के मामले में मूल्य और वितरण सम्बन्धी नियंत्रणों को कड़ा करना, सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार और सरकारी स्टाक से खाद्यान्न की निकासी वृद्धि में सट्टेबाजी पर रोक और मुद्रा और राजस्व विषयक उपायों द्वारा अतिरेक मांग को कम करना।

## राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मेवों के व्यापार की दिशा में हुई प्रगति

*68. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मेवों के व्यापार की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस व्यवस्था को लागू करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) गैर-सरकारी आयातकों को इस व्यापार में होने वाले अधिक लाभ को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) मेवों के आयात के लिए भारत-ईरान व्यापार करार इस समय किस स्थिति में है ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय) :**

**(क) से (ग) : मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।**

(घ) भारत-ईरान व्यापार करार की अवधि जो 10 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हो गयी, 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

**Foreign Exchange Sanctioned for Articles Displayed by various Countries in their Stalls at Asia 1972**

***69. Shri Dhan Shah Pradhan :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned for buying articles displayed by various countries in their stalls at Asia '72 Trade Fair;

(b) whether our foreign trade policy has undergone any change as a result of holding the said Fair; and

(c) the salient features of new trade agreements signed in this regard ?

**The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya ):**

(a) Rs. 4·18 crores.

(b) The Fair itself is a product of our foreign trade policy, the objective of which is to improve our trade relations with the developing world and with developed countries.

(c) Question does not arise.

**टाटा, बिड़ला और साहू–जैन उद्योग समूह द्वारा कम राशि तथा अधिक राशि के बीजक बनाना**

***70. कुमारी कमला कुमारी :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा, बिड़ला तथा साहु-जैन उद्योग समूह की ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जो विदेशों में हैं तथा वे कहां स्थित हैं; और

(ख) उनको कम राशि तथा अधिक राशि के बीजक बनाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ) :**

**(क) तथा (ख)** टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूह की विदेशी स्थित कम्पनियों तथा अधिक राशि तथा कम राशि के बीजक बनाने की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा सामान्य रूप से किये गए उपायों के संबंध में जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। साहू जैन उद्योग समूह के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यथा शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

**विवरण**

(क) विदेशों में निगमित जिन कम्पनियों में टाटा और बिड़ला के अधिकांश अथवा पूर्ण शेयर हैं उनके नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं :—

**टाटा समूह**

1. टाटा इन्कार्पोरेटिड, न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका ।
2. टाटा लिमिटेड, लन्दन ।
3. टाटा इन्टरनेशनल ए०जी०, स्विटजरलैंड ।

**बिड़ला समूह**

1. दि ईस्ट इंडिया प्राड्यूस कं० लि०, लन्दन ।

अनुभंगी कम्पनियां :—

(क) दि अमेरिकन ईस्ट इंडिया कार्पोरेशन, न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका ।

(ख) ग्रीन एण्ड निकल्स लि०, लन्दन ।

2. बिड़ला ए० जी० जुग, स्विटजरलैंड ।

3. दि ट्रेडिंग इंजीनियरिंग एजेंसीज कार्पोरेशन, जेनेवा (जिसका नाम अब है ज्योति एस० ए० स्विटजरलैंड)

4. ट्रेडर्स इन्टरनेशनल इन्क, वाशिन्गटन, संयुक्त राज्य अमरीका ।

5. हांगकांग कमर्शियल हाउस लि०, हांगकांग ।

6. संयुक्त उद्यम :

(क) इंडया-कलयेशिया टैक्सटाइल्स, बरहाद ।

(ख) टाटा, बिड़ला तथा साहू जैन समूहों की अनुभंगी कम्पनियां विदेशी मुद्रा नियंत्रण,प्रयोजनों के लिए नान-रेजिडेंट हैं और रेजिडेन्टस् के लिए प्रयोज्य उपबंधों से बाध्य नहीं हैं। तथापि, जब भी कभी कदाचार के मामले सरकार की जानकारी में आयेंगे, उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. तथापि, सरकार कम राशि के और अधिक राशि के बीजक बनाने की सामान्य समस्याओं से अवगत है और समस्या का समाधान करने के लिए समय समय पर विशिष्ट उपाय किये गए हैं। 1968–69 के 56 वें प्रतिवेदन की कंडिका 1·55 में निहित लोकलेखा समिति की सिफारिश के अनुसरण में अधिक राशि तथा कम राशि के बीजक बनाने के जरिये विदेशी मुद्रा के दुर्विनियोग की समस्या का अध्ययन करने तथा ऐसे कदाचारों की रोकथाम के लिए सिफारिशें देने के लिए एक अध्ययन दल बनाया गया। अध्ययन दल का प्रतिवेदन नवम्बर, 1971 में संसद के समक्ष रख दिया गया था।

3. सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में विभिन्न अधिनियमों जैसे कि सीमा-शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधि नियम, सैन्ट्रल एक्साइज तथा साल्ट अधिनियम, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, पास पोर्ट अधिनियम आदि को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का कार्य चल रहा है। वास्तव में विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक, जिसमें अपेक्षित संशोधन समाविष्ट थे, संसद के गत सत्र में लाया गया था। सीमा-शुल्क अधिनियम, सैन्ट्रल एक्साइज तथा साल्ट अधिमियन, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के संशोधनार्थ विधेयक भी संसद के समक्ष है।

4. अधिकांश सिफारिशों के सम्बंध में सरकार द्वारा निर्णय लिये जा चुके हैं। कुछ सिफारिशों के संबंध में अभी वित्त मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया, सैन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन और संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में अधिकारियों का एक स्थान पर रहना**

*71. **श्री मोहन राज :**

**क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क विभाग के डिप्टी कलक्टर के एक स्थान पर रहने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह अवधि कितनी है ; और

(ग) क्या कुछ अधिकारियों को, जिनको 1970 में पदोन्नत करके दिल्ली से बाहर तबादला किया गया था, वापस दिल्ली बुला लिया गया है जबकि वे अपने पदों पर तीन वर्ष तक भी नहीं रहे तथा अभी विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्ति की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)**

**(क) तथा (ख)** : ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी है हालांकि उपसमाहर्ताओं को साधारणतया एक स्थान पर तीन वर्ष रहने के पश्चात् स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

(ग) ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां उप-समाहर्ता के ओहदे पर 1970 में पदोन्नत अधिकारियों को एक स्थान पर तीन वर्ष पूरा कर लेने से पहले ही, दिल्ली में विशेष वेतन पदों पर स्थानान्तरित करना पड़ा था । इन अधिकारियों में एक ऐसा अधिकारी शामिल है जिसे अप्रैल, 1970 में उप-समाहर्ता के रूप में पदोन्नत किये जाने पर दिल्ली से बाहर तैनात किया गया और दिसम्बर, 1972 में एक विशेष वेतन पद पर दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया था ।

**विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करनेके लिये भारतीय निर्माताओं का सार्थ संघ**

*72 **(श्री एच० एम० पटेल)**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में बड़े बड़े संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये सरकार ने भारतीय निर्माताओं के सार्थ संघ के सर्जन को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ तथा विभिन्न उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ऐसे देशों के बारे में जहां ऐसे संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाने हैं, कोई योजना बनाई गई है ।

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :**

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय निर्माताओं का सार्थ संघ बनाने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्थापना नहीं है ।

**(ख) तथा (ग)** : प्रश्न नहीं उठते ।

**भारत की विदेशी मुद्रा निधि में कमी**

***73. श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च–अप्रैल 1973 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा निधि में कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो 1973 में भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**

(क) : जी हां ।

(ख) इस बात की संभावना है कि 1972–73 में शोधन-शेष सम्बन्धी स्थिति चिंताजनक रहेगी । शोधन–शेष की सक्षमता बहुत हद तक, इस बात पर निर्भर करेगी कि आयात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिये देश के अन्दर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने, निर्यात को बढ़ाने और आयात–प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की हमारी क्षमता कितनी है ।

**प्राकृतिक रबर का उत्पादन और इसकी आवश्यकता**

***75. श्री सी० जनार्दन :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम प्राकृतिक रबर के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गये हैं ;

(ख) रबर की वर्तमान आवश्यकता क्या है तथा देश में इसका कितना उत्पादन होता है; और

(ग) इस समय हम कितनी मात्रा में रबर की आयात करते हैं तथा पिछले तीन वर्षों में यह मात्रा कितनी थी ?

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :**

(क) जी हां :

(ख) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1972–73 के दौरान संपूर्ण रबर उद्योग में 1,13,000 मी० टन के प्राक्कलित उत्पादन के मुकाबिले में 1,05,000 मी० टन प्राकृतिक रबर की खप्त होगी ।

(ग) गत तीन वर्षों में आयात की गई प्राकृतिक रबड़ (हैविया) की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :–

| | |
|---|---|
| 1969–70 | 13,562 मी० टन |
| 1970–71 | 1,824 ,, |
| 1971–72 | 405 ,, |

## उपदान (ग्रेच्युटी) को आयकर से छूट देना

76. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

**श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपदान (ग्रेच्युटी) को आयकर से छूट देने हेतु उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर और आगे जांच करने का निर्णय किया है ;

और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

## पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात में कमी

*77. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात में हाल में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कमी के क्या कराण हैं।

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :**

(क) जी नहीं।

(ख) **तथा** (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## Memorandum Submitted by All-India Bank Employees Association

*78. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) whether a deputation of All-India Bank Employees Association met him in the third week of January 1973 ;

(b) whether they gave him any memorandum and also gave some suggestions in regard to the functioning of the Banks and distribution of loans etc; and

(c) if so, the salient features thereof and the reaction of Government thereto

**The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan)**

**(a) & (b)** : No, Sir.

**(c):** Does not arise.

**वाणिज्यक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋण**

*79. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यक बैंकों द्वारा वर्ष 1972 में दिये गये ऋणों का केवल 5·6 प्रतिशत भाग ही कृषि क्षेत्र को प्राप्त हुआ है और क्या कृषि क्षेत्र को दिये गये अपेक्षाकृत इतने कम ऋणों का अधिकांश भाग धनी किसानों को ही प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक–ऋणों की राशि में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

**(क) से (ग)** : एक विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

यद्यपि यह कहना ठीक नहीं है कि वाणिज्यक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण में कृषि को दिये जाने वाले ऋण का अनुपात केवल 5 से 6 प्रतिशत तक होता है, तथापि कृषि को दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत, बैंक द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों के अनुपात में कम है। जून 1969 में यह अनुपात 5·2 प्रतिशत था अब यह बढ़कर 30 जून, 1972 को केवल 8 प्रतिशत हुआ है।

इसके लिये जो कारण जिम्मेदार हैं इनमें से एक मुख्य कारण वाणिज्यिक बैंकों में कृषि ऋण का काम करने वाले अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होना है। बैंक, किसानों को ऋण संबंधी सुविधाएं उनकी आवश्यकता के अनुसार और उनके द्वारा अपनी बचत में से लागत के भाग को पूरा किए जाने की उनकी क्षमता के अनुसार देता है। इसलिये इस बात से बचा नहीं जा सकता है कि अधिक जोत वाले किसान अधिक रकम प्राप्त करेंगे। फिर भी 5 एकड़ तक भूमि वाले छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में खातों की संख्या उतनी ही है जितनी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले बड़े किसानों की है ।

बैंक अपने कृषि सम्बन्धी तंत्र में वृद्धि करके, और प्रक्रिया को सरल बनाकर भी स्थिति में सुधार करने के लिये कई कदम उठा रहे हैं। कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिये बैंक अब क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण अपना रहे हैं और कुछ मामलों में किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने के लिये प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को अपना रहे हैं।

**रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्य–करण की जांच के लिये की गयी मांग**

*80. **श्री पी० ए० सामिनाथन**

**श्री रामसहाय पांडे :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच की मांग की गयी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसको अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण)**

**(क) से (ग)** कुछ बैठकों में विचार विमर्श के दौरान रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये थे। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच करने के लिये सरकार आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझती।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा कमाया गया लाभ**

601. **श्री बेकारिया :**

**डा० महीपतराय मेहता :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–चीन युद्ध 1962 के बाद खादी ग्रामोद्योग, नई दिल्ली द्वारा कमाये गये लाभ को कर्मचारी लाभ आरक्षण निधि में जमा किया गया ;

(ख) यदि हां, तो 1962 में अब तक आरक्षण निधि में कितनी राशि जमा की गई है ;

(ग) क्या अब इस राशि को कर्मचारियों में बांटे जाने के बजाय भवन के पूंजी लेखे में जमा कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्ततः इस राशि का किस ढंग से उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्यक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**

(क) जी हां।

(ख) एक लाख साठ हजार रुपये मात्र।

**(ग) तथा (घ)** : आयोग के सभी व्यापारिक एककों की निवल वेशियों या घाटों को पल करने तथा केन्द्रीय कार्यालय में निवल वेशियों के भाग में से कर्मचारियों के कल्याणकार्यों के लिये वित्त की व्यवस्था करने हेतु यह राशि पूंजी लेखे के माध्यम से मुख्य कार्यालय को हस्तांतरित कर दी गई थी। आयोग ने अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श से यह विनिश्चय किया कि आयोग के व्यापारिक एककों को केवल प्राविजन्स की आवश्यकता है, रिजर्वस की नहीं।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में मंहगाई भत्ते को मकान किराया भत्ते में परिवर्तित करना**

602. **श्री वेकारिया :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामौद्योग भवन, नई दिल्ली, के कर्मचारियों को दिया गया मंहगाई भत्ता किराया मकान भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान**

603. **श्री धनशाह प्रधान :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामौद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, के कर्मचारियों को उपदान दिए जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) खादी भवन के कर्मचारियों की इस चिरकालीन मांग पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की आशा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**

**(क) तथा (ख)** आयोग के व्यापार सम्बन्धी कर्मचारियों के लिये उपदान योजना लागू करने का हाल ही में विनिश्चय किया गया है ।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली सम्बंधी चान्दीवाला पंचाट**

604. **श्री धनशाह प्रधान :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी भवन, नई दिल्ली के बारे में चांदी-वाला पंचाट को क्रियान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

चांदीवाला पंचाट का कार्यान्वयन निम्नलिखित को छोड़कर, जिनको अभी तय किया जाना है, पूरा हो गया है : –

(1) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन ;

(2) वरिष्ठता सूची को अतिन्म रूप देना ; और

(3) ग्रेच्यूटी लाभ का लागू किया जाना ।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना**

**605 श्री घनशाह प्रधान :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) खादी ग्रामौद्योग, नई दिल्ली, के कर्मचारियों के लिये दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है।

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की घोषणा से पहले अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

**(क) से (ग)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी**

**606. डा० महीपत राय मेहता :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** खादी ग्रामोद्याग भवन, नई दिल्ली, में चोरी के बारे में 20 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित खादी भवन की तिजोरी से गायब हुई धनराशि की जांच का कार्य अब किस चरण में है ;

(ख) कदाचारी कर्मचारियों से उक्त राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) खादी भवन के धन की इस प्रकार की चोरियों की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**

(क) आयोग द्वारा पुलिस जांच तथा विभागीय जांच सम्बन्धी रिपोर्टों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

**(ख) ऊपर (क)** को देखते हुए इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कनाट सर्कस स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाम की शाखा में एक संग्रहण लेखा खोलने का प्रबन्ध किया जा चुका है, जिससे बैंक में उसी दिन ये संग्रहित राशियां जमा की जा सकें। सुरक्षा की दृष्टि से दिन भर में संगहित राशि में से बड़ी राशि, यदि कोई हो, रखने के लिये बड़े आकार की दो स्टील की अलमारियां दे दी गई हैं।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिये निधियों का आवंटन तथा व्यय**

**607. डा० महीपत राय मेहता :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कुल कितना धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन कुल कितनी राशि खर्च की गई :—

(एक) आयोग की सिब्बन्दी ;

(दो) विभिन्न खादी भवनों की सिब्बन्दी ;

(तीन) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता ; तथा

(चार) खादी भवनों के कर्मचारियों को अदा किया गया यात्रा-भत्ता ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

**(क) तथा (ख)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में मैनेजर का पद**

**608. डा० महीपत राय महता:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन ने हाल ही में 700–1100 रुपये के वेतन-मान में मैनेजर के एक पद के लिये विज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और मैनेजर का चुनाव किस प्रकार किया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां ।

(ख) 13 आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं और चयन बोड द्वारा इण्टरव्यू के आधार पर किया जाएगा ।

**नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को वस्त्र धुलाई भत्ता**

**609. डा० महीपत राय मेहता :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खादी भवन के कर्मचारियों को दिय जाने वाल खादी वस्त्रों के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर धुलाई खर्च में हो रही वृद्धि को देखते हुए, सरकार का विचार धुलाई खर्च को वर्तमान तीन रुपये प्रति मास की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) आयोग द्वारा चलाये जा रहे भवन में वस्त्र धुलाई भत्ते की दर आयोग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लागू होने वाली दर से एक रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति अधिक है ।

**आपसी हित के मामलों पर फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत**

610. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार के बारे में दिसम्बर, 1972 में भारत से विस्तृत बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत की गई थी और उसमें क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो फ्रांस के विदेश मंत्री द्वारा पहल किये जाने पर भारत और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये प्रबन्धों को सुविधाजनक बनाने हेतु सिद्धान्त रूप में सहमत हो गये हैं और उनका स्वरूप क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) से (ग) : जी हां, वार्षिक भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ताएं 5 व 6 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई । फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष फ्रांस के विदेश मंत्री के प्रतिनिधि मंत्री मिस्टर एन्डीर बेटनकार्ट थे । भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष विदेश कार्य मंत्री थे । इन परामर्शों के अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों आदि भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सम्बन्धों सहित बहुत से विषय शामिल थे । ऐसे द्विपक्षीय परामर्श गोपनीय प्रकार के हैं और इन विचार-विमर्शों के ब्योरे बताने की प्रथा नहीं है ।

**पश्चिम-बंगाल सूती कपड़ा उद्योग को सहायता**

611. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के काटन मिल मालिकों को कपास उगाने वाले अन्य क्षेत्रों से कपास लेने के लिये प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपया देना पड़ता है ;

(ख) क्या परिवहन की यह भारी लागत उत्पादन लागत में जमा हो जाती है जिससे पश्चिम बंगाल में बना कपड़ा देश के भीतर की मंडी में भी कम प्रतियोगितात्मक होता है ;

(ग) क्या उद्योग ने इस कमी की ओर सरकार का बार बार ध्यान दिलाया है और अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल द्वारा मिलों के लिये मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाये; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा उद्योग को सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**

(क) से (घ) : इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पश्चिम बंगाल की सूती वस्त्र मिलों को देश के रूई उपजकर्ता केन्द्रों से रूई की ढुलाई पर अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है जिससे कि उत्पादन लागत अपेक्षतया बढ़ जाती है। इस मामले पर तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री द्वारा 13-1-1973 को सम्बन्धित राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के साथ की गई बैठक में विचार किया गया। इस मामलेकी सविस्तार जांच करने के लिये सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

**संयुक्त भारत-बंगलादेश पटसन मूल्य नीति**

612. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट वर्कर्स एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि विश्व प्रतियोगिता तथा सिंथेटिक से प्रतियोगिता का सामना करने के लिये संयुक्त भारत-बंगलादेश पटसन मूल्य नीति बनाई जाये ;

(ख) क्या एसोसियेशन ने दोनों देशों के बीच पटसन में संयुक्त अनुसंधान का सुझाव भी दिया है जिससे भारत और बंगलादेश की पटसन की प्रतियोगिता की क्षमता को बढ़ाया जा सके; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जूट वर्कर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष ने 16 सितम्बर, 1972 को हुई एसोसियेशन की वार्षिक सामान्य बैठक में अपने भाषण में भारत तथा बंगलादेश के बीच सहयोग के लिये सुझाव दिये थे।

(ग) विश्व अर्थ व्यवस्था में पटसन तथा पटसन माल के हित की रक्षा हेतु दोनों देशों के प्रयत्नों को सफल बनाने के उद्देश्य से पटसन पर एक संयुक्त-भारत-बंगलादेश अध्ययन दल स्थापित किया गया है।

**रुपय के मूल्य म कमी**

613. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि पांच वर्ष पूर्व जो रुपये का मूल्य था उसकी तुलना में दिसम्बर, 1972 में रुपये के मूल्य में कितनी कमी हूई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : वर्ष 1948–100 को आधार मानकर आंके गए अखिल भारतिय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार, रुपये की क्रय शक्ति जो दिसम्बर 1967 मे 46·7 पैसे थी, कम होकर दिसम्बर, 1972 में 39·2 पैसे रह गई अर्थात् इसमें 16 प्रतिशत की कमी हो गई।

**मूल्य वृद्धि के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें**

614. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वेतन आयोग से वर्ष 1972 के अन्त तक हुई मूल्य-वृद्धि को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, यदि नहीं तो आयोग अपनी सिफारिशें किस अवधि तक सीमित रखेगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : तृतीय वेतन आयोग के निर्देश पदों के अनुसार, आयोग को अपने कार्य संचालन के लिए अपनी क्रिया विधि निश्चित करने की छूट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की समय समय पर प्रवर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए आयोग की अपनी व्यवस्था है। इस बारे में सरकार द्वारा आयोग को सलाह दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता चलेगा कि आयोग की सिफारिशें किस सूचकांक-स्तर से सम्बद्ध है।

**Import of goods from U.S.S.R.**

**615. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods imported from U.S.S.R. during the financial year 1970-71 and 1971-1972;

(b) the main commodities imported therefrom ; and

(c) the value of goods being imported in the year 1972-73 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George):**

(a) The value of goods imported from USSR during the financial years 1970-71 and 1971-72 is given below :—

| | Rs. Crores |
|---|---|
| 1970-71 | 106·13 |
| 1971-72 | 81·66 |

(b) The main commodities imported from USSR were : machinery and equipment, asbestos, petroleum products, fertilizers, drugs and pharmaceuticals, zinc, nickel, copper, rolled steel products, refractories, newsprint, palladium and spares and components for Soviet-assisted projects in India.

(c) The value of goods to be imported from USSR during 1973, as per the Trade Protocol signed with them is likely to be about Rs. 152 crores. The value of imports from USSR during 1972-73 (April-August) is Rs. 38·94 crores.

**Enquiry in respect of 'Daily Avantika'**

**616. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3550 on the 8th December, 1972 and state :

(a) whether the inquiry in respect of "Avantika" has since been completed;

(b) if so, the results thereof ;

(c) whether Government have received a complaint from some Members of Parliament alleging sale of news-print by the owners of the daily "Avantika"; and

(d) if so, the names of the parties mentioned in the complaint ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George).**

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) & (d) Yes Sir. The Hon'ble Member Shri Hukam Chand Kachwai who has tabled this question, had himself addressed a complaint to the Deputy Minister for Information and Broadcasting in 1972. It would not be expedient in the interest of enquiry which is being conducted to reveal the names of other parties mentioned in complaint of the Hon'ble member.

**Increase in operational expenditure of Air India in 1971-72 in comparison to 1970-71**

**617. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there has been increase in the operational expenditure of Air India during the financial year 1971-72 in comparison to the year 1970-71 ;

(b) if so, the extent thereof ; and

(c) its impact on profit and loss of Air India?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation** : (Dr. Karan Singh)

**(a) & (b)** : There has been an increase of 16·1% in the operational expenditure of Air India in 1971-72 as compared with 1970-71 due to increases in costs including fuel and oil, airport charges and expenditure on staff.

(c) The operating profit for 1971-72 was Rs. 0·78 crores as compared with Rs. 4·58 crores in 1970-71.

**मदुरै स्थित केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कलक्टरी द्वारा अन्य पार्टी के माल का पकड़ा जाना**

618. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त मंत्री** मदुरै स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी द्वारा अन्य पार्टी के माल के पकड़े जाने के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर के साथ अपेक्षित जानकारी को सभा-पटल पर रखने में क्या कठिनाइयां थीं ; और

(ख) क्या उक्त जानकारी वह अब सभा-पटल पर रखेंगे ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) तथा (ख) :दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5426 का उत्तर देते समय यह आशा थी कि सभा के पिछले सत्र के दौरान ही संसदीय मामलों के विभाग को सदन की मेज पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव होगा । दुर्भाग्यवश उस सत्र में यह सम्भव नहीं था, किन्तु अब 22 फरवरी, 1973 को आवश्यक कारवाई कर ली गयी है ।

**उत्पादन तथा सीमाशुल्क विभाग में तलाशी लेने वाली महिलायें**

619. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या वित्त मंत्री 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ तथा दिल्ली स्थित केन्द्रीय सीमाशुल्क कलेक्टोरेट में तलाशी लेने वाली महिलाओं की पदोन्नति संबंधी मामला इस समय किस अवस्था पर है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

**एशिया, 1972 के दौरान लघु उद्योगों के उत्पादों के लिये नये व्यापार करारों पर हस्ताक्षर**

620. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया '72 के व्यापार मेले के दौरान लघु उद्योग के उत्पादों के निर्यात करारों के क्षेत्र में भारी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ नये करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) क्या यह दीर्घकालीन करार है, और यदि हां, तो उनकी अवधि क्या है ; और

(घ) निर्यात के क्षेत्र में भारी सफलता किन औद्योगिक सामानों के कारण हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां ।

(ख) सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, स्वीडन, स्पेन, आस्ट्रेलिया, सं० रा० अमरीका, ईरान, हालैण्ड, पश्चिम जर्मनी, कुवैत, ब्रिटेन आदि ।

(ग) ये केवल निर्यात क्रयादेश हैं ।

(घ) साइकलें तथा उनके हिस्से पुर्जे, रेफरीजरेटर्स, वैकुम फ्लास्क, चिकित्सा संबन्धी औजार, गैरेज उपस्कर, दस्ती औजार, अलार्म क्लाक, ब्रेक-सोल तथा ढलवां लोहा, बाढ़ लगाने के संघटक, इंडस्ट्रियल फास्टनर्स, स्टेनलैस स्टील के छुरी कांटे ताले तथा पैडलाक आदि ।

**निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा की गई भर्ती**

621. **श्री बयालार रवि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद्, एजेन्सी में भर्ती सम्बन्धी कोई विशिष्ट नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि नियमानुसार भर्ती नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो, इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**स्कूटर और कारें खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किये गये ऋण**

623. **श्री आर० वी० बड़े :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्कूटर और कारें खरीदने के लिये 1971-72 में कितना ऋण मंजूर किया गया ; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये 1972–73 में कर्मचारियों को कितने ऋण की मंजूरी की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** :(क) मांगी गई सूचना केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जानी है, और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के लिये वर्ष 1972–73 के बजट अनुमानों में 16 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मोटरकार, स्कूटर, मोटर साईकिल, बाई-सिकल जैसे सभी प्रकार के वाहनों की खरीद के अलावा बिजली के पंखे, गरम कपड़े आदि अन्य मदों की खरीद के लिये भी ऋण देने की व्यवस्था शामिल थी । केवल स्कूटरों और मोटर कारों की खरीद के लिये ऋणों के सम्बन्ध में वर्ष 1972–73 में हुई मांगों को दृष्टि में रखकर किये जाने वाले अनु-मानित व्यय के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करना होगा । उसे एकत्र किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

**युगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई**

624. **श्री पी० ए० स्वामिनाथ्न :**

**श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की पहली खेप बैलग्रेड को भेज दी गई है ;

(ख) क्या युगोस्लाविया ने 3600 माल डिब्बों का एक बड़ा क्रयादेश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने माल डिब्बे सप्लाई कर दिये गये हैं ; और

(घ) इस वर्ष कितने माल डिब्बे सप्लाई किये जायेंगे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) यूगोस्लाविया में संयोजित करने हेतु उपसंयोजित 50 माल डिब्बा सैट तथा एक प्रोटोटाइप संयोजित माल डिब्बा अब तक जहाज द्वारा भेजा गया है ।

(घ) यूगोस्लाविया में संयोजित करने के बाद सपुर्दगी के लिए 1973 के दौरान लगभग 1550 माल डिब्बे अर्ध-संयोजित अवस्था में भेजे जाने की संभावना है ।

**पोलैण्ड द्वारा वैगनों का क्रय**

625. **श्री राम कंवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौलैण्ड ने भारत से एक बड़ी संख्या में रेलवे बैगन क्रय करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वैगन खरीदे जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप देश द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की आशा है ?

**वणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) यह सौदा अभी बातचीत की अवस्था में है।

**बिहार सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता :**

626. **कुमारी कमला कुमारी** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और छोटानागपुर को, विशेषकर सिंचाई परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) उत्तरी बिहार के कुछ जिलों और गंडक नदी के वाह-क्षेत्र पर आधारित कृषि ऋण परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो आसान शर्तों पर ऋण देने वाली और विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, विकास ऋण प्राप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा अभी तक इस प्रस्ताव की जांच नहीं की गयी है। किसी सिंचाई परियोजना के लिए ऋण लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत खेतों का विकास करने (नलकूपों, पम्प सेटों, कृषि उपकरणों आदि की व्यवस्था करने), भूमि को समतल बनाने, और मीन क्षेत्रों और फलों के बागों का विकास करने का काम किये जाने की सम्भावना है।

**राजस्थान नहर के लिये विश्व बैंक से ऋण**

627. **श्री लालजी भाई** : क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि की मांग की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारत सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के पहले दौर से सम्बन्धित सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिये ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से (जो विश्व बैंक समूह का एक अंग है) बातचीत की है। जहां तक परियोजना के दूसरे दौर अर्थात् राजस्थान नहर के पूरा होने का सम्बन्ध है, विश्व बैंक से केवल स्थूल रूप से ही चर्चा हुई है और तत्काल कोई सहायता प्राप्त होने की आशा नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**भारतीय सूती कपड़ा उद्योग द्वारा स्वैच्छिक निर्यात**

**628. श्री के० लकप्पा :**

**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा उद्योग ने वर्ष 1973 में अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत स्वेच्छा से निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या इससे भारत की निर्यात-आय में वृद्धि होगी, और यदि हां, तो कितनी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :(क) जी हां ।

(ख) दायित्व के आधार पर निर्यात-आय वर्ष-1973 के दौरान सूती वस्त्र उत्पादन के स्तरों पर निर्भर होगी । विद्युत शक्ति में वर्तमान कटौतियों को देखते हूए,जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, निर्यात-आय के किसी विशिष्ट स्तर का बताना कठिन है ।

**कृत्रिम रेशों के संबंध में अनुसंधान**

**629. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रायः 80 प्रतिशत लोग कृत्रिम रेशों के स्थान पर रूई का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार कृत्रिम रेंशों के संबंध में गहन अनुसंधान करने के लिये एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) क्या निर्माताओं को ये अनुदेश दिये गये हैं कि वे कृत्रिम-रे ों को इस प्रकार बनायें कि जनसाधारण भी उसे उपयोग में ला सकें ; और यदि हां, तो इस संबंध में निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वणिज्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हां ।

**(ख) तथा (ग)** : जी नहीं ।

**सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता**

**630. श्री प्रबोध चन्द्र :**

**श्री रणबहादुर सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक सूखाग्रस्त राज्यों को कुल कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

**1972-73 में सूखा सहायता उपायों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता**

(करोड़ रुपयों में)

| राज्य | वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई अधिकतम सीमा | दी गयी केन्द्रीय सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ऋण | अनुदान | जोड़ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 28.00 | 15.50 | 11.00 | 26.50 |
| 2. बिहार | 13.40 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 3. गुजरात | 6.90 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 4. जम्मू और कश्मीर* | 0.80 | 0.50 | — | 0.50 |
| 5. महाराष्ट्र | 94.09 | 32.00 | 17.00 | 49.00 |
| 6. मैसूर @ | 7.75 | 12.50 | 2.00 | 14.50 |
| 7. नागालैण्ड | 0.08 | 0.05 | — | 0.05 |
| 8. उड़ीसा** | 14.66 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 9. राजस्थान@ | 6.60 | 2.00 | — | 2.00 |
| 10. तमिलनाडु | 1.50 | — | — | — |
| 11. त्रिपुरा | 0.88 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 12. उत्तर प्रदेश£ | 9.19 | 0.90 | 0.60 | 1.50 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 10.08 | 2.00 | 3.04 | 5.04 |
| जोड़ | 193.82 | 76.20 | 40.89 | 117.09 |

* हिमपात आदि शामिल है ।

@ हाल ही में एक केन्द्रीय दल राज्य की आवश्यकताओं की समीक्षा करके लौटा है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

** बाढ़ें और चक्रवात शामिल हैं ।

£ बाढ़ें शामिल हैं ।

## पश्चिम बंगाल और तामिल नाडू में चमड़ा उद्योग

631. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चमड़ा व्यापार तथा उद्योग ने, जो निर्यात का लगभग सारा चमड़ा भेजता है, अर्ध परिष्कृत चमड़े के निर्यात को तब तक के लिए बन्द कर देने का निर्णय किया है जब तक कि इसका निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना बन्द नहीं कर दिया जाता ;

(ख) इस धमकी का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) चमड़ा निर्यात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने में और निर्यात आय बढ़ाने में सफलता मिली है ?

**वाणिजय मत्रालय में उपमन्त्री श्री ए० सी० जार्ज**: (क) तथा (ख) व्यापार के एक वर्ग ने जिसमें अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यातक भी शामिल थे,, उनके निर्यातों का भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकरण करने सम्बंधी सरकार के विनिश्चय का विरोध किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार में कोई अव्यवस्था न हो, निगम द्वारा अपनायी जाने वाली मार्गीकरण क्रियाविधि को सरल बना दिया गया है ।

(ग) मार्गीकरण का कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने मार्गीकरण की तारीख, अर्थात् 14-12-1972 से अब तक लगभग 75 करोड़ रुपये मूल्य की अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात की लगभग 5100 संविदाएं रजिस्टर की है और लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किये हैं ।

## खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के व्यापारिक कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिये नियम

633. श्री बेकारिया :

श्री धनशाह प्रधान :

क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के नियमित कर्मचारियों की तरह आयोग के व्यापारिक कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिये उनकी नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते पदोन्नतियां तथा अन्य सेवा शर्तों के लिये भी कोई नियम अथवा विनियम बनायें गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि नहीं, तो इसक क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री ( श्री ए० सी० जाज)** : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

## बीजापुर तथा गुलबर्ग में बेरोजगार हथकरघा बुनकर

634. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजापुर तथा गुलबर्ग में सूखे की स्थिति के कारण कच्चे माल की कमी हो जाने के फलस्वरूप दो लाख से अधिक हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य केन्द्रीय सरकार से भारी सहायता मांगे बिना इस संबंध में उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज):** (क) से (ग) : मैसूर सरकार ने अभ्यावेदन दिया था कि राज्य के कुछ भाग, विशेषत: गुलबर्ग, बीजापुर, बीदर, बैलगांव, और धाड़वाड़ के क्षेत्र, जहां हथकरघा उद्योगों का बहुत अधिक जमाव है, सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और सूखे से प्रभावित उपरिवर्णित क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों की मदद के लिए निम्नलिखित सहायता के लिए अनुरोध किया है :

(1) राज्य को प्रतिमाह 2 लाख किग्रा अतिरिक्त सूत का आबंटन, तथा

(2) हथकरघा बुनकरों को विनियमित मूल्यों पर धागे की सप्लाई करने के लिए धागे के डिपो का प्रबन्ध करने के लिए 30 लाख रु० की वित्तीय सहायता देना ।

उपरोक्त (1) के संबंध में दिसम्बर, 1972 से फरवरी 1973 के दौरान राज्य को 2,02,480 किग्रा सूत का अतिरिक्त आबंटन किया गया है । राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह विशिष्ट काउंटों के अधिक धागे के उत्पादन के लिए मिलों के साथ बातचीत करे और राज्य में हथकरघा बुनकरों को उसकी सप्लाई करे । उपरोक्त (2) के संबंध में, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि यदि राज्य सरकार धागे के डिपो खोलने की योजना को सूखा राहत योजना के रूप में समझे तो वह सूखे की स्थिति और सूखा राहत उपायों के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए निधियों की आवश्यकताओं का आंकलन लगाने के लिए राज्य का दौरा कर रहे अधिकारियों के केन्द्रीय दल को विस्तृत प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करें ।

## शिल्पियों को रोजगार देने के लिये मैसूर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता

635. **श्री धर्मराव अफजलपूरकर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से शिल्पियों को रोजगार देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कोई प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में लोकनाथन् समिति ने कुछ सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**वाणिज्य उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मैसूर राज्य के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार देने का आयोग का विचार है, जिनमें से 1,175 व्यक्तियों को मैसूर राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की मारफत रोजगार दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो को खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली संबंधी सौंपे गए मामले**

636. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली सम्बन्धी कुछ मामले लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन मामलों की जांच करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब सौंपे गये थे ; और

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिये गये इन तर्कों की जांच करना चाहती है कि केन्द्रय जांच ब्यूरो को लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर काम करने का कोई अधिकार नहीं है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं।

**(ख) तथा (ग)** : प्रश्न नहीं उठते।

**Increase in the Expenditure on Account of Pay and Allowances of Central Government Employees**

637. **Shri Hari Singh**

**Shri Laxminarain Pandeya**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the percentage increase in the expenditure on account of pay and allowances of Central Government employees in 1971-72 as compared to 1970-71 ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh)** :

The estimated percentage increase in pay and allowances of Central Government employees (including Railways, Defence and P. & T.) in 1971-72 over 1970-71 calculated with reference to such data as is readily available comes to 21·6.

**अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा गोष्ठी**

638. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कपड़ा संघ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा गोष्ठी का आयोजन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत के कपड़ा मिलों को क्या लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इस गोष्ठी में कितने देश भाग लेंगे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :(क) सरकार को विशिष्ट रूप से ऐसी कोइ जानकारी नहीं है कि अखिल भारतीय कपड़ा संघ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से ऐसी किसी गोष्ठी का आयोजन कर रहा है ।

**(ख) तथा (ग)** : प्रश्न नहीं उठता ।

**वाणिज्य मंत्री :**

**दिल्ली में वायदा बाजार केन्द्रों पर छापे**

639. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वायदा बाजार केन्द्रों पर हाल ही में छापा मारा गया था :

(ख) किस प्रकार के कागजात पकड़े गये और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपने उपयोग के लिये उन भवनों का अधिग्रहण करने का है जहां वायदा बाजार का व्यापार चलता है । जिससे कि इस अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध वायदा बाजार व्यापारियों के खिलाफ अनेक छापे मारे गये थे ।

**(ख) तथा (ग)** : जो कागजात पकड़े गए हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनमें वायदा बाजार संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के उल्लंघन सम्बन्धी आपराधिक स्वरूप की प्रविष्टियां हैं । संबंधित व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार इन पकड़े गए कागजात की संवीक्षा किये जाने के बाद किया जाएगा ।

(घ) जी नहीं ।

**पालघाट में रबड़ कारखाना**

640. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के पालघाट नामक स्थान में रबड़ का एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है; और

(ग) इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : **(क) से (ग)** मोटर गाड़ी के चार-चार लाख टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन के लिये केरल के पालघाट जिले में वालायर में मोटरगाड़ी के टायर की एक नई फैक्टरी लगाने के लिए मे० रूबी रबड़ वर्कस लि०, रूबी नगर, चन्गानाचेरी, केरल को आशयपत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1970 जारी किया गया है। में० जनरल टायर इंटरनेशनल एक्रन, ओहियो यू० एस० ए० के साथ विदेशी सहयोग संबंधी उनकी प्रस्थापना का सरकार ने, अनुमोदन कर दिया है। आशय-पत्र की क्रियान्विति के लिए में० रूबी रबड़ वर्क्स लि० ने में० अपोलो टायर्स लि० नाम तथा शीर्षक से एक नई कम्पनी बनाई है। इस पार्टी द्वारा फरवरी 1970 में लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन पत्र में यह बताया गया था कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित समय 2 से 3 वर्ष होगा।

## Increases in Price Index

641. **Dr. Laxminarain Pandeya**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the extent to which general price index has increased in 1972 in comparison to that of 1971 on the basis of the price index of 1961-62; and

(b) the extent of increase in 1970 and the price index in 1961-62 as also the price index in 1972?

**The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :**

(a) & (b) : Index numbers of wholesale prices, with base 1961-62=100 for the years 1962 to 1972, together with the order of variation over the preceding year are given below :

| Year | Index | Percentage change over the preceding year |
|---|---|---|
| 1962 | 104·2 | .. |
| 1963 | 108·0 | + 3·6 |
| 1964 | 119·3 | +10·5 |
| 1965 | 129·1 | + 8·2 |
| 1966 | 144·5 | +11·9 |
| 1967 | 166·2 | +15·0 |
| 1968 | 165·3 | — 0·5 |
| 1969 | 168·7 | + 2·1 |
| 1970 | 179·2 | + 6·2 |
| 1971 | 186·1 | + 3·9 |
| 1972 | 200·7 | + 7·8 |

**"Foreign Goods Seized by Customs Authorities"**

**642. Shri Lalji Bhai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) how and where the accounts pertaining to gold, silver and other foreign goods seized by customs authorities, at airports, harbours and other places in the country are maintained; and

(b) the mode of disposal of the said goods?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :**

(a) The accounts of seized goods are maintained by the respective Customs Houses and Central Excise Collectorates in the prescribed 'Forms'. They are subjected to Audit by Internal Audit Officers as well as by officers of Comptroller and Auditor General.

(b) As at Annexure—I.

STATEMENT

*Procedure for Sale and Disposal of Confiscated Goods*

(*i*) Consumer and luxury goods are, except as indicated below, sold through National Consumers Co-operative Federation Ltd., New Delhi and also to certain Canteens and Co-operatives controlled by Government, such as Canteen Stores Department, Central Government Employees Consumer's Co-operative Society Ltd.

(*ii*) Gloves and spices are sold to M/s. National Consumers Co-operatives Federation Ltd., New Delhi, Government controlled Co-operatives and Canteens and also by public auctions restricted to import quota holders.

(*iii*) Nylon and other synthetic yarns are sold by the Department directly to the Wavers' Associations'/Co-operatives and certified actual users in auction.

(*iv*) Diamonds, precious and semi-precious stones and conveyances are sold departmentally.

(*v*) Gold and Silver are despatched to the Mint.

(*vi*) Currencies are deposited with the Reserve Bank of India.

(*vii*) Launches and arms and ammunition are kept for departmental use for anti-smuggling work.

**Loans received by Industrial Establishments from Government Financial Institutions.**

643. **Shri Lalji Bhai :**

Will the **Minster of Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first thirty industrial establishments which got maximum amounts of loans from Government financial institutions other than banks during the last three years indicating the names of Directors thereof; and

(b) the amount of loans given to each of them?

**The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :**

(a) & (b) : The required information (excepting information relating to the names of the Directors) in respect of the all-India long term public sector financial institutions, namely, the Industrial Development Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India is given in the attached Statement.

Information relating to the names of the directors of the Industrial concerns is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

STATEMENT

*List of 30 Industrial Concerns which have received maximum loan Assistance from the All-India Long Term Financial Institutions namely Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, and Life Insurance Corporation of India together in the Descending Order of, Total Loan Assistance Sanctioned by these Institutions, during the last three Financial Years.*

**(Rs. lakhs)**

| Serial No. | Name of the concern/Co-operative Society | Loan sanctioned |
|---|---|---|
| 1 | Indian Farmers Fertiliser Co-operative Ltd. | 2,400·00 |
| 2 | Southern Petro-Chemical Industries Corporation Ltd. | 1,475·00 |
| 3 | Ashok Paper Mills Ltd. | 1,300·00 |
| 4 | Mangalore Chemicals and Fertilisers Ltd. | 1,000·00 |
| 5 | Aluminium Corporation of India Ltd. | 670·00 |

| Sr. No. | Name of the concern/Co-operative Society | Loan sanctioned |
|---|---|---|
| 6 | Bihar Alloy Steels Ltd. | 602·89 |
| 7 | Gujarat State Fertilisers Co. Ltd. (Caprolactam Project) | 550·00 |
| 8 | Swadeshi Polytex Ltd. | 470·00 |
| 9 | Titaghur Paper Mills Co., Limited | 380·00 |
| 10 | Gujarat Polyamides Ltd. | 277·50 |
| 11 | Escorts Tractors Ltd. | 253·84 |
| 12 | New Government Electric Factory | 225·00 |
| 13 | Punjab Tractors Ltd. | 180·03 |
| 14 | Textile Corporation of Marathwada Ltd. | 168·00 |
| 15 | National Company Ltd. | 150·00 |
| 16 | Madras Aluminium Co. Ltd. | 150·00 |
| 17 | Shri Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. | 150·00 |
| 18 | Shree Doodhganga Krishna Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit | 150·00 |
| 19 | West Godavari Co-operative Sugars Ltd. | 150·00 |
| 20 | Jijamata S.S.K. Ltd. (Co-operative Society) | 150·00 |
| 21 | Satpuda Tapi Parisar SSK Ltd. (Co-operative Society) | 150·00 |
| 22 | Shetkari SSK Ltd. (Killari) (Co-operative Society) | 150·00 |
| 23 | Straw Products Ltd. | 144·17 |
| 24 | Amreli Sahakari Krishi Khand Udhog Ltd. | 140·00 |
| 25 | Bargarh Co-operative Sugar Mills Ltd. | 130·00 |
| 26 | Kashi Sakhari Chini Mills Ltd. | 130·00 |
| 27 | Viswas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. | 125·00 |
| 28 | Shree Synthetics Ltd. | 114·25 |
| 29 | Associated Glass Industries Ltd. | 111·00 |
| 30 | Rathi Alloys and Steels Ltd. | 110·67 |

NOTE— Unit Trust of India does not Grant Loans.



M/J(D)1LSS—6(a)

## खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली का नियन्त्रण किसी अन्य एजेन्सी को हस्तान्तरित करना

644. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन को किसी अन्य एजेंसी के अधीन हस्तान्तरित करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रस्तावित एजेंसी सरकारी होगी अथवा गैर-सरकारी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथ (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

## खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा (बिहार) के खातों में अनिमिततायें

645. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ दरभंगा (बिहार) के खातों में अनियमितताओं के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 0.35 लाख रुपये के सिद्ध हो चुके गबन के बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग संघ ने बिहार खादी ग्रामोद्योग तथा सरकारी संस्थानों को अलग अलग रूपों में कुल कितनी धन-राशि दी है और इस सम्बन्ध में क्या तरीके अपनाये गये हैं तथा उचित हिसाब रखा जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या संघ के कर्मचारियों ने, जो हड़ताल पर हैं, इस संस्था का सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिये जाने की जोरदार मांग की है; और

(घ) आयोग तथा सरकार की इस के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है तथा कर्मचारियों की अन्य मांगे क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों की गिरफ्तारी

646. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरी, मुनाफाखोरी और काला बाजार जैसे आर्थिक अपराधों के बारे में सही-सही और पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिये देश में कोई पर्याप्त स्वाधीन व्यवस्था विद्यमान है ; और

(ख) वर्ष 1972 में दिल्ली में ऐसे अपराधों के कारण कितने व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है और उनका प्रयाग राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है जो इस संबंध में जानकारी एकत्रित तथा संकलित करते है और केन्द्रीय सरकार को आवधिक रूप में भेजते हैं।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान दिल्ली में 135 व्यक्तियों पर मुकद्में चलाये गये।

**चम्बल घाटी में विकास कार्य क्रमों के लिए विश्व बैंक से सहायता**

647. **श्री लालजी भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल घाटी क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से सहायता देने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसकी रूपरेखा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) : विश्व बैंक समूह से चम्बल घाटी क्षेत्र के विकास के लिये सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर जो विचार किया जा रहा है वो प्रारम्भिक अवस्था में हैं। परियोजना का व्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है।

**स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा राशि**

648. **श्री एम० एन० मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा राशियों के बारे में जांच करने का कोई प्रयास किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या जब कुछ अधिकारी जमा राशियों के बारे में जांच करने गये थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें बाहर निकाल दिया गया ; और

(घ) यदि हां तो यह घटना कब हुई तथा खातों के बारे में व्यौरा प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) और (ख) स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों की जमा रकमों का व्यौरा प्राप्त करने के लिए स्विस प्राधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया है।

(ग) : जी , नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

**पर्यटन वित्त निगम की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव**

649. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन वित्त निगम की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख) होटलों तथा पर्यटन उद्योग के अन्य अंगों को ऋणों का वितरण करने के लिये एक पर्यटन वित्त निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**चाय की किस्म का सुधार**

650. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने भारतीय चाय अधिनियम, 1953 की धारा 10 के अनुसरण में चाय की किस्म के सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है और क्या चाय बागान के मालिक बोर्ड द्वारा इस संबंध में दिये गये परामर्श को मानते हैं ; और

(ख) क्या चाय की किस्म में सुधार न होने के कारण विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार चाय के निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित तथा वित्तोपोषित समस्त गवेषणात्मक तथा विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य बढ़िया किस्म कि चाय के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो उपाय किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) रोपण वित्त योजना तथा पुनर्रोपण उपदान योजना के अन्तर्गत बोर्ड से वित्तीय सहायता लेकर सुधारी हुई रोपण सामग्री द्वारा विस्तार, प्रतिस्थापना तथा पुनर्रोपण को प्रोत्साहन देना।

(2) चाय-मशीन किराया-खरीद प्रणाली योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के माध्यम से पुराने तथा अप्रचलित उपकरणों तथा मशीनों का नवीकरण तथा प्रतिस्थापन करने हेतु नई मशीनें तथा उपकरण देकर चाय उद्योग की सहायता करना।

(3) चाय की उचित पैकिंग तथा अंन्तिम गन्तवयों को चाय की उचित प्रकार से सप्लाई का कार्य सुनिश्चित करना।

(4) उत्तर, दक्षिण भारत की चाय गवेषणा संस्थाओं तथा दक्षिण भारतीय यूनाइटिड प्लांटर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई परामर्श सेवाओं के माध्यम से उपजकर्त्ताओं को उनके उत्पाद को सुधारने में सहायता देना।

(5) चाय बोर्ड तथा स्वास्थ्य प्राधिकारियों दोनों के द्वारा लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से उत्पाद पर क्वालिटी नियंत्रण लागू करना।

उपरोक्त उपाय, चाय बागान मालिकों के हित के लिये किये जाते हैं और उनके द्वारा बोर्ड द्वारा दिये गये परामर्श का पालन न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित सारणी से प्रकट है :–

| वर्ष | निर्यात आंकड़े | |
|---|---|---|
| | मात्रा (करोड़ कि० ग्रा० में) | मूल्य (करोड़ रु० में) |
| 1970 | 20.20 | 148.75 |
| 1971 | 20.61 | 155.34 |
| 1972* | 20.76* | 156.70* |

*अस्थायी

भारतीय चाय की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई अतः घटिया किस्म के कारण निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

**छोटे तथा कम विकसित चाय बागानो को ऋण**

**651: श्री सरोज मुखर्जी** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि छोटे तथा कम विकसित चाय बागानों को वे ऋण नहीं मिल पाते हैं जो चाय बोर्ड के माध्यम से बागान लगाने के लिये राजसहायता ऋण और किराया खरीद मशीन ऋण के रुप में दिये जाते हैं।

(ख) बिड़ला बन्धुओं के चाय बागानों को और एजेन्सी हाउस बागानों को चालू वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष कितने ऋण दिये गये तथा इसी अवधि के दौरान छोटे चाय बागानों को कितना ऋण मंजूर किया गया ; और

(ग) यदि इस मामले मे कोई भेद भाव है तो उनके मंत्रालय ने उपचार के रुप में क्या सुझाव दिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग) सामग्री एकत्र की जा रही है। इस यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Notice issued to Balyogeshwar for Confiscation of Goods Recovered from his Baggage**

**652. Shri Shiv Kumar Shastri :**

**Shri D. K. Panda :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether a notice was served on Shri Prem Pal Rawat alias Balyogeshwar for confiscating the articles recovered from him at Palam airport on the 7th November, 1972 ;

(b) whether a female disciple of Balyogeshwar has been apprehended in connection with smuggling of 'charas';

(c) whether the passport issued to Shri Rawat for visiting foreign countries has been withdrawn due to his suspicious activities; and

(d) the present position of the case ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :** (a) Yes, Sir. A Show Cause Notice was served by the Customs authorities on Shri Prem Pal Rawat alias Balyogeshwar and two other persons on 30-12-72 asking them to show cause whey the goods seized at Palam airport on 7-11-1972 should not be confiscated.

(b) No female disciple of Balyogeshwar has been apprehended in connection with smuggling of charas.

(c) The passport of Shri Rawat has not been withdrawn. His passport was taken by the Enforcement Directorate for examination in connection with the Foreign Exchange Regulation Act case against him. It has been returned on his furnishing a bond that he will make himself available whenever he is required till the investigations are completed.

(d) Interim replies to the Show Cause Memo have been received and the parties concerned have asked for inspection of the records relied upon.

**Revision of Trade Agreement between India and U.K.**

**653. Shri Shiv Kumar Shastri :**

**Shri Devinder Singh Garcha :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the U.K. has given notice to India to rescind the 1939 Agreement under which India as a member of the Commonwealth enjoyed certain concessions in regard to the exports to that country ; and

(b) If so, the reaction of Government thereto and the likely impact thereof on the Indian exports ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) :**

(a) & (b) Following the notice served on us by the U.K. Government, the Indo-U.K. Trade Agreement, 1939, terminated with effect from 1st February, 1973.

The trading arrangements in U K. for Indian products following the termination of the Agreement were discussed by Shri L.N. Mishra, former Minister of Foreign Trade with the British Ministers during his visits to London in January, 1973. It was agreed during the discussions that the act of termination would not lead to abrupt removal of Commonwealth preferential tariff applicable to imports of Indian goods and commodities. The progressive introduction of Common Customs Tariff of the EEC in U.K. will commence only from 1st January, 1974 but for a few items. Between now and the end of current year further consultations would be held both with U.K. and the EEC to seek solutions to the products of particular concern to us.

**फसलों की खराबी के कारण मुल्य वृद्धि को रोकने में कठिनाई**

**654. श्री अनन्त राव पाटिल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि फसल खराब होने के कारण मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा इन मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सरकार को कठिनाई हो रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1971-72 में कृषि-उत्पादन को धक्का लगने और 1972-73 में खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचने के कारण, मूल्यों पर, विशेष रुप से खाद्य वस्तुओं और कृषि-आधारित औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों पर दवाब पड़ा है। इस दबाव का परिणाम यह हुआ है कि सितम्बर और दिसम्बर के बीच की अवधि में मूल्यों में जो सामान्य मौसमी गिरावट आती है, वह नहीं आयी। आशा है कि खरीफ-उत्पादन में हुई कमी, आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम द्वारा अंशत: पूरी हो जायगी। इस बीच सरकार ने मूल्यों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिये अन्न और तेलहनों /वनस्पति तेलों के आयात का काम हाथ में लिया है। यद्यपि इन उपायों का पूरा प्रभाव अभी नहीं पड़ा है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में अर्थात् नवम्बर 1972 और जनवरी, 1973 के बीच की अवधि में थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंक (1961-62=100) में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में नवम्बर 1971 और जनवरी 1972 के बीच की अवधि में 1.8 प्रतिशत की और नवम्बर 1970 से जनवरी 1971 के बीच की अवधि में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

**इण्डियन एयरलाइंस ग्राफिसज एसोशियेशन द्वारा की गई मांगों पर निर्णय**

655. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ग्राफिसर्ज एसोसियेएशन ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स में असहयोग आन्दोलन चलाने का संकल्प किया है ;

(ख) एसोसिएशन ने क्या मांग रखी थी ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) दिसम्बर, 1972 में अधिकारियों के संघ ने इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक वर्ग को ज़बानी तौर पर सूचित किया था कि उन्होंने अपने दिनांक 3.10.1972 के ज्ञापन में सूचिबद्ध मांगों पर निर्णय के लिये 7.1.73 को अंतिम तिथि के रूप में रखने का निर्णय किया था।

(ख) वेतन-मानों में पुनरीक्षण करके इंजीनियरों के बराबर करना ; अधिकतम वेतन-मान का 30 प्रतिशत मकान भत्ता, उच्च ग्रेड में स्वत:पदोन्नति, 1-4-72 से अतिरिक्त वेतन-वृद्धि, कार्यभार भत्ते का पुनरीक्षण, आदि।

(ग) मामले पर अभी प्रबंधक वर्ग तथा संघ के बीच बातचीत चल रही है।

**अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता**

656. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात और तेल क्षेत्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण लेने का प्रयत्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धन-राशि देने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) इस्पात, तेल और उर्वरकों जैसे क्षेत्रों की पांचवीं योजना की परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी प्रारंम्भिक आवश्यकताओं की रकमें जुटाने के प्रयोजन से मित्र देशों और विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बातचीत की गई है।

(ख) अभी यह बताना समय पूर्व होगा कि इन क्षेत्रों के लिये कितना ऋण मिल सकेगा और कहां-कहां से मिलेगा।

एशिया '72 मेलों में किए गए व्यापारिक सौदे

657. श्री एस० एस० मुरूगनन्तम :

श्री मूल चन्द डागा :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एशिया '72 मेले पर कुल कितना धन व्यय किया है ;

(ख) उक्त मेले में कुल कितने मूल्य के व्यापारिक सौदे किये गये और इसका देश वार और वस्तुवार विस्तृत व्यौरा क्या है; और

(ग) मेले के दौरान टिकटों की बिक्री से अन्य स्रोतों से कुल कितनी आय हुई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज ) :**

(क) एशिया 72 की समाप्ति तक 6,24,91,151 ० । तथापि कुछ भुगतान अभी किए जाने हैं और मेला प्राधिकारियों को 8.54 करोड़ रु० की कुल लागत आने की आशा है ।

(ख) एशिया 72 मेले में 5720.90 लाख रुपये मूल्य का कुल व्यापार किया गय जिनमें से 3081.27 लाख रुपए के निर्यात क्रयादेश सम्पन्न किए गए और 2639.63 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं के आयात के सौदों को भी अंतिम रूप दिया गया । विस्तृत विवरण अ ुबंध 1 तथा 2 संलग्न हैं जिसमें निर्यातों और आयातों के दशवार तथा वस्तुवार व्यौरे दिए गए हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–4246/73) तथापि ये आंकड़े उत्पन्न निर्यात संभाव्यताओं की सम्पूर्णता के द्योतक नहीं हैं । बुक किए गए विशिष्ट क्रयादशों, किए गए व्यापार और प्राप्त हुई व्यापारिक पूछताछों के रूप में परिणामों का पर्ण आकलन पूरी तरह से कुछ अवधि के दौरान ही किया जा सकेगा ।

(ग) अब तक 2,07,60,701 रुपये । कुछ वसूलियां अभी की जा रही हैं ।

**एशिया '72 के मैदान में एक स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी मेला बनाए रखने सम्बन्धी प्रस्ताव**

658. श्री एस० ए०मुरुगनन्तम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया '72 के मैदान में कौन से भवनों और मण्डलों को एशिया रूप से बनाये रखने का विचार है ;

(ख) क्या उक्त मैदान में एक स्थायी प्रदर्शनी अथवा मेला बनाये रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) :**

(क) एशिया '72 मेले के मैदान में मेला प्राधिकरण जिन भवनों और मण्डपों को स्थायी रूप से बनाये रखने का विचार है, वे ये हैं :–

(1) हाल आफ् नेशन्स
(2) हाल्स आफ् इंडस्ट्रीज़
(3) निर्यात उत्पाद मंडप
(4) नेहरू तथा न्यू इंडिया मंडप
(5) इंडिया 72 थीम मंडप
(6) प्रशासन भवन
(7) वेयर–हाउस तथा रेलवे साइडिंग
(8) चारों द्वार कम्पलैक्स
(9) शाकुन्तलम् सिनेमा थियेटर
(10) हंसध्वनि ओपन एयर थियेटर तथा झील
(11) चार जलपान गृह सह बिक्री केन्द्र
(12) सात टायलेट ब्लाक
(13) ग्यारह बिजली के सब-स्टेशन
(14) फेयर रेस्टोरेन्ट

ये सब मेले के मैदान के स्थायी कम्पलैक्स के अंग हैं।

(ख) मैदान में स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी अथवा मेला बनाए रखने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**1972–73 के दौरान भारत से निर्यात**

659. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए गये एक प्रलख क अनुसार चालू वित्त वष में कुल 1070 करोड़ रुपये का निर्यात–व्यापार किया गया है जबकि अप्रैल–अक्तूबर 1972 में 877 करोड़ रुपये का हुआ था अर्थात् निर्यात व्यापार में 193 करोड़ रुपय या 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो निर्यात मूल्य की कुल वृद्धि में से बंगला देश को कितना निर्यात किया गया है और अप्रैल–अक्तूबर, 1972 के दौरान बंगला देश को निर्यात किए गए माल के मूल्य का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनका ध्यान इस सम्बन्ध में दिनांक 19 जनवरी, 1973 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दि स्टेट्समैन (एन एकानामिस्टर्स नोट बुक) में "दि कलाउड ओवर एक्सपोर्ट स्टेटिसटिक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां ।

(ख) 44.4 करोड़ रु० (अन्तिम) । वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी हां । बंगला देश को किए गये निर्यातों को विचार में रखने के बाद भी चालू वित्तीय वर्ष में निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है ।

**विदेशी तकनीशनों को आयकर की अदायगी से छूट दिया जाना**

660. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1972 को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत विदेशी तकनीशनों को आय-कर के भुगतान से छट दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) जी, नहीं ।

विदेशी तकनीशनों को आय-कर से छूट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (6) (vii)/(vii क) के अधीन स्वीकृत की जाती है । एक प्रेस विज्ञप्ति (प्रतिलिपि संलग्न है) 31-12-1972 को जारी की गयी थी, जिसमें कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा इस कर-छूट की यथा संशोधित कुछ विशेषताओं और इस उद्देश्य के लिये विदशी तकनी शियनों की सेवा की संविदाओं पर सरकार की स्वीकृति हासिल करने के लिये आवेदन-फार्म में किए गय परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । दखिए संख्या एल० टी०–4247/73]

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**हरियाणा स्थित मारुति ऐण्ड कम्पनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण दिया जाना**

661. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मारुति एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हरियाणा को हाल ही में लाखों रुपये का ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ था और ऋण कब दिया गया था ;

(ग) कल कितना ऋण दिया गया है ; और

(घ) इस कम्पनी ने अन्य कितने स्रोतों से ऋण लिया है और प्रत्येक स्रोत से कितना कितना ऋण लिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) से (ग) : कानून और बैंकरों में प्रचलित आचार तथा परिपाटी के अनुसार, बैंक द्वारा अपने किसी असामी के साथ हुए लेन देन के बारे में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(घ) जहां तक अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, उन में से किसी ने भी मैसर्स मारुति लिमिटेड, गुड़गांव को वित्तीय सहायता नहीं दी है।

31 मार्च 1972 तक कम्पनी के परीक्षित लेखों के अनुसार, कम्पनी ने एक निदेशक को देय 0.30 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त 11.73 लाख रुपये तक के प्रत्याभत ऋण और 4 लाख रुपये तक के व्याज मुक्त अप्रत्याभत ऋण लिये हैं।

**जापान को किये गये लौह-अयस्क के निर्यात से खनिज तथा धातु-व्यापार निगम को गत तीन वर्षों के दौरान हुई हानि**

662. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जापान को, वर्ष-वार, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का लौह-अयस्क निर्यात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इससे, वर्षवार कुल कितनी हानि हुई, और यह हानि किन कारणों से हुई ;

(ग) क्या डालर के अवमल्यन के परिणामस्वरूप जापान ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम की निर्यात आय में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने से इन्कार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) : 1969-70, 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को लौह अयस्क के निर्यात क्रमश: 51.49 करोड़ रुपये मूल्य के 76.51 लाख मे० टन, 56.51 करोड़ रुपये मुल्य के 85.98 लाख मे० टन तथा 50.62 करोड़ रुपये मूल्य के 76.97 लाख मे० टन के थे। वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इस में हुई कुल हानि क्रमश: 3.76 लाख रुपये, 60.49 लाख रुपये तथा 81.45 लाख रुपये थी जिसका कारण यह था कि लागत, रायल्टी, रेल भाड़ों तथा पत्तन प्रभारों में तो वृद्धि हो गई और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण विक्रय से प्राप्त राशियों में वृद्धि नहीं हुई।

(ग) तथा (घ) : इस समय यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

**डाक्टरों, वकीलों तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले परामर्शदाताओं द्वारा आय-कर का अपवचन**

663. **श्री के० सूर्य नारायण :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक्टरों, वकीलों और आय-कर इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के परामर्शदाताओं द्वारा बड़े पैमाने पर आय-कर का अपवंचन किया जाता है ;

(ख) क्या उनकी आय का कोई ठीक रिकार्ड नहीं रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कारगर उपाय करने का है जिससे इन समृद्ध कर-दाताओं के वर्ग से आय-कर वसूल किया जा सके और कर-अपवंचन रोका जा सके ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) तथा (ख) : सरकार को स्थिति की जानकारी है।

(ग): ऐसे मामलों में कर-अपवंचन को रोकने के उपायों पर क्षत्र-अधिकारियों को हाल ही में अनुदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों का, जिनका अभी तक कर-निर्धारण नहीं किया गया है, पता लगाने के लिये प्राथमिक्ता के आधार पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

**दिल्ली के फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयकर की बकाया धनराशि**

664. **श्री के० सूर्य नारायण:**

क्या वित्त मंत्री 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 938 के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सिनेमा मालिकों और फिल्म वितरकों की ओर बकाया आयकर वसूल करन के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 तक प्रत्येक फिल्म वितरक और सिनेमा मालिक की ओर कितनी बकाया राशी थी ; और

(ग) इतनी लम्बी अवधि में बकाया पड़े राजस्व को वसूल करने में सरकार के रास्ते में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) बकाया कर को वसूल करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं, जैसे-धारा 221 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करना, दण्ड लगाना, वसूली प्रमाण पत्र जारी करना आदि। इन उपायों के परिणामत : दिल्ली में 89 में से 66 सिनेमा मालिकों तथा फिल्म वितरकों के मामलों में, जिनकी सूची लोक सभा में 17 नवम्बर 1972 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 938 के उत्तर के अनुबंध में दी गई है, कर पूर्ण रूप से वसूल/समायोजित कर लिया गया है।

(ख) शेष 23 निर्धारितियों में से प्रत्येक की तरफ 31-12-1972 को बकाया रकम तथा बकाया को वसूल करने के लिए किये गये उपाय अनुबंध में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4248/73]।

(ग) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में आयकर की वसूली का काम केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है जो, आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न उपायों द्वारा आयकर वसूल करती है। इस अनुसूची में वसूली के एक तरीके के रूप में भू-राजस्व के रूप में आयकर की वसूली का उल्लेख नहीं किया गया है।

**बड़ उद्योगपतियों द्वारा सूती कपड़े के निर्यात सम्बन्धी वायदे**

**666. कुमारी कमला कुमारी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा-बिरला और मफतलाल ग्रुप के अनेक सूती कपड़ा उद्योग अपने निर्यात सम्बन्धी वायदे पूरे करने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) : टाटा, बिरला तथा मफतलाल उद्योग समहों की बारह वस्त्र मिलों ने वस्त्र मशीनरी मदों के लिए आयात लाइसेंस हेतु विशिष्ट निर्यात दायित्व स्वीकार किये थे। मफतलाल समूह उद्योग की एक वस्त्र मिल ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्वचालित करघे लगाने के लिए आयात लाइसेंस लेने हेतु निर्यात दायित्व स्वीकार किये थे। इनमें से दस मामलों में निर्यात-दायित्व पूरे कर दिये गये थे। शेष दो मामलों में संबंधित वस्त्र मिलों ने शास्ति

का भुगतान कर दिया है। तीसरे मामले में जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने से संबंधित है संबंधित वस्त्र मिल ने अभ्यावेदन दिया था कि लगाये गये करके खराब पाये गये तथा संभरक उनको बदलने के लिए सहमत हो गये थे। यह कारण कि मिल निश्चित समय में निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर सकी। इस मामले की परिस्थितियों पर विचार करके निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी गई थी।

उपरोक्त उद्योग समूह की आठ वस्त्र मिलों ने सनफोराइज़ड व्यापार चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने के लिये लगाये गये अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया था तथा उन्होंने शास्ति का भुगतान कर दिया है।

**बिहार में कपड़े की उचित मूल्य की दुकानें**

667. **कुमारी कमला कुमारी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़े की उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं; और

(ख) क्या सरकार ने टाटा और बिरला बन्धुओं को बिहार राज्य में कपड़े की उचित मल्य की दुकानें खोलने के निदेश दिये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) बिहार में नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अधीन कपड़े की कोई उचित दर दुकान नहीं खोली गई है।

(ख) सभी मिश्रित मिलों से कहा गया है कि वे अपने अपने आसपास के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दस-दस खुदरा दुकानें खोलें। जिन मिलों के प्रबंध को सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने नियंत्रण में लिया जा चुका है, उन्हें ऐसा करने के लिए सीधे ही कह दिया गया है। सरकार के अनुरोध पर दि इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने भी अपने नियंत्रण अधीन सभी मिश्रित मिलों को इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अनुदेष दिये हैं।

**भारत से पोलैंड को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात**

668. **श्री एच० एम० पाटेल :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पोलैंड का एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रतिनिधि मंडल ने भारत से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और पोलैंड द्वारा कितना माल आयात किया जायेगा तथा इस के परिणास्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि होगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) से (ग) जनवरी, 1973 में पोलैंड के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के दौरान वर्ष 1973, 1974 और 1975 के लिए भारत तथा पोलैंड के बीच एक दीर्घावधि व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे। संलेख में व्यवस्था है कि भारत से परम्परागत वस्तुओं के अधिक निर्यात किये जायेंगे, जैसे कि तुरंत चाय, तुरंत काफी, डिब्बा बंद फल एवं रस, जूते, चमड़े से बनी वस्तुएं, सूती तथा रेशमी सिले सिलाए परिधान, तथा बुनाई के ऊनी कपड़े, रेयान फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक्स, पोलि-एस्टर सूती फैब्रिक्स, अंगराज सामग्री, श्रृंगार सामग्री, प्रक्षालक, रैफ्रिजिरेटर तथा डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, बिजली की घरेलू वस्तूएं, निर्वात फ्लास्क, खेल का सामान, पेंट, रसोई घर में काम आने वाले एल्यूमीनियम के बर्तन आदि ।

भारत का पोलैंड के साथ व्यापार, जैसा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के मामले में है, दीर्वावधि व्यापार तथा भुगतान करारों द्वारा विनियमित होता है जिसमें सभी वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक सौदों का निपटारा अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किए जाने की व्यवस्था है। यह व्यापार की एक संतुलित विधि है और एक दूसरे के आयातों तथा निर्यातों को कुछ अवधि के भीतर संतुलित करना होता है।

किसी विशेष मद के संबंध में विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होने के बारे में बताना इस समय संभव नहीं है। तथापि, 1973 की व्यापार योजना में, समग्र रूप में, भारत से 70 करोड़ रुपये के निर्यातों की व्यवस्था है।

**श्रिम्पस, लावस्टर्स, तथा गहरे समुद्र की मछलियों का आयात और निर्यात**

669. **श्री एच० एम० पटेल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सामान्यत : श्रिम्पस, लावस्टर और गहरे समुद्र की मछलियों का निर्यात करने में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ख) इन वस्तुओं का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है ; और

(ग) क्या हम भी बंगलादेश से श्रिम्पस, लावस्टर और समुद्र की अन्य खाद्य सामग्री का आयात कर रहे हैं ; और यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) 1972 में समुद्री उत्पादों, जिनमें श्रिम्प, लावस्टर तथा गहरे समुद्र की मछली शामिल है, के निर्यातों का कुल मूल्य 58.13 करोड़ रुपये था।

(ख) अमरीका तथा जापान मुख्य बाजार है और उनके बाद पश्चिम यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी आदि आते हैं।

(ग) जी नहीं ।

## विदेशी मुद्रा की आय

670. **श्री एच० एम० पटेल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या हमारा विदेश व्यापार घटता जा रहा है अथवा बढ़ता जा रहा है ; और

(ग) यदि यह घट रहा है तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो, वह क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)

| वर्ष | मूल्य करोड़ रु० में |
|---|---|
| 1969–70 | 1413.3 |
| 1970–71 | *1535.2 |
| 1971–72 | 1606.6 |
| 1971 (अप्रैल-नवम्बर) | 1006.5 |
| 1972 (अप्रैल-नवम्बर) अनन्तिम | 1239.3 |

*नवम्बर 1970 में संकलन पद्धति में परिवर्तन होने के कारण अन्य आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते ।

(ख) बढ़ता जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## भारत और बंगलादेश के बीच परस्पर व्यापार

671. **श्री एच० एम० पटेल :**

**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच परस्पर व्यापार में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार, भारत बंगलादेश व्यापार करार के उपबन्धों के अधीन विनियमित होता है, जिस पर 28 मार्च 1972 को हस्ताक्षर हुए थे । करार की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

## विदेशी बैंकों में जमा राशि

672. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

**श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा :**

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी बैंकों में जमा कराई जाने वाली राशि बढ़ रही है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य गैर-सरकारी बैंकों के लिये समस्या उत्पन्न हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों की गतिविधियों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने का है जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य भारतीय बैंक विदेश व्यापार के लिये देश की अधिक राशि का लेनदेन कर सकें तथा राशि जुटाने सम्बन्धी उनके प्रयत्नों में उनकी सहायता की जा सके ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) 5 फरवरी 1971 और 4 फरवरी 1972 के बीच भारत में चल रहे विदेशी बैंकों की जमा रकमें 557.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 628.4 करोड़ रुपया हो गयी जो 12.8 प्रतिशत वृद्धि सूचक थी। 4 फरवरी 1972 और 2 फरवरी 1973 के बीच जमा रकमें 628.4 करोड़ रुपये से बढ़ कर 698.1 करोड़ रुपया हो गयी जो 11.1 प्रतिशत वृद्धि की सूचक है।

इसके बदले जहां तक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है उनकी जमा रकमों में 1971-72 की उसी अवधि में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1972-73 में उसी अवधि में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस के अतिरिक्त सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो कुल जमा रकमों में विदेशी बैंकों का हिस्सा जो 5 फरवरी 1971 को 9.7 प्रतिशत था, 4 फरवरी 1972 को क्रमिक रूप से घट कर 9.1 प्रतिशत और 5 फरवरी 1973 को 8.4 प्रतिशत रह गया। इस लिए ऐसा नहीं कहा जा सका है कि विदेशी बैंकों में जमा होने वाली राशियां राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य प्राइवेट बैंकों में जमा होने वाली रकमों के लिये चुनौती बनती जा रही है।

(ख) विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में विदेशी बैंकों का हिस्सा पिछले 10 वर्षों में कम हो गया है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिस राशि का लेनदेन किया गया था उसके अनुपात के रूप में भारत में विदेशी बैंकों द्वारा खरीदी गयी और भुनायी गयी विदेशी हुण्डियों की बकाया रकमों का प्रतिशत जो 1961-62 में 43 प्रतिशत था 1971-72 में घटकर 27 प्रतिशत रह गया; इस लिये इस समय विदेशी बैंकों की गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंधों में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय रिजर्व बक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विदेशी बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार रिजर्व बैंक को पहले से ही प्राप्त है।

## मेवों के व्यापार के लिये एक अलग निगम

673. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

**श्री सतपाल कपूर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेवों का व्यापार करने के लिये एक अलग निगम की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रतिवेदन**

**674. श्री सी० जनार्दन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सभी जिलों के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार कर लिया गया है, और यदि हां, तो प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) क्या किसी जिले में लीड बैंक योजना क्रियान्वित की गयी है; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) यह योजना अन्य जिलों में कब तक क्रियान्वित की जाएगी ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) से (ग) लीड बैंक योजना, महानगरों और चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, दमन और दीव के संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। कुल मिलाकर इसके अन्तर्गत 338 जिले आते हैं। अब तक 302 जिलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इन रिपोर्टों में इन जिलों की अर्थव्यवस्था संबंधी मोटी मोटी मुख्य बातें दी गयी हैं और बैंक कार्यालय खोलने के लिये सक्षम विकास केन्द्र भी निर्धारित किये गये हैं। कुछ रिपोर्टों में ऋण की कमी और ऐसी योजनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जो इन जिलों में क्रियान्वित करने के लिये हाथ में ली जा सकती है।

योजना के भाग के रुपये में सम्बन्ध लीड बैंकों द्वारा जिला स्तर पर परामर्श समितियां भी स्थापित की गई हैं। जिले में बैंक संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के उपायों पर विचार करने के लिये जिले के बैंक प्रतिनिधि और सम्बद्ध जिला अधिकारी इन समितियों में एक साथ मिलते हैं। 180 से अधिक जिलों में ऐसी परामर्श समितियां स्थापित की जा चुकी हैं।

रिपोर्ट तैयार करने और जिला स्तर पर परामर्श समिति स्थापित करने की दिशा में, जहां अभी तक ऐसी समिति स्थापित नहीं की गई है, बैंक तेजी से कदम उठा रहे हैं ।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों की बैठक में किया गया निर्णय**

**675. श्री सी० जनार्दन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों की बैठक दिल्ली में जनवरी 1973 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री के सभापतित्व में 17 और 18 जनवरी, 1973 को हुई थी। यह बैठक समय-समय पर होने वाली उन बैठकों में से एक थी, जो वित्त मंत्री सामान्यत: बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ करते हैं। बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया था और जो निर्णय किये गये थे, वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-4249/73]।

(ग) जो निश्चय किये गये हैं वे बाद की आवश्यक कार्रवाई के लिये बैंकों को और भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिये गए हैं।

ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समूदाय में शामिल होने के बाद भारत का यूरोप तथा ब्रिटेन के साथ व्यापार

676. श्री सी० जनार्दन :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद, भारत के पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापारिक हितों और ब्रिटेन के साथ व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस संदर्भ में भारत के व्यापारिक हितों की रक्षार्थ अब तक क्या कदम उठा गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप हमारी बहुत सी वस्तुओं के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है यदि उनके संबंध में वार्ताओं के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते।

चूंकि अनेकों अकल्पनीय बातें हैं अत: यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश का हमारे निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को ठीक तरह से आंकना संभव नहीं है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप हमारे जिन निर्यातों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है उनके लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने के प्रश्न को ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ उठाया जा रहा है। श्री ज्योफ्रे रिप्पन, ब्रिटेन मंत्रिमंडल में मंत्री, के सितम्बर, 1972 में दिल्ली आगमन के दौरान, श्री ललित नारायण मिश्र भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री ने उनके साथ समुदाय के परिवर्द्धन के संदर्भ में हमारे निर्यातों के लिये सुरक्षात्मक प्रबंधों को निश्चित रूप देने के संबंध में विस्तृत वार्ताएं की। श्री मिश्र ने ब्रिटिश सरकार के आमंत्रण पर दिल्ली में हुई वार्ताओं को और आगे चलाने के लिये जनवरी 1973 में लंदन का दौरा किया। श्री मिश्र की बातचीत के पश्चात् जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4250/73]।

**भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार संतुलन**

677. **श्री सी० जनार्दन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच पुराना और निरन्तर बढ़ने वाला प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन है ;

(ख) 1970-71 और 1971-72 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारे व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या रही है ; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ इस अहितकर व्यापार सन्तुलन से छुटकारा पाने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (बेनेलक्स देश, जौन संघीय गणराज्य फ्रांस तथा इटली) के साथ हमारा प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन बहुत पहले से चल रहा है। प्रतिकूल सन्तुलन 1970-71 और 1971-72 के दौरान क्रमश: (-) 89.79 करोड़ रु० तथा (-) 124.69 करोड़ रु० रहा ।

(ग) जो उपाय किये गए हैं उनमें ये शामिल हैं :-

(1) हमारे निर्यातों की महत्वपूर्ण मदों के संबंध में टैरिफ तथा गैर-टरिफ अवरोधों को हटाये जाने/घटाए जाने के लिये समुदाय के साथ प्रयास।

(2) अधिक निर्यातों को बढ़ाने के लिये समुदाय के सदस्य देशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(3) पृथक-पृथक सदस्य देशों के साथ वाणिज्यिक विकास कार्यक्रमों का आरंभ किया जाना।

(4) व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान।

(5) व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिये समय समय पर परामर्श।

(6) समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना का पूर्ण लाभ उठाने के लिये उपाय।

**16-1-1973 को दिल्ली हवाई अड्डे के एक हैंगर के निकट एयर इंडिया के सामान चढ़ाने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में जांच**

678. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के सामान चढ़ाने वाले 30 वर्षीय कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में जांच की गई है जो 16 जनवरी, 1973 को एयर इण्डिया के हैंगर के निकट सिर में चोट लगने के कारण मृत पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) और (ख) पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। यर इण्डिया भी विभागीय तौर पर इस दुखद दुर्घटना की जांच कर रही है।

**पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के प्रयास**

**679. श्री बक्शी नायक :**

**क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पर्यटन से कुल कितनी आय हुई है और चालू वर्ष में कितनी आय होने की संभावना है; और

(ख) पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिये यदि कोई प्रयास किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान हुई विदेशी मुद्रा की आय और 1973 के दौरान होने वाली प्रत्याशित आय का अनुमान निम्न प्रकार लगाया गया है :—

| वर्ष | विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय |
|---|---|
| | (करोड़ रुपयों में) |
| 1971 | 40.4 |
| 1972 | 48.3 |
| 1973 | 56.0 |

(ख) पर्यटन के आधारभूत उपादानों का विस्तार एवं उन्हें मजबूत किया जा रहा है तथा प्रचार कार्यक्रम पर भी अधिक बल दिया जा रहा है। 1 नबम्बर, 1972 से होटलों को विदेशी पर्यटकों से उनके होटल बिलों का भुगतान (कुछ छूट–प्राप्त वर्गों को छोड़ कर) विदेशी मुद्रा में लेने को कहा गया है।

**विवरण**

**पर्यटक यातायात एवं उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम**

1. 1–11–72 से होटलों को विदेशी पर्यटकों से उन के होटल बिलों का भुगतान कुछ छूट प्राप्त वर्गों को छोड़ कर, केवल विदेशी मुद्रा में ही लेने को कहा गया है।

2. विदेशों की संभावित मंडियों में मार्केटोन्मुख एक प्रबल अभियान चलाया गया है। एयर इण्डिया के सहयोग से चलाये जा रहे "आप्रेशन यूरोप", "आप्रेशन यू० के०" तथा "आप्रेशन अमेरिका" कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. भारत तथा विदेशों में अधिक उन्नत प्रकार के साहित्य के माध्यम से तीव्र प्रचार कार्यक्रम।

4. सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक होटल शय्याओं की व्यवस्था तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।

5. चार्टर उड़ानों संबंधी नीति का उदारीकरण।

6. कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीज़ा शुल्क की समाप्ति।

7. पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया तथा नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिये बीज़ा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किये गये हैं।

8. 21 दिवसीय अस्थायी अवतरण परमिट के आधार पर बिना बीजा के प्रवेश की अवधि को बढ़ाना।

9. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणालियों में सुधार।

10. भारतीय मिशनों तथा भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विदेशी पर्यटकों को नि:शुल्क शराब परमिटों का जारी करना।

11. पुलिस बल को बढ़ा कर भिखारियों तथा दलालों के उत्पाद को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

12. सभी प्रकार की पर्यटक शिकायतों से निपटने तथा उपजारी उपायों के करने के लिये विभाग में एक शिकायत सेल की स्थापना।

13. समुद्रपार वृद्धि पूरक यात्राओं को व्यापक रूप से हाथ में लेने तथा विदेशों में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के योग्य बनाने के लिये यात्रा व्यवसाय को विदेशी मुद्रा के विमोचन के रूप में प्रोत्साहन।

14. प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में विभाग प्रतिवर्ष विदेशों से यात्रा अभिकर्त्ताओं, यात्रालेखकों, पत्रकारों दूरदर्शन तथा फिल्म उत्पादकों को भारत परिचायक यात्राओं के लिये निमंत्रित करता है।

15. गुलमर्ग, कोवालम तथा गोवा में इन स्थानों को लक्ष्य बनाकर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन विहार स्थलों का निर्माण।

16. अपने चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर वृहद सुधार किये जा रहे हैं।

17. वन्य जीव तथा शिकार पर्यटक का विकास।

18. पर्यटक सुविधाओं के संवर्धन तथा सुधार के लिये स्वयं सेवी संगठनों, संस्थाओं और निजी क्षेत्र को अनुदान एवं ऋण देकर सहायता।

19. पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार।

20. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थानों का और अधिक अच्छा अनुरक्षण।

21. पर्यटक सुविधाओं के चलाने के लिये प्रशिक्षण और अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास।

22. एयर इण्डिया के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर स्थान से स्थान तक के विशिष्ट किराये भी लागू किये गये हैं।

## इन्जीनियरिंग सामान के निर्यात में कमी

680. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 1972 के समाचार पत्र 'दि स्टैट्समैन' में "अनएक्सपैक्टेड स्टेगनेशन इन इंजीनियरिंग गुड्स" (इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में अप्रत्याशित स्थिरता) के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में ऐसी स्थिरता होने के क्या कारण हैं और इसके परिणामत: हमारी विदेशी मुद्रा की आय में कितनी कमी आई है ; और

(ग) इंजीनियरिंग सामान के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा सामान्य रूप से अर्जित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग) अप्रैल-दिसम्बर 1972 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात 96.36 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जबकि 1971 की उसी अवधि में 91.72 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। अत: इस पद के निर्यात में किसी प्रकार की गतिहीनता नहीं आई।

इंजीनियरी माल के निर्यातों की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रयास किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है :

1. निर्यात उत्पादन के लिए स्वदेशी तथा आयातित कच्चा माल, प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करने की व्यवस्था।

2. एशिया '72 व्यापार मेले में भाग लेने के फलस्वरूप 1973–74 के दौरान पर्याप्त संख्या में निर्यात आदेशों के कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

3. निकट भविष्य में अनेक प्रतिनिधि मंडल तथा अध्ययन दल भेजे जाने की प्रस्थापना है।

4. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विदेशी कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है ताकि वे अधिक कारगर रूप से कार्य कर सकें।

## अभ्रक वस्तुओं पर निर्यात शुल्क

681. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अभ्रक के ब्लाकों, कन्डेंसर फिल्मों और स्पलिटिंस पर लगने वाले निर्यात शुल्क का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

निर्यात शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्रम संख्या | माल का विवरण | शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | ग्रेड संख्या 2 के अभ्रक खंड तथा कन्डेन्सर फिल्में और उससे उच्चतर से | मूल्यानुसार 30 प्रतिशत |
| 2 | ऊपर क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न सभीग्रेडों के अभ्रक खंड और कन्डेन्सर फिल्में | मूल्यानुसार 20 प्रतिशत |
| 3 | ग्रेड संख्या $5\frac{1}{2}$ और 6 से भिन्न सभी ग्रेडों के अभ्रक के टुकड़े | मूल्यानुसार 20 प्रतिशत |
| 4 | खुले अभ्रक के ग्रेड संख्या $5\frac{1}{2}$ और 6 के टुकड़े तथा ग्रेड संख्या 5 और $5\frac{1}{2}$ का मिश्रित टूटा हुआ खुला अभ्रक | मूल्यानुसार 15 प्रतिशत |

**Visit by Central Study Team to Tamilnadu**

**682. Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether any Central Study Team was sent to Tamilnadu in December last to assess the loss caused by the devastating floods there ;

(b) if, so, the main features of the report submitted by it;

(c) Whether Tamilnadu Government have asked for a sum of Rs. 25 crores from the Central Government for relief operations among the flood-affected people; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :**

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) : As against a requirement of Rs. 3·16 crores for various relief repair and rehabilitation measures presented by the State Government, the Central team recommended a ceiling of Rs. 7·25 crores for the financial year 1973-74. These ceilings have been adopted and communicated to the State Government. An amount of Rs. 3·50 crores has so far been released to the State Goovernment. Further assistance will be made available on the basis of the progress of expenditure under the ceilings to be reported by the State Government.

**Opening of Branch of Allahabad Bank in Phulwari Sharif, Patna**

**683. Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a branch of the nationalised Allahabad Bank, has been set up at Phulwari Sharif in Patna District ;

(b) whether no armed guard has been appointed there for the safety of the Bank ; and

(c) if so, the propriety thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :**

(a) Yes Sir.

(b) & (c) Allahabad Bank's Phulwari Sharif Branch in Patna District has been established as a one-man branch with one Manager and one peon-cum-farash. Additional staff will be provided as and when warranted by the increase in the volume of business. Normally such branches are not given armed guards. If, however, the situation so requires an armed guard will be provided later.

**मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये मंजूरी स्थिर करने की मांग**

**684. श्री गिरिधर योमांगो :**

**श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए मंजूरी स्थिर करने की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** (क) से (ग) मंजूरी में की जाने वाली ऐसी बृद्धियां, जिनका उत्पादकता से कोई संबंध नहीं होता, सामान्य मूल्य-स्थिरता में सहायक नहीं होतीं। साथ ही इसका यह अर्थ नहीं है कि मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए मंजूरी का स्थिर करना जरूरी है। "पांचवी आयोजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक प्रकाशन में मंजूरी संबंधी नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ; इसमें मंजूरी के सामान्य स्थिरीकरण की कल्पना नहीं की गई है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति**

**685. श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेते समय एक छोटे किसान, तकनीशियन और छोटे ग्रामीण दस्तकार को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बैंकों के माध्यम से अपनी ऋण नीति में परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 1970–71 और 1971–72 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा हुई ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ऋण देने की नीति में समाज के कमजोर एवं अब तक अपेक्षित रहे क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इन वर्गों के ऋणकर्त्ताओं के प्रार्थनापत्रों की जांच करते समय बैंक जमानत के बजाय संबद्ध उद्यम के उत्पादक स्वरूप और उस की सक्षमता पर अधिक बल देते हैं। नियोजन क्षमता के संदर्भ में बैंकों की ऋण योजनाओं विषयक समिति इन क्षेत्रों के ऋणकर्त्ताओं के लिए सरलीकृत आवेदनपत्र के फार्म तैयार किए हैं और बैंकों से इन फार्मों को अपनाने के लिए सिफारिश की है। इन क्षेत्रों को ऋण देने की प्रतिक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर भी तत्परता से विचार किया जा रहा है।

(ग) अन्तर बैंकीय जमा रकमों को छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा रकमें मार्च 1970–71 और 1972 के अन्तिम शुक्रवार को इस प्रकार थीं –

| मार्च के अन्तिम शुक्रवार को | बकाया रकम करोड़ रुपयों में |
|---|---|
| 1970 | 2,815 |
| 1971 | 3,304 |
| 1972 | 3,897 |

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले कमजोर वर्ग की अपेक्षा बड़े व्यापार गृहों को कम ब्याज पर ऋण देना**

**686. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

**श्री मुख्तयार सिंह मलिक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया सहित कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी फालतू निधियों के लिए ग्राहक आकर्षित करने के लिए सामान्य ब्याज दरों से आधा से एक प्रतिशत तक कम ब्याज पर ऋण देने की पेशकश करने लगे हैं ;

(ख) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि जब कि ऋण लेने वालों के गरीब और कमजोर वर्गों को ऋण अधिक ब्याज दरों पर ही दिये जाते हैं ; वहां बड़े व्यापार गृहों को कम ब्याज की दरों का लाभ मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंकों द्वारा इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को जब यह पता चला कि कुछ मामलों में बैंकों द्वारा ब्याज की दरों रियायती दरों की पेशकश करके एक दूसरे से बड़े बड़े ऋण कर्त्ताओं के खाते लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं तो रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1972 में बैंकों को यह परामर्श दिया कि उन्हें ऋणकर्त्ताओं के वर्तमान बैंकारों द्वारा निर्दिष्ट ब्याज की दरों से कम दरें बता कर किसी पार्टी की कुल मिलाकर 25 लाख अथवा उससे अधिक की ऋण सीमाओं को नहीं लेना चाहिये। इसके बाद 13 जनवरी 1973 को रिजर्व बैंक ने फिर सभी बैंकों को यह परामर्श दिया था कि वे रिजर्व बैंक से पूर्व स्वीकृति के बिना और उन बैंकों के साथ जिन्होंने उस प्रकार की सुविधायें प्रदान की हैं, पूर्व परामर्श के बिना कुल मिलाकर 25 लाख रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण सीमाएं या ऋणों का दायित्व उठायें। फिलहाल ये अनुदेश अप्रैल, 1973 के अन्त तक लागू रहेंगे।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कौन सा विशेष आरोप लगाया है अथवा वह किस संबंध में है। आमतौर पर बैंक छोटे छोटे ऋण-कर्त्ताओं को उचित शर्तों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बकों के कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध संरक्षण**

**687. श्री वाई० ईश्वर रड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 47 के अन्तर्गत स्टैट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को बैंक का निरीक्षण करने वाले बैंक निरीक्षक को बैंक के कार्यकलापों से सम्बन्धित जानकारी देनी होती है ;

(ख) क्या निरीक्षण के दौरान निरीक्षक की सहायता करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अत्याचार के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाता है ; और यदि हां, तो किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 47(2) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, सूचना दे कर निरीक्षण अधिकारी की सहायता करना, एक सांविधिक कर्त्तव्य है जिसकी अवहेलना करने पर धारा 47(3) में निर्धारित दण्ड दिया जा सकता है। अतः इस प्रकार के कर्त्तव्य का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति पर अत्याचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हर स्थिति में, शिकायतें दूर करने के लिए नियमों के अन्तर्गत दी गयी सामान्य प्रक्रिया सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

## निर्यात के लिये रूस के साथ व्यापार करार

688. श्री पी० ए० स्वामिनाथन :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को निर्यात के संबंध में दिसम्बर, 1972 में भारत और रूस के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तता (ख) दिसम्बर, 1972 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये । हां, 25 नवम्बर 1972 को वर्ष 1973 के लिए भारत-सोवियत व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे । इस संलेख में दोनों देशों के बीच वर्ष 1973 के दौरान कुल 411 करोड़ रुपये का व्यापार होने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1973 के दौरान सोवियत संघ को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यातों में ये शामिल होंगे : इंजीनियरी माल, उपभोक्ता माल तथा अन्य उपरम्परागत वस्तुएं, जैसे कि सिले सिलाए वस्त्र, लिनोलियम, गराज उपस्कर, विद्युत मोटरें, स्टोरेज बैटरियां, बिजली के केबल, तार के रस्से, प्रक्षालक द्रव्य, अंगराग सामग्री, रंजक-पदार्थ, हाथ-औजार, शल्य चिकित्सा संबंधी औजार वैक्यूम फलास्क, सिगरेट आदि, और इसके अतिरिक्त परम्परागत मदें, जैसे कि तेल रहित खली, काजू गिरी, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, सूती वस्त्र, पटसन से बनी वस्तुएं, हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि । वर्ष 1973 के दौरान सोवियत संघ से भारत को आयात की जाने वाली प्रमुख मदें इस प्रकार होंगी : संयंत्र तथा मशीनें, पैट्रोलियम उत्पाद, औद्योगिक कच्चा माल जैसे कि एस्बेस्टोस, जस्ता, निकल, तांबा, पैलेडियम, उर्वरक, अखबारी कागज, तापसह ईंटे आदि । ये मदें सोवियत संघ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए उपस्करों, फालतू हिस्सों तथा कच्चे माल के अलावा हैं ।

## दिसम्बर, 1972 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को अपनी उड़ानों से हुआ लाभ

689. श्री लालजी भाई :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इण्डियन एयर-लाइंस को दिसम्बर, 1972 में अर्जित 6.8 करोड़ रुपये की कुल आय में 85 लाख रुपये का लाभ हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इण्डियन एयरलाइंस को दिसम्बर 1972 मास में 6.71 करोड़ रुपये की कुल अर्जित आय के मुकाबले 83.28 लाख रुपये का परि-चालन लाभ हुआ ।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर रियायती ब्याज दर**

690. **श्री अण्णा साहिब शिण्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्रों के बैंको द्वारा निम्न आय वर्ग को, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, रियायती ब्याज दर देने संबंधी योजना वस्तुतः क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये पात्र लोगों की पहचान के लिए क्या मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त बनाए गए हैं और ऋण देने की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी जाएगी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुशीला रोहतगी)** :

(क) जी, हां ।

(ख) इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंको को जारी कि गई मार्ग-दर्शक निर्देशक सिद्धान्त की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [मंत्रालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-4251/73]

(ग) योजना की क्रियान्विति की गति अभी हाल ही में तेज हुई है । अतः 30 जून, 1973 तक किये जाने वाले निवेश की संभाव्य प्रणाली की रूपरेखा उचित समय में ही स्पष्ट होगी ।

**जकार्ता में 16-6-73 से 28-7-73 तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के संबंध में निर्णय**

691. **श्री एम० एम० जोजफ** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की : कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जकार्ता (इंडोनेशिया) में 16 जून से 28 जुलाई, 1973 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :

(क) जी हां ।

(ख) बजट प्राक्कलन 1973-74 में इसके लिए अस्थायी तौर पर 6 लाख रुपये का सुझाव दिया गया है ।

**ग्रीस के साथ व्यापार करार**

692. **श्री एम० एम० जोज्फ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ग्रीस के बीच जनवरी, 1973 में कोई व्यापार करार हुआ था ?; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हाँ ।

(ख) करार का उद्देश्य सामान्य रूप में भारत तथा यूनान के बीच व्यापार का संवर्धन करना है । इसके अंतर्गत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार तथा भुगतानों, प्रेषणों, तथा निधियों अथवा वित्तीय लिखतों के अंतरण, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्यचालन, नौवहन आदि के मामलों में परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करन और माल के निर्यात/आयात के लिये तथा मेले व प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अधिकतम संभव सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत करार के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाइयां होने पर उनके समाधान के लिए और दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तारहेतु ठोस मार्गोपायों का पता लगाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समय पर परामर्श किये जाने की भी व्यवस्था है ।

**'एशिया 72' मेले में कला प्रदर्शनी**

693. **श्री मधुकर :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलाकारों से अनुरोध किया था कि वे 'एशिया 72' मेले में कला प्रदर्शनी के लिए अपने चित्र भेज और यदि हां, तो मेले में कला प्रदर्शनी की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) कितने कलाकारों ने अपने चित्र भेजे ; और

(ग) सरकार द्वारा अपने खर्च से कलाकारों को उनके चित्र वापस न भेजने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी नहीं । एशिया '72** में कला प्रदर्शनी का न तो विचार ही था और न हीं उसकी व्यवस्था की गई । किन्तु एशिया '72 के प्राधिकारियों द्वारा चित्रकारी को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी और इस प्रतियोगिता के लिए 472 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं ।

(ग) चित्रकारी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्राप्त सभी प्रविष्टियां सरकारी खर्च पर कलाकारों को वापिस भेजी गई थीं ।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा लेबनान के बाजार में ऋण लेना**

694. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

**श्रीमती विभाघोष गोस्वामी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लेबनान के बाजार में 1.5 करोड़ लेबनानी पौंड का ऋण लेने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया को अनुमति दी है, यदि हां, तो ऐसी मुद्रा में ऋण लेने का क्या औचित्य है जो एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है ;

(ख) क्या यह ऋण दुलर्भ मुद्रा में वस्तुओं के लिए भुगतान करने हेतु उपयोग में लाया जायेगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इस मुद्रा परिवर्तन से बिलों के भुगतान में अथवा ऋण चुकान में हानि नहीं होगी ; और

(ग) क्या इस लेन-देन पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रों द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) :** जी, हां। सरकार ने, युगोस्लाविया में निर्माणाधीन दो ओ वी ओ जहाजों के सम्बन्ध में विदेशी-मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा ऋण लेने के बारे में भारतीय जहाजरानी निगम के प्रस्ताव को 4 अक्टूबर, 1972 को मंजूरी दी थी। यह ऋण 5 वर्षों में 7 छमाही किस्तों में चुकाया जाना है ; पहली किस्त ऋण की रकम की निकासी की तारीख के दो वर्ष बाद देय होगी। इस ऋण पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की निर्धारित दर पर व्याज लगेगा और यह भारतीय आय-कर से मुक्त होगा। यह ऋण भारतीय राज्य बैंक द्वारा प्रामिसरी नोटों के एवज में लिया गया है। भारतीय राज्य बैंक को स्टाम्प शुल्क के रूप में 0.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त खर्च भी करना पडेगा।

लेबनानी पौंड एक ऐसी मुद्रा है जिसका मुक्त रूप से रूपान्तरण किया जा सकता है। ऋणदाता बैंकों और भारतीय राज्य बैंक के बीच हुए ऋण करार में एक विशिष्ट खण्ड यह शामिल किया गया था कि यदि ऋण की राशियां रूपान्तरणीय नहीं होंगी तो यह करार रद्द हो जायेगा। ऋण की राशि का अमरीकी डालरों में रूपान्तरण करके और यूगोस्लाविया के जहाज निर्माण करने वाले कारखाने को अदायगी करके, ऋण का उपयोग किया जा चुका है। ऋण की निकासी के समय किये गये रूपान्तरण से कोई घाटा नहीं हुआ था।

ऋण की वापसी अदायगी दिसम्बर, 1974 से शुरू होगी। अन्तराष्ट्रीय बाजार में लेबनानी मुद्रा को खरीदने के लिए जो मुद्रा-विनिमय किया जाएगा वह उपयुक्त समय पर विदेशी मुद्रा की विद्यमान दरों के अनुसार किया जायेगा। यह एक ऐसा जोखिम है जो किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन में अन्तर्निहित होता है।

(ग) सरकार ने इस ऋण के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें देखी हैं। यह ठीक है कि इस बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की गयी हैं, लेकिन इस लेन-देन के सम्बन्ध में जो कुल टिप्पणियां की गयी हैं वे, कुल मिलाकर, इसके पक्ष में ही हैं।

लेबनानी बैंकों द्वारा जिन शर्तों पर यह ऋण दिया गया था, वे भारत सरकार को स्वीकार्य थीं। विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों नें भी लेबनान और मध्य-पूर्व के बाजारों में ऋण लिये हैं ।

**अकाल तथा सूखा राहत, सम्बन्धी कार्यों के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता**

695. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि राज्य में अकाल तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिये वर्तमान केन्द्रीय सहायता अपर्याप्त है ;

(ख) यद्यपि उक्त कार्यों के लिये राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है परन्तु क्या अभी तक न तो प्रतिवेदन को प्रकाशित किया गया है और न तो इसकी सिफारिशों को कार्यरूप दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 79 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में मांगी है, और यदि हां तो इसमें से कितनी राशि मंजूर की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** :

(क) जी हां ।

(ख) **और** (ग) : सूखे के कारण केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए चालू वष में तीन दलों ने राज्य का दौरा किया है । पहले दो दलों ने जो सिफारिश की थी उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 6.60 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा स्वीकार कर ली थी जब कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 33.00 करोड़ रुपये की मांग की थी । केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों सहित अपेक्षित मंजूरी की सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी थीं । तीसरे केन्द्रीय दल को जिसने हाल ही में राज्य का दौरा किया है, प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में राज्य सरकार ने 86.68 करोड़ रूपये तक की केन्द्रीय सहायता की मांग की है, 79 करोड़ रुपये की नहीं ।

इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**बंगला देश की सरकार की ओर से करेंसी नोटों का छापना**

696. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगला देश सरकार की ओर से कुछ करेन्सी नोट छापे थे ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बंगला देश के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में यह आरोप लगाया गया है कि भारत में कुछ एक ही नम्बर के दो-दो नोट छापे गए थे और बंगला देश में बरामद किए गए थे ;

(ग) क्या मामले की तह में पहुंचने के लिए भारत सरकार ने बंगला देश के सहयोग से अथवा स्वतंत्र रूप से जांच की है और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) : जी, हां ।

(ख) : भारत सरकार को ढाका-स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की सूचना दे दी गई है ।

(ग) और (घ): एक प्रेस नोट के जरिए ढाका स्थित उच्चायोग द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि भारत द्वारा एक ही नम्बर के दो-दो नोट छापने के बारे में आक्षेप बिल्कुल निराधार है और भारत तथा बंगलादेश के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए इसका प्रचार किया जा रहा है। यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि बंगला देश की सरकार अनुरोध करे तो भारत सरकार इस प्रकार के जाली नोटों के स्रोत का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। यह फैसला करना बंगला देश की सरकार का काम है कि क्या बंगला देश में कोई जांच कराना चाहती है या नहीं ।

**एशिया' 72 मेले में नागरिक उड्डयन विभाग के मंडप में प्रदर्शित एक जैन साधु की पत्थर की पुरानी अर्ध-प्रतिमा का बरामद किया जाना**

697. श्री० **नरेन्द्र कुमार सांधी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया 72 मेले में नागरिक उड्डयन विभाग के मंडप में प्रदर्शित एक जैन साधु की 14वीं शताब्दी की पत्थर की पुरानी अर्ध-प्रतिमा चुरा ली गई थी ; यदि हां, तो इस अर्ध-प्रतिमा का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ख) क्या यह अर्ध-प्रतिमा एयर इण्डिया की थी अथवा इसको प्रदर्शन हेतु पुरातत्व विभाग से लिया गया था ; और

(ग) क्या इस बीच प्रतिमा को बरामद कर लिया गया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री**

**(डा० कर्ण सिंह) :**

(क) : चुरायी गयी मूर्ति चौदहवीं शताब्दी के एक जैन साधु की आवध प्रतिमा (बस्ट) नहीं थी, अपितु राजस्थान की 15वी शताब्दी की एक कलाकृति 'एक भक्त की शीर्ष प्रतिमा' थी। यह 16 जनवरी, 1973 को नागर विमानन विभाग के मंडप से चुरायी गयी थी।

इसे एयर इण्डिया ने 1967 में 400 रुपये में खरीदा था तथा 800 रुपये में इसका बीमा कराया था। इसका वर्त्तमान मूल्य 3,000 रुपये होने का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) : यह प्रतिमा एयर इण्डिया द्वारा एकत्रित किये गये संग्रह का एक अंग थी।

(ग) : चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गयी थी जो अभी इसकी छानबीन कर रही है।

**नियंत्रित कपड़े का न उठाया गया स्टाक**

698. श्री० **सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री **मोहम्मद इस्माइल** :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों के पास नियंत्रित कपडे का बहुत बड़ा स्टाक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्टाक उठाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :

**(क) तथा (ख)** : नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए। नवम्बर, 1972 से लागू की गई योजना की प्रारंभिक अवस्था में मिलों के पास नियंत्रित कपड़े के कुछ स्टाक जमा हो गये थे। स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि मिलों की अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए नियत नियंत्रित कपड़े की मात्रा में वृद्धि करके उसे मिल के नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का 10 से 20% कर दिया गया है और न उठाए गए कपड़े का आबंटन उन अन्य राज्यों के लिए, जो उसे स्वीकार करने और उसे शीघ्र ही उठाने के लिए तैयार हों या उसे मिलों की अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए नियत कर दिया गया है।

**भारत के गैर परंम्परागत उत्पादों के निर्यात में गिरावट**

699. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के दौरान भारत के गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :

(क) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में अपरम्परागत वस्तुओं के समय निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में बढ़े हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री लंका को और वहां से माल की तस्करी**

700. श्री **सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के आर गणेश) :**

(क) सरकार को पता है कि श्रीलंका को लाल मिर्च, भारतीय वस्त्रों, प्लास्टिक की वस्तुओं तथा बीड़ी पत्ती जैसी वस्तुओं का कुछ तस्कर निर्यात होता है तथा श्रीलंका से भारत में लौंग, जायफल जावित्री, मछली पकड़ने के नायलन के जाल जैसी वस्तुओं का तस्कर आयात होता है।

(ख) इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(i) पूर्वी समुद्रतट पर प्रमुख केन्द्रों में स्थित समुद्री चौकियों की पार्टियों द्वारा तेज रफतार से चलने वाली नौकाओं से गशत लगाई जाती है ?

(ii) समुद्र-तट के क्षेत्रों की निगरानी चलती-फिरती निवारक पार्टियों द्वारा की जाती है जिनके पास तीव् गति से चलने वाले वाहन होते है। भीतरी प्रदेश में महत्वपूर्ण तथा सुगमता से पार कर सकने योग्य सड़कों के मिलन-स्थलों (जंक्शन) पर उन वाहनों को मार्ग में रोकने के लिए गशत लगाई जाती है जिन पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो।

(iii) दो अधिक्षकों की देख-रेख में आसूचना अधिकारियों का एक जाल विछा हुआ है इन अधिक्षिकों को, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचना रिपोर्टों को उपयोगी बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए मुख्यालय कार्यलय में नियुक्त किया गया है।

(iv) हाल ही में जनवरी, 1973 में भारत और श्रीलंका के सीमाशुल्क और पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि तस्कर-व्यापार को रोकने के प्रयोजन के निमित्त प्रभावी समन्वय के हित में दोनों देशों के उचित स्तर के अधिकारियों के बीच आसूचना का मुक्त आदान प्रदान किया जाना चाहिए।

**मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा**

701. श्री **सूखदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चशकित प्राप्त एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में मध्यप्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दल के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सहायता के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) मौके पर स्थिति का मूल्याकन करने और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन र्थ राहत सम्बन्धी उपायों पर व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय दल इस समय राज्य का दौरा कर रहा है।

(ख) इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हूई है।

**आयकर अधिकारियों द्वारा विरोध दिवस मनाया जाना**

702. श्री **सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री **मुख्तियार सिंह मलिक** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 19 जनवरी, 1973 को देशपर्यन्त विरोध दिवस मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** :

(क) आय कर विभाग के कुछ श्रेणी-II अधिकारियों और श्रेणी-II से पदोन्नत श्रेणी-I अधिकारियों ने आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में कई स्थानों पर 19 जनवरी, 1973 को विरोध-'दिवस' मनाया ।

(ख) मुख्य शिकायतें/मांगें निम्नानुसार थीं :—

(i) श्रेणी-II संवर्ग का उन्मूलन और मौजदा श्रेणी-II अधिकारियों का श्रेणी-I संवर्ग में विलय ।

(ii) अधिकारियों की दोनों श्रेणियों—सीधी भर्ती किए गए आयकर अधिकारी श्रेणी-I तथा आयकर अधिकारी श्रेणी-II के वेतनमानों और उनको मिलने वाले पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों के बीच के अन्तर को दूर करना ।

(iii) उचित और न्यायपूर्ण वरिष्ठता नियम ।

2. सरकार श्रेणी-II को समाप्त करने और अधिकारियों के वेतन-मानों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतिक्षा करेगी । जहां तक वरिष्ठता और उन्नति के अवसरों का सम्बन्ध है, सरकार ने वरिष्ठता नियम जारी कर दिए हैं, जो उचित तथा न्यायपूर्ण हैं और जिनमें श्रेणी-II के आयकर अधिकारियों के लिए तरक्की के बेहतर अवसरों की व्यवस्था है ।

**आयकर की बकाया राशि का बट्टे खाते डाला जाना**

703. श्री **डी० के० पांडे** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में आयकर की बकाया राशि का कोई भाग बट्टे खातें डाला गया है, यदि हां, तो कितनी राशि बट्टे खाते डाली गयी ;

(ख) किन-किन व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर यह राशि बकाया थी ; और

(ग) बकाया राशि को बट्टे खाते डालने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (अंशत: अथवा पूर्णत:) बट्टे खाते डाली गयी आयकर की कुल रकम निम्नानुसार है :—

| वित्तीय वर्ष | बट्टे खाते डाली गई रकम |
|---|---|
| | (रु० में) |
| 1969–70 | 2,38,27,774 |
| 1970–71 | 5,00,17,298 |
| 1971–72 | 4,75,37,918 |

(ख) **और** (ग) : ऐसे मामलों की कुल संख्या, जिनमें गत तीन वर्षों में आयकर की बकाया रकम बट्टे खाते डाली गयी थी, 37000 से अधिक है । इन सब मामलों में सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा । बकाया मांग या इसका कोई भाग निम्नलिखित कारणों में से किसी एक अथवा अनेक कारणों से बट्टे खाते डाला जाता है :—

(i) निर्धारित मर गए हैं और अपने पीछे कोई परिसम्पतियां नहीं छोड़ गए हैं।

(ii) ऐसे निर्धारिती जो जीवित हैं लेकिन पास कुर्की योग्य या तो कोई परिसम्पतियां नहीं हैं या अपर्याप्त हैं ।

(iii) निर्धारित कम्पनियां परिसमाप्त हो गयी हैं ।

(iv) निर्धारितियों का दीवाला निकल गया है ।

(v) निर्धारितियों की कोई खोज-खबर नहीं है ।

(vi) निर्धारितियों ने भारत छोड़ दिया है ।

(vii) निर्धारितियों से समझौते के परिणाम स्वरूप रकमें बट्टे खाते डाल दी गयी हैं ।

(viii) मांगों का संरक्षणात्मक होने आदि जैसी परवर्ती सूचना के आधार पर मांग बकाया नहीं पाई गयी ।

**भारत के आर्थिक निर्यात लक्ष्य में गिरावट**

704. **श्री डी० के० पंडा :**

**क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1973 के समाचार पत्र 'दि हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' (कलकत्ता) में "वहोपिंग फाल इन इंडियास एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट (भारत के वार्षिक निर्यात लक्ष्य में तेजी से गिरावट) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां ।

(ख) समाचार की विषय-वस्तु नोट कर ली गई है ।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा सोवियत संघ को जूतों की सप्लाई**

705. श्री **देवेन्द्रसिंह गरछा** :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण रुस से 5 लाख जोड़े जूतों की सप्लाई करने संबंधी क्या देश की राज्य व्यापार निगम पूर्ति नहीं कर सका ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को और अधिक जूतों की सप्लाई करने के लिए फुटवियर एक्सपोर्टर्स फैडरेशन आफ इंडिया ने अगस्त, 1972 में रुस से आठ लाख जोड़े जुतों के नये क्यादेश के प्राप्त होने के बाद प्रति जोड़ी जूतों की कीमत में हुई वृद्धि के लिए नकद राजसहायता की मांग की है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) से (ग): सोवियत संघ ने पुरानी दरों पर 5 लाख जोड़ी जूते खरीदने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी तथा राज्य व्यापार निगम परिवर्धित लागतों को पूरा करने हेतु उनसे उंची कीमतें प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है ।

**लघु उद्योगों के विकास के लिये अन्तराष्ट्रीय विकास संघ आई० डी० ए० से ऋण**

706. श्री **देवेन्द्रसिंह गरछा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु अद्योगों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीरीय विकास संघ से लिए गए 181.97 करोड़ रुपये के ऋण प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) इस ऋण को कितने समय में और किस प्रकार चुकाया जाना है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक से सम्बंन्धित और आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रायोजना के लिए 2.5 करोड़ अमरीकी डालर (लगभग 18.2 करोड़ रुपये) के एक ऋण के लिए 9 फरवरी, 1973 को एक करार किया है । इस ऋण का प्रयोजन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सहायता देना है जिससे बैंक भारत के छोटे और दरमियाने पैमाने के उद्योगों के विकास के वितपोषण से सम्बन्धित अपने क्रियाकलापों का विस्तार कर सके ।

(ख) अन्तर्राष्रीय विकास संघ द्वारा भारत को दिये जाने वाले इस ऋण पर कोई व्याज नहीं लगेगा लेकिन 1 प्रतिशत के तीन-चौथाई ( 1 प्रतिशत के $\frac{3}{4}$) की दर से केवल सेवा-प्रभार देना पड़ेगा । ऋण की राशि 1 फरवरी 1983 से शुरू होने वाली और 1 अगस्त, 2022 को समाप्त होने वाली छः माही किस्तो में चुकायी जानी है ।

**भूमिहीन लोगों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में योजना तैयार करने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश**

**707. श्री देवेन्द्र सिंह गरछा:**
**श्री गिरिधर गोमागो:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिये कहा गया है जिनके अन्तर्गत भूमि सुधारों से लाभान्वित होने वाले भूमिहीन लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या देश के लगभग 163 जिलों में एक ऐसी योजना का परीक्षण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत लघु जोतों वाले किसानों को ब्याज की अलग-अलग दरों पर ऋण दिया जाता है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) :**

(क)और (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंक, भूमिहीन लोगों से भी आने वाली सक्षम योजनाओं पर अनुकूल रूप से विचार करते हैं और उनका वित्तपोषण करते हैं।

(ग) चुने हुए जिलों में एक एकड़ तक सिंचाई वाली भूमि और 2.5 एकड़ तक शुष्क भूमि रखने वाले किसानों के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रियायती दरों पर ऋण देने की एक योजना चलायी जा रही है। इस समय यह योजना 176 जिलों की कुछ चुनी हुई शाखाओं में चलायी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने देश भर म छोटे और दरम्याने दर्जे के जोत वाले विभिन्न वर्गों के लिये एक योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत ब्याज की अलग-अलग दरों पर ऋण उपलब्ध किया जाता है।

**AMOUNT GIVEN TO SMALL AND BIG INDUSTRIES BY FINANCE CORPORATION OF INDIA**

**708. Shri Hari Singh :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state the amount given to small and big industries, separately by the Industrial Finance Corporation of India during the last three years, year-wise. ?

**The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :**

Under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 as it stood before its recent amendment in December, 1972, only public limited companies and co-operatives were eligible for financial assistance from the Industrial Finance Corporation which usually promote medium and large scale industrial units. The financial assistance sanctioned and disbursed by the Corporation to the medium and large scale projects during its last three accounting years is given below :—

Rs. in lakhs

| Year (July—June) | Financial Assistance Sanctioned | Disbursed |
|---|---|---|
| 1969-70 .. .. .. .. .. | 1,937·72 | 1,805·07 |
| 1970-71 .. .. .. .. .. | 3,515·13 | 1,734·70 |
| 1971-72 .. .. .. .. .. | 4,063·78 | 2,210·27 |
| Total .. | 9,516·65 | 5,750·04 |

## LOAN ADVANCED TO FARMERS HAVING LAND HOLDING OF FIVE BIGHAS

709. **Shri Hari Singh :**

**Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan advanced by the Nationalised Banks to the farmers having land-holding of five bighas or less during the last three years ; year-wise and

(b) The amount of loan advanced to the farmers having land-holding of more than five bighas during the said period, year-wise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi)**

(a) & (b) The Statistical data in the manner asked for are not maintained by the Nationalised Banks. Arrangements are however under way to have break-up of accounts according to size of holdings.

## ALLOCATION OF FOREIGN EXCHANGE FOR VISITS TO FOREIGN COUNTRIES TO REPRESENTATIVES OF BIG INDUSTRIAL HOUSES

710 ***Shri Hari Singh :**

**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number and names of the representatives of thirty largest Industrial Houses who visited foreign countries during the years 1970-71 and 1972-73 ;

(b) the amount of foreign exchange given to each of them ; and

(c) the purpose of each visit and the results thereof ?

**The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :**

(a) to (c) Presumably the Hon'ble Members desire to have information regarding 20 larger Industrial Houses. On this assumption the necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## SUBMISSION OF REPORTS BY THIRD PAY COMMISSION

711. ***Shri Hari Singh :**

**Shri S. M. Banerjee :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have since received the report of the third Pay Commission ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay, the action taken by Government to expedite the report and the time by which it would be submitted ?

*Original notice of the question received in Hindi.

**The Minister of State in the Ministry of Finance, Revenue and Expenditure (Shri K. R. Ganesh) :**

(a) No, Sir.

(b) does not arise in view of (a) above.

(c) The terms of reference of the Third Pay Commission are wider than in the case of the earlier Commissions and involve complex issues. The Commission had received about 9,500 memoranda from Federations of the Central Government employees and other institutions and also replies to the Questionnaire issued by the Commission to about 2,600 bodies, associations of employees etc. The Commission further obtained oral evidence from over 400 employees associations/federations etc. Discussions were also held with official witnesses and Ministers of State Governments. Sifting of the voluminous data thus collected has necessarily taken time. Moreover, the Commission had to interrupt its work thrice to consider the question of grant of interim relief to Central Government employees with reference to the rise in the consumer price index level from time to time necessitating a rescheduling of their programme. The Commission has, however, been making all efforts to complete its work quickly. According to present indications the final report of the Commission is expected to be received before the 31st March 1973.

**निर्यात संवर्धन परिषद और वाणिज्य मंडल प्रतिनिधियों की बैठक**

**712. श्री पी० एम० मेहता :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात संबंधी परिषदों और व्यापार संघों क प्रतिनिधियों की दिसम्बर 1972 के दूसरे सप्ताह में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या उसमें भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया था कि चीन से भारत के निर्यात को खतरा हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत के निर्यात को मजबूत करने के लिये उपयुक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां ।

(ख) बैठक में निम्न मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) वर्ष 1972—73 के दौरान निर्यात निष्पादन का पुर्नविलोकन तथा वर्ष के लिय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपाय ।

(2) निर्यात संवर्धन परिषदों की संगठनात्मक समस्याएं जिसमें विदेशी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता भी शामिल है ।

(3) 1—1—73 से ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश को भारतीय निर्यात बनाए रखने तथा बढ़ाने हेतू अपेक्षित उपाय ।

(4) भारतीय निर्यातते पर अधिमानों की सामान्यीकृत योजना का लागू करना तथा अब तक प्राप्त अनुभव; और

(5) मदवार निर्यात समस्याएं जिनमें सरकार की मार्गीकरण की योजना तथा दर्तकी परियोजनाओं से संबंधित समस्याएं शामिल हैं ।

(ग) तथा (घ) : जी हां ।

### पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में गोष्ठी

**713. श्री पी० एम० मेहता :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में 1972 के दिसम्बर मास के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में स्थित भारतीय किसानों के व्यापार प्रतिनिधियों की ओर से उत्तम मार्गदर्शन मिलने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि व्यापार प्रतिनिधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे वे विदेशों में जाने वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधि—मंडलों के लिये कार्य कर सकें और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) : जी हां ।

(ग) गोष्ठी में यह सिफारिश की गई कि वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को उनके विदेशों में पदासीन किये जाने से पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि अन्य बातों के साथ साथ वे दौरे पर जाने वाले भारतीय निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडलों की अच्छी प्रकार मदद कर सकें । इन सिफारिशों पर जो कि 20 फरवरी, 1973 को प्राप्त हुई थी, सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

**आयात के लिये सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता**

714. **श्री पी० एम० मेहता :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत में एक आयातकर्ता फर्म के साथ 16 दिसम्बर, 1972 को समाचार पत्रों के लिये 80 लाख रूपये की मुद्रण मशीनों की सप्लाई के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित ठेके का मूल्य क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख): उल्लिखित करार के संबंध में सरकार को कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। तथापि, पूछताछ करने से यह पता चला है कि 16 दिसम्बर, 1972 को एक तथा 15 दिसम्बर 1972 को पांच समाचार प्रतिष्ठानों ने क्रमश: लगभग 8 लाख रुपये तथा 79 लाख रुपये मूल्य की प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिये टैक्माशएक्सपोर्ट, मास्को के साथ संविदाएं की थी।

**वस्त्रों के बारे में विचार गोष्ठी**

715. **श्री पी० एम० मेहता :**

**श्री के० लक्प्पा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, में दिसम्बर, 1972 के दूसरे सप्ताह में वस्त्रों के बारे में दो दिन की कोई विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गोष्ठी का आयोजन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किया था ; और

(ग) क्या इस गोष्ठी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अधीन एक उच्चस्तरीय ग्रुप गठित करने का निश्चय किया गया था, और यदि हां, तो उसके कृत्य क्या होंगे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री (ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जी हां। गोष्ठी में सिफारिश की गई कि विदेश व्यापार संस्थान के संयोजन के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय ग्रुप गठित किया जाए जो एक विशेष वित्तीय निगम के माध्यम से वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु वित्त जुटाने के लिये निश्चित रूप में मानकों तथा कार्यकारी ब्यौरों की सरकार को सिफारिश करे।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में हरिजनों के विरुद्ध कथित भेदभाव**

**716. श्री झारखंड राय :**

क्या वित्त मंत्री 4 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न स० 803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की अजमल खां, नई दिल्ली शाखा में हरिजनों के विरुद्ध भेदभाव बरतने के आरोपों की स्टैट बैंक आफ इण्डिया ने जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार को शोषित समाज एकता कमेटी, नई दिल्ली से दिनांक 1 जनवरी, 1973 को लिखे गये और भी पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है और उक्त मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सरकार को सूचना दी है कि उनके द्वारा की गयी जांच-पड़ताल से स्टेट बैंक आफ इंडिया की अजमल खां रोड़ नयी दिल्ली शाखा में हरिजनों के साथ किये गये किसी भेदभाव का पता नहीं चला है।

(ग) जी, हां।

(घ) शोषित समाज एकता कमेटी के अभ्यावेदन में स्टेट बैंक आफ इंण्डिया की अजमल खां रोड़ नयी दिल्ली शाखा में हरिजनों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप के उल्लेख के अतिरिक्त सुरक्षित खाली पदों के लिये रोजगार कार्यालयों आदि से नाम प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव भी दिये गये हैं।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पद भरने के सम्बन्ध में सरकार ने बैंक को पहले ही विस्तृत हिदायतें जारी कर दी हैं।

**नारियल और सुपारी का आयात**

**717. श्री बी० बी० नायक :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमश: वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में देश में कितने टन और कितनी कीमत के नारियल के गोले और सुपारी का आयात किया गया ; और

(ख) वर्ष 1973 के दौरान इन दोनों वस्तुओं की कितनी टन मात्रा के आयात किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी० जार्ज) :

(क) पंचांग वर्ष 1971 तथा 1972 के लिये आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विदेश व्यापार के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972–73 (जुलाई 1972) तक के दौरान आयात किए गए नारियल तथा सुपारी की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गये हैं :–

(मूल्य रुपये में)

मात्रा प्रति इकाई के अनुसार

| क्रमांक | विवरण | मात्रा इकाई | 1970–71 | | 1971–72 | | 1972–73 (जुलाई' 72 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मात्रा | मल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | नारियल | | | | | | | |
| | (क) नारियल, ताजे सं० | | – | – | 600 | 1111 | – | – |
| | (ख) नारियल, सुखाए हुए | | – | – | – | – | – | – |
| | योग | | – | – | 600 | 1111 | – | – |
| II. | सुपारी | | | | | | | |
| | (क) सुपारी पिसी हुई | मे० टन | – | – | नगण्य | 918 | – | – |
| | (ख) सुपारी कटी हुई | ,, | – | – | 60 | 42,000 | 10 | 7000 |
| | (ग) सुपारी साबुत | ,, | – | – | 30 | 21,860 | 1 | 784 |
| | योग | ,, | – | – | 90 | 64,778 | 11 | 7784 |

(ख) वर्ष 1973 के दौरान जितनी मात्रा में नारियल तथा सुपारी का आयात किये जाने की संभावना है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**बांचू समिति द्वारा काले धन की मात्रा आंकन का तरीका**

718. **श्री बी० के० नायक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बांचू समिति ने क्या सांख्यकीय तरीका अपना कर यह निष्कर्ष निकाला कि देश में काले धन की कुल राशि 1400 करोड़ रुपये है ;

(ख) क्या इस अनुमान की सरकार द्वारा पुन: जांच-पड़ताल कर ली गई है: और

(ग) यदि हां, तो सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) बांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.17 में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अपनाया गया तरीका उचित संशोधनों सहित कालडोर तरीका था और अर्थ-व्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों तथा कुछ अन्य घटनाओं को ध्यान में रखा गया था।

(ख) जी, नहीं। बांचू समिति ने स्वयं यह बात कही है कि उसके द्वारा दिए गए आंकड़े कुछ ऐसी धारणाओं पर आधारित मात्र 'अटकल अनुमान' है, जिसके बारे में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण बहुत अधिक मतभेद विद्यमान हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को ी गई वित्तीय सहायता**

719. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) धनराशि किस उद्देश्य के लिये दी गयी ; और

(ग) क्या धनराशि के उपयोग के संबंध में सरकार का उचित नियंत्रण है और यदि हां तो किस प्रकार का नियंत्रण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) :

(क) : जीबन बीमा निगम ने विभिन्न राज्यों को वर्ष 1970–71 और 1971–72 में जो वित्तीय सहायता दी, उसके आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

(लाख रुपये में)

| राज्य | 1970–71 | 1971–72 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| आन्ध्र प्रदेश | 12,24.04 | 10,09.38 |
| असम | 3,07.94 | 5,91.76 |
| बिहार | 8,16.52 | 7,81.81 |
| दिल्ली | 1,22.52 | 2,32.96 |
| *गुजरात | 21,32.73 | 22,45.60 |
| हरियाणा | 7,76.52 | 8,29.34 |
| हिमाचल प्रदेश | 2.47 | 14.97 |
| जम्मू तथा कश्मीर | 39.94 | 7.98 |
| केरल | 10,13.94 | 11,72.22 |
| मध्य प्रदेश | 8,29.94 | 10,29.04 |
| महाराष्ट्र | 18,18.60 | 28,25.05 |
| मैसूर | 11,44.32 | 10,06.22 |
| उड़ीसा | 6,83.75 | 6,81.10 |
| पांडिचेरी | – | – |
| पंजाब | 8,86.93 | 8,73.00 |
| राजस्थान | 13,17.12 | 7,68.59 |
| तमिल नाडू | 19.25.44 | 23,59.34 |
| उत्तर प्रदेश | 15,87.77 | 17,71.15 |
| **पश्चिम बंगाल | 11,11.91 | 13,80.15 |
| गोआ | 1,07.45 | – |
| | 178,49.85 | 195,79.66 |

*जलपूर्ति कार्यों को हुई हानि को मरम्मत के लिये 25.00 लाख रुपये इस रकम में सम्मिलित हैं ।

**कलकत्ता में नगर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत सहायता इसमें सम्मिलित है ।

टिप्पणी :– जीवन बीमा निगम बाजार में जो प्रतिभूतियां, शेयर और ऋण–पत्र खरीदता है, उनके आंकड़े उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित नहीं है।

(ख) निवेशों का स्थूल वितरण और उनके प्रयोजन नीचे दिये गये हैं।

| निवेशों की किस्म | प्रयोजन |
|---|---|
| 1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां। | राज्य का सामान्य विकास। |
| 2. राज्य सरकार को ऋण। | मकान निर्माण और संबद्ध योजनाएं। |
| 3. नगर-पालिकाओं और जिला परिषदों को ऋण। | शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति और जल विकास योजना।<br>देहाती क्षेत्रों में नलों से जल की पूर्ति की योजना |
| 4. सहकारी समितियों को ऋण | गृह निर्माण।<br>चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये। |
| 5. उद्योगों के सामूहिक क्षेत्रों को ऋण | उद्योगों के सामूहिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये। |
| 6. राज्य वित्तीय निगम और राज्य विद्युत बोर्ड के बंध-पत्र | औद्योगिक विकास और बिजली का उत्पादन तथा प्रेषण |
| 7. पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निवेश। | औद्योगिक विकास। |

(ग) : जीवन बीमा निगम अपने साधन, राज्य सरकारों और उनके अधिकरणों को जिन प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करता है, आशा की जाती है कि वे उनको उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लेंगे। इसके अलावा वित्तीय सहायता केवल ऋण, बंध-पत्र और प्रतिभूतियों के रूप में ही होती है। ऐसी परिस्थितियों में, जीवन बीमा निगम, राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों को दी गयी आर्थिक सहायता के उपयोग पर स्वतन्त्र रूप से कोई निरीक्षण नही रखता। परन्तु यह अवश्य है कि जीवन बीमा निगम जिन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में पैसा लगाता है, उनको कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करता है और अपने हितों की रक्षा के लिये उपर्युक्त कार्यवाही करता है।

## विदेशी पूंजी का विनियोजन

720. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी विदेशी पूंजी का विनियोजन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों ने अपनी पूंजी का विनियोजन किया है : और

(ग) किन–किन क्षेत्रों में विनियोजन किया गया और प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत विनियोजन किया गया ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) 1968–69 के पक्के आंकड़ों से और 1969–70 और 1970–71 के लिये समेकित आधार पर अन्तिम आंकड़ों की जानकारी देने वाले त्वरित अनुमानों से यह पता चलता है कि देश में निम्नलिखित वर्षों के अन्त में लगे हुए विदेशी निवेश की जिसमें ऋण और मरम्मत ऋण भी शामिल हैं राशि इस प्रकार थी :

| | |
|---|---|
| 1968–69 | 1611.3 करोड़ रुपये |
| 1969–70 | 1635.7 करोड़ रुपये |
| 1970–71 | 1672.4 करोड़ रुपये |

1970–71 के बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(ख) पिछले तीन वर्षों में निवेश करने वाले कुछ महत्वपूर्ण देश ये हैं : कनाडा, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, स्विटजर लैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, बेल्जियम, हालैंड, आस्ट्रिया, हंगरी, डेन्मार्क, बल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और बहामास इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस अवधि में निवेश किया है।

(ग) निवेश का उद्योग–वार ब्यौरा केवल 1968–69 के सम्बन्ध में उपलब्ध है और वह इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

| | राशि | कुल राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|
| बगान | 122.4 | 7.6 |
| खनन | 11.5 | 0.7 |
| पैट्रोलियम | 195.7 | 12.1 |
| वस्तु निर्माण | 890.2 | 55.2 |
| सेवाएं | 391.5 | 24.3 |
| | 1611.3 | 100.0 |

**लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लि०, कानपुर का अधिग्रहण**

**721. श्री एस० एम० बनर्जी:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी रतन मिल्स लि०, कानपुर के कुप्रबन्ध को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उसका प्रबंध अपने हाथ में लेने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) मामले पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

**वांचू समिति की सिफारिशें**

**722. श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांचू समिति की सिफारिशें पूरी तरह लागू कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों; और

(ग) काले धन को निकालने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) तथा (ख) :वांचू समिति की ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, एक विस्तृत विधेयक संसद के चालू सत्र में लाया जा रहा है ।

(ग) संसद में पेश किए जाने वाले उपर्युक्त विधेयक के अतिरिक्त, कई प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं, और इनमें तलाशियों तथा माल पकड़ने के दौर में वृद्धि, अधिक अभियोजन, आयकर अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अधिकारों का चुनीदा इस्तेमाल, उनका सर्वेक्षण जिन्होंने नई सम्पत्तियां निर्मित अथवा अर्जित की हैं और कुछ बड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित कर के मामलों पर निगरानी रखने के लिये निरीक्षण निदेशालय (जांच–पड़ताल) में एक विशेष सैल का निर्माण भी शामिल है ।

**वाणिज्य मंत्री द्वारा यूरोपीय देशों की यात्रा**

**723. श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 के महीने में उनकी यूरोपीय देशों की यात्रा का कोई लाभप्रद परिणाम निकला ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (ए० सी० जार्ज) :**

(क) **तथा** (ख) : ब्रिटेन सरकार के निमंत्रण पर श्री ललित नारायण मिश्र, भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री ने 22 जनवरी से 26 जनवरी 1973 तक लंदन का दौरा किया था। उन्होंने दौरे के दौरान भारत–ब्रिटेन व्यापार करार, 1939 के समाप्त होने पर भारतीय उत्पादों के लिये ब्रिटेन में व्यापार में प्रबंधों पर तथा परिवर्द्धित यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन की सदस्यता के संदर्भ में भारतीय व्यापार के लिये सुरक्षा उपायों पर ब्रिटिश मंत्रियों के साथ लाभप्रद विचार विमर्श किया ।

लंदन में विचार विमर्श के पश्चात् जारी की गई सं ुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है जिसमें विचार विमर्श के परिणाम के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०–4252/73)

**कीमतो में वृद्धि के कारण पेंशनरों को अंतरिम सहायता**

724. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीमतों में असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को कोई अन्तरिम सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) **और** (ख) : सरकार का ख्याल है कि आम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के प्रश्न पर तीसरे वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी, उनको ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

**कृषि आय–कर के संबंध में के० एन० राज समिति का प्रतिवेदन**

725. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

**श्री मधु दण्डवते :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि आय पर के० एन० राज समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल में हुई बैठक में उक्त प्रतिवेदन पर चर्चा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रतिक्रिया और सरकार द्वारा लिये गये निर्णय क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) डा० राज समिति की मुख्य सिफारिशें कृषि-जोत पर कर लगाने से सम्बन्धित हैं । इस कर को लगाने का निर्णय राज्य सरकारों के हाथ में है जिन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया है । इस समिति की वे सिफारिशें जिन पर केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लेना है, विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**सरकारी कम्पनियों में लगी पूंजी के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किया गया अध्ययन**

**726. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बुलैटिन में प्रकाशित, मार्च, 1971 में समाप्त हुये वर्ष के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सरकारी कम्पनियों में लगी पूंजी के बारे में किये गये अध्यायन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इन समस्याओं के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) जी हां ।

(ख) यह अध्ययन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की ऐसी 105 गैर वित्तीय और गैर-प्रोत्साहक कम्पनियों की कार्य विधियों के वित्तीय परिनामों के बारे में था जिनकी चुकता पूंजी 5 लाख रुपये और उससे अधिक थी । यह अध्ययन 31 मार्च 1971 को समाप्त हुए वर्ष के बारे में था । इसके मुख्य निष्कर्ष ये थे ।

(i) अध्ययन की गई कम्पनियों में से 93 "अ-दैत्याकार" कम्पनियां थीं जिनकी चुकता पूंजी 20 करोड़ रुपये से कम थी । इन कम्पनियों का कार्य-निष्पादन शेष 12 "दैत्याकार" कम्पनियों से अच्छा था जिनकी चुकता पूंजी 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक थी ;

(ii) "दैत्याकार" और अ-दैत्याकार दोनों प्रकार की खनन और उत्खनन कम्पनियों का कार्य निष्पादन आम तौर पर इंजीनियरी और रसायन कम्पनियों की तुलना में अच्छा नहीं रहा ।

(iii) कुल मिलाकर "दैत्याकार" कम्पनियां बिक्री बढ़ाने में "अदैत्याकार" कम्पनियों से पीछे रहीं, पर दैत्याकार कम्पनियां अपने शुद्ध घाटे को, 1969-70 के 26 करोड़ से, घटा कर 1970-71 में 24 करोड़ रुपये करने में सफल हुई इसी अवधि में "अदैत्याकार" कम्पनियों का शुद्ध घाटा 11 करोड़ रुपये से बढ़कर 13 करोड़ रुपये हो गया ; और

(iv) दैत्याकार और अदैत्याकार कम्पनियों की परिसम्पत्ति के निर्माण में आन्तरिक साधनों से मामूली योगदान मिला है ।

(ग) सरकार केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रमों के कार्य पर लगातार निगाह रखती है जिससे समय रहते उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके । इन उद्योगों के कार्य को सुधारने के लिये कई कदम उठाये गये हैं इनमें यह कदम शामिल हैं :–

(i) उपकरणों के बंद रहने के समय को कम करने के लिये बेहतर रख-रखाव, संगठन और पद्धतियां ;

(ii) बेहतर उत्पादन, आयोजन और नियंत्रण, और

(iii) अधिक अभिप्रेरण और उच्च उत्पादन के लिये प्रोत्साहन योजनाएं और प्रशिक्षण आदि ।

सरकार खनन उद्योगों विशेष रूप से नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन की विशेष समस्याओं से परिचित है । इस कारपोरेशन को कई टैकनोलौजिकल बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है । इन समस्याओं के विशेष अध्ययन पर आधारित आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

सरकार चाहती है कि इन उद्यमों के संचालन परिणामों में सुधार हो जिससे वे देश के आर्थिक विकास में अधिक योगदान कर सकें और अपने खुद के विकास के वित्तपोषण के लिये आन्तरिक साधनों को बढ़ा सकें ।

**काले धन को समाप्त करने के लिये विधेयक**

**727. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन को समाप्त करने के लिये एक विधयक लाने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क), (ख) और (ग) : वांचू समिति की जो सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये संसद् के चालू सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

**राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट करना**

**728. श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने ओवर-ड्राफ्टों के बारे में उदार और सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नवीनतम मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) जी, नहीं। संभवत: सरकार के इस निर्णय का उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य का भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्ट की बजट सम्बन्धी साधन समझने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैसूर सरकार ने इस निर्णय के प्रति कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**संयुक्त भारत–ब्रिटेन आर्थिक आयोगों की स्थापना का प्रस्ताव :**

729. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के विचार से भारत ने संयुक्त भारत-ब्रिटेन आर्थिक आयोगों की स्थापना के प्रस्ताव पर ब्रिटेन के साथ लिखित में विचार विमर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

**(क) तथा (ख)** : भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार पारस्परिक हित के मामलों पर एक दूसरे से परामर्श करने और भारत तथा ब्रिटेन के बीच अत्याधिक सहयोग बनाए रखने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए सहमत हो गई हैं। इन परामर्श व्यावस्थाओं को संस्था का रूप देने के प्रश्न पर जब भी कभी दोनों सरकारें आवश्यक समझेंगी, विचार किया जाएगा।

**आयकर के लिये पत्नी और पति की आय को मिलानां**

730. **श्री मधु दण्डवते :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्नी और पति की आय को न मिलाने से बड़ी मात्रा में कर की बचत होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों की आय को मिलाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) हालांकि सरकार को यह मालूम है कि आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के अधीन (पति, पत्नी और नावालिग बच्चों के परिवार को कराधान की एक इकाई मानने के बजाय) कराधान की पृथक इकाई के रूप में एक व्यष्टि के कराधान से कर परिहार्य को सुविधा मिली है, लेकिन कर परिहार्य की सही मात्रा मालूम नहीं है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

**विमान से फोटो लेने के लिये 12 नवम्बर, 1972 को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान द्वारा बम्बई से दिल्ली यात्रा कर रहे एक विदेशी के विरुद्ध शिकायत**

**731. श्री मधु दण्डवते :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1972 को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान से बम्बई से दिल्ली यात्रा कर रहे एक यात्रि ने यह शिकायत की थी कि उस विमान से यात्रा कर रहे एक विदेशी ने विमान से दिल्ली हवाई अड्डे समेत विभिन्न स्थानों के फोटो लिये थे ;

(ख) क्या इससे भारत रक्षा अधिनियम और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित यात्री के विरुद्ध और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) जी, हां । मामले की विस्तृत पूछताछ की गई थी । एक विमान परिचारिका को याद है कि उसने एक यात्री को अपने कैमरे को इधर उधर हिलाते हुए देखा था और उसे बता दिया था कि उड़ान के दौरान अथवा विमानक्षेत्र पर चित्र लेने की मनाही है । उसे यह भी स्मरण है कि विमान से उतरते समय उक्त यात्रि ने इस बात से इन्कार किया था कि उसने कोई चित्र लिये हैं।

(ख) वायुयान नियम, 1937 के नियम 13 के अन्तर्गत उड़ान के दौरान विमान से चित्र खींचना निषिद्ध है और इस प्रकार के चित्र केवल नागर विमानन के महानिदेशक की अनुमति से और उस अनुमति की शर्तों के अधीन रहते हुए ही लिये जा सकते हैं । भारत रक्षा नियम, 1971, का नियम 52(ख) भी अनधिकृत रूप से निषिद्ध-स्थानों अथवा प्रतिबंधित-क्षेत्रों के फोटोग्राफ लेने का विनियकन करता है ।

(ग) पालम पर ड्यूटी पर तैनात इण्डियन एयरलाइन्स के यातायात अधिकारी ने उक्त व्यक्ति को ढूंढने के सभी संभव प्रयत्न किये किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि वह व्यक्ति चला गया था और उसे ढूंढा नहीं जा सका । इण्डियन एयरलाइन्स से अपने केबिन कर्मचारियों को यह निदेश जारी करने के लिये कहा जा रहा है कि वे इस ओर विशेष सर्तक रहें और यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफी निषेध विषयक नियमों का उल्लंघन न हो ।

**जून, 1972 में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि को बहाल करना**

**732. श्री मधु दण्डवते :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया एम्प्लाईज़ एसोसिएशन, बम्बई ने बैंक को यह लिखा है कि जून, 1972 की हड़ताल में भाग लेने वाले रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 1972 की एसोसिएशन के साथ किये गये समझौते का उल्लंघन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का रवैया क्या है ; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक का विचार सम्बन्धित कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को बहाल करने का है ;

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) जी, हां ।

**(ख) और** (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि 1-7-1972 के करार का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ।

**गैर-सरकारी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया निवेश**

**733. श्री मधु दण्डवते :**

क्या **वित्त** मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं निवेश के क्षेत्र में अभी तक बड़े गृहों को ही प्राथमिकता देती हैं ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये निवेश के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये निवेश की पद्धति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) जी, नहीं । सरकारी वित्तीय संस्थाएं निवेश करने के संबंध में जो निर्णय करती हैं वे प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और लगायी जाने वाली पूंजी की वापसी, मूल्य वृद्धि और सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रख कर किए जाते हैं ।

(ख) सबसे हाल के लेखापरीक्षित आंकड़ों से पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को दिए गए सावधि ऋणों और उनके ऋण-पत्रों, तरजीही शेयरों और सामान्य शेयरों में जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश की राशि 31 मार्च 1972 को 248.04 करोड़ रुपये थी ।

**(ग) और** (घ) : पांचवीं आयोजना की अवधि में जीवन बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले निवेश का ढांचे और निवेश निवेशक विषयक नीति पर निगम द्वारा और भारत सरकार द्वारा की सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का मूल्यांकन**

**734. श्री रामसहाय पांडे ।**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) क्या उसके परिणाम स्वरूप उनके कार्य करण में कोई सुधार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण ):**

(क) **और** (ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंक सामाजिक उद्देश्यों और आर्थिक विकास केलिए कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उनके कार्य की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि उनके कार्य के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक समझी गई कार्रवाई की जा सके।

**छोटे उद्योगों तथा कृषि प्रयोजनों के लिये उदारतापूर्वक ऋण देने के बारे में बैंकों को निदेश**

**735. श्री राम सहाय पांडे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों और कृषि प्रयोजनों के लिये ऋण देने सम्बन्धी नीति को उदार बनाने के बारे में बैंकों को निदेश दे दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जो निदेश दिये गए है उनका सारांश क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) :**

राष्ट्रीयकरण के बाद से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नीति सम्बंधी जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य का अनुसरण किया जा रहा है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों और कृषि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की उदतापूर्वक और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करना। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए इस नीति की समूचित ढंग से क्रियान्वित किया जाय, रिजर्व बैंक समय समय पर सरकार के साथ परामर्श करके इस विषय पर बैंकों के नाम मार्गदर्शक निदेश जारी करता रहता है। इन मार्गदर्शी निदेशों में जिस महत्वपूर्ण पहलू पर जोर डाला गया है वह यह है कि उपर्युक्त वर्गों के ऋणकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों की जांच करते समय, बैंकों को कसौटी के रूप उस उद्योग के उत्पादक स्वरूप और उस की सक्षमता को अधिक महत्व देना चाहिए।

**पटसन उद्योग में संकट**

**736. श्री राम सहाय पांडे :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने इस उद्योग को पेश आ रही कठिनाइयों को बताया है, और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के सूचारू विकास को सुनिश्चित करने के लिये वे कठिनाइयां दूर करने हेतू सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :**

(क) से (ग) : पटसन उद्योग में कोई संकट नहीं है। पटसन उद्योग को उस समय दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात्

(1) चालू मौसम में कम फसल होने के परिणाम स्वरूप कच्चे पटसन की कमी ; तथा

(2) बंगला देश के संश्लिष्ट उत्पादों से विदेशी बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा।

रेशे की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए बंगलादेश से पटसन की 2 लाख गांठों के आयात के लिए एक संविदा की गई है। और अधिक आयात करने का भी विचार है। संश्लिष्ट पदार्थों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए सरकार ने पहले ही पटसन के प्राइमरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 400 रु० प्रति मे० टन घटा दिया है। जो अन्य उपचारात्मक उपाय करने का विचार है, वे ये हैं : (क) गवेषणा तथा उत्पाद विकास, (ख) संवर्धन तथा प्रचार, तथा (ग) मद (क) तथा (ख) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था।

**कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में संकट**

**737. श्री राम सहाय :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों द्वारा कतिपय कठिनाइयां अनुभव करने के कारण कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सूचनाओं की जांच पड़ताल की है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और व्यापार बढ़ा कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से वहां की स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :**

(क) से (ग) : जी नहीं। परन्तु कुछ उद्यमियों ने बेहतर कार्य निष्पादन के रास्ते में आने वाली कतिपय वास्तविक कठिनाइयों की ओर हाल ही में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार उन कठिनाइयों से पहले से ही अवगत है और मामले पर उचित ध्यान किया जा रहा है।

**अनुसूचित बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी प्रणाली**

**738. प्रो० नारायण चन्द पाराशर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में अनसूचित बैंकों में भर्ती सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली के बारे में अनेक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग बनाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ? और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई अन्य प्रस्ताव है जिससे इन बैंकों की भर्ती सम्बन्धी नीति में लोगों का विश्वास बनाये रखा जाये जो कड़ी आलोचना का विषय बन गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उन के लिपिकीय और कनिष्ठ अधिकारी स्तर क पदों पर भर्ती के लिए सांविधिक रुप से, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए संयुक्त भर्ती अभिकरण स्थापित करने के संबंध में बैंकिग आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभी विचाराधीन है।

**जम्म-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता**

**739. प्रो० नारायण चन्द पाराशर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा की उन परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जिनके लिए विश्व बैंक ने अब तक वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) परियोजनावार कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) इन राज्य सरकारों ने वर्ष 1971-72 और उसके बाद जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी थी उनकी संख्या और नाम क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, संयुक्त पंजाब की बाढ़-रक्षा और जलनिकासी परियोजना के लिए नवम्बर 1961 में एक करोड़ अमरीकी डालर का एक ऋण प्राप्त किया गया था। पंजाब और हरियाणा राज्यों की कृषिऋण परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ जून 1970 में क्रमशः 2.75 करोड़ अमरीकी डालर और 2.5 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को विकास संघ से कोई ऋण नहीं मिले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सेव विपणन परियोजना (हिमाचल प्रदेश एपल मार्किटिंग प्राजेकट) के लिए संघ से एक ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**बीस रुपये वाले नोटों की कमी**

**740. प्रो० नारायणचन्द पाराशर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश म बीस रुपये वाले नोटों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इनकी कमी को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) और (ख) : बीस रुपये का नया नोट 1 जून 1972 से ही जारी किया गया है। अभी तक जितनी संख्या में ये नोट छापे गए हैं और देश भर में फैले करेंसी-चेस्टों और अभिकरण-बैंकों को प्रषित किए गए हैं उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी यह नोट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हैं। चूंकि नोटों के छापने की मौजूदा क्षमता सीमित है इसलिए इन नोटों के पर्याप्त संख्या में छाये जाने और उन्हें निर्बाध रुप से उपलब्ध करने में अभी लगभग छः महीने लग जायेंगे।

**हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में चल रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं ।**

741. **प्रो० नरायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के चम्बा, कुल्लू, मण्डी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में चल रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की इन शाखाओं द्वारा किसानों, परिवहन चालकों, छोटे-उद्योग पतियों तथा दुकानदारों और स्वनियोजित लोगों को ऋण दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1972 तक बैंकों द्वारा बैंक-वार कितना ऋण दिया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी)** : (क) : वांछित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**(ख) और (ग)** : राष्ट्रीयकृत बैंक । ाथमिकता ाप्त क्षेत्रों को, जिनमें किसान, परिवहन चालक, छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार, आत्मनियोजित व्यक्ति आदि शामिल हैं, ऋण देने के मामले पर विशेष बल देते हैं । हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की सबसे हाल की सूचना जो जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार के सम्बन्ध में है, नीचे दी गयी है :

(रकम लाख रुपयों में)

| बैंक का नाम | कृषि | | सड़क और जल परिवहन चालक | लघु उद्योग-पति | खुदरा व्यापार और छोटा कारोबार | व्यव-सायिक और आत्म-नियोजित व्यक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 3.85 | 0.06 | 1.69 | 7.49 | 1.25 | 0.04 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 1.58 | — | 0.86 | 1.71 | 0.36 | 0.02 |
| यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 0.86 | — | — | 0.29 | 0.83 | 0.04 |
| यूनाइटिड कामर्शियल बैंक | 2.88 | — | 1.57 | 0.68 | 3.00 | — |
| जोड़ | 9.17 | 0.06 | 4.12 | 10.17 | 5.54 | 0.10 |

[आंकड़े अनन्तिम हैं ।

**भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा ऋण मुक्ति**

742. **श्री राज० राज० सिंह देव :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा भारत को ऋण से छुटकारे के लिए यदि कोई धन देने का वायदा किया है, तो वह कितना है ;

(ख) इस धन से, अब तक लिये हुए ऋणों की अदायगी में कितनी सहायता मिलेगी ; और

(ग) सरकार बकाया ऋणों का निपटारा कैसे करना चाहती है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) भारत सहायता संघ की जो बैठक जून 1972 में हुई थी उसमें सदस्यों ने भारत को 1972–73 के और 1973–74 के भारतीय राजस्व वर्षों के लिए ऋण-राहत प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया था। भारत को 1972–73 के वर्ष के लिए 14.8 करोड़ डालर की ऋण राहत-प्राप्त होने की आशा है।

(ख) अनुमान है कि 1972–73 के वर्ष के विदेशी ऋण परिशोधन की रशि 67.04 करोड़ रुपया है। 14.8 करोड़ डालर की जो ऋण-राहत प्राप्त होने का अनुमान है उससे ऋण-परिशोधन का बोझ उस सीमा तक कम हो जायगा।

(ग) ऋणों की वापसी अदायगियां निर्धारित तारीखों को की जा रही हैं। ऋण-परिशोधन (अर्थात् मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी) के भारी बोझ को देखते हुए, सरकार ने निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने और आयात पर होने वाले खर्च न्यूनतम आवश्यक सीमा से अधिक न बढ़ने देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

**स्पेन के साथ आर्थिक सहयोग**

743. **श्री राज० राज० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने भारत और स्पेन के बीच और अधिक आर्थिक सहयोग के बारे में उनके साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला, और

(ग) हाल ही में हुई सहमति के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच अनुमानत: कितना व्यापार होगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी, हां। दिसम्बर, 1972 में स्पेन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया।

**(ख) तथा (ग)** : स्पेन के विदेश मंत्री के दौरे के दौरान 14–12–1972 को भारत तथा स्पेन के बीच एक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार तथा एक सलेख पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। इस करार में किसी समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत भारत तथा स्पेन के बीच व्यापार करने की व्यवस्था नहीं है और इसलिए, व्यापार की मात्रा सामान्य वाणिज्यिक बातों को ध्यान में रखकर की जाने वाली संविदाओं पर निर्भर करेगी।

**बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति**

744. **श्री आर० के० सिन्हा :**

**श्री एम० कतामुत्तु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान अब तक देश के बैंकों में धोखाधड़ी के आरोप में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) ऐसी घटनाओं का पूरा विवरण क्या है और इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और इसके कारण बैंकों को कितनी क्षति उठानी पड़ी है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) : धोखाधड़ी के आरोप में गिरफतारी के मामले सामान्य कानुन और व्यवस्था की समस्याओं का भाग हैं और इनके आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं । वर्तमान मामले में वांछित सूचना एक ओर विविध राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से और दूसरी ओर निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों से इकट्ठी करनी पड़ेगी । सम्भव सीमा तक यह सूचना इकट्ठी की जायगी और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**बड़ौदा में छोटी टकसाल का पकड़ा जाना**

745. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में 50 पैसे के जाली सिक्के बनाने वाली छोटी टकसाल पकड़ी गई है ; और

(ख) कितने सिक्के पकड़े गये हैं और इस बारे में पकड़े गये लोगों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) : 14 नवम्बर 1972 को बड़ौदा नगर पुलिस ने 50 पैसे के जाली सिक्के बनाने वाले एक गिरोह का पता लगाया था । 50 पैसे के 3,155 ऐसे जारी सिक्के पकड़े गए जो चलन के लिए तैयार थे और 50 पैसे के सिक्के के आकार के 48,200 कटे टुकड़े पकड़े गए जिनसे सिक्के तैयार किए जा रहे थे । नटवरलाल मोहन लाल मिस्त्री, शमशुद्दीन इस्मेल बोरा, त्रिभुवन नरसीभाई सोनी, नरसीभाई विरजीभाई सोनी और मुहम्मद अमीन उर्फ मुहम्मद यूनिस इसानु ीन नामक पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 232, 233, 234, 235, और 239 के अधीन इन व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले की अभी जांच की जा रही है ।

**भारत में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के कदाचार को रोकने के उपाय**

**746. श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारत में कार्य कर रही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां गलत तरीके अपना रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप यात्री उन के विमानों से ही यात्रा करते हैं और विदेशी मुद्रा की हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी विमान कम्पनियों के इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां भ्रष्ट तरीके अपना रही हैं जिसके परिणामस्वरूप यातायात उनकी ओर बदल जाता है और हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है ।

(ख) इस परिस्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) अमरीका तथा भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये चालू किये गये हैं ।

(ii) भारत और फ्रांस के बीच घटी दरों पर वापसी युवा किराये चालू किये गये हैं ।

(iii) एयर इण्डिया द्वारा सस्ते किरायों पर चार्टरों के परिचालन के लिए एक चार्टर कम्पनी की स्थापना की गयी है ।

(iv) वायुयान नियमों में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें विमान कम्पनियों द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उस के पास अपनी शुल्क-दरें (टैरिफ) प्रस्तुत करने की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के भ्रष्टाचार-निरोध संगठन तथा विदेशी मुद्रा के विनियमों के उल्लंघन के मामलों से सम्बन्धित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

**औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम विकसित जिलों को वित्तीय सहायता**

**747. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, जिन 68 कम विकसित जिलों तथा 3 संघ राज्य-क्षेत्रों को 107.11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है ; उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या निगम द्वारा शेष 143 कम विकसित जिलों तथा 5 कम विकसित संघ राज्य क्षत्रों को भी वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-4253/73]।

(ख) और (ग) : किसी भी जिले में स्थित औद्योगिक कम्पनी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार है चाहे उस जिले को पिछड़े हुए जिले के रूप में अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो। अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर निगम सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है और सहायता देता है बशर्ते कि वे परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों। निगम ने पिछले तीन वर्ष के दौरान अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थित ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये किसी आवेदन-पत्र को रद्द नहीं किया है।

## सीमाशुल्क विभाग द्वारा पास किए जाने से पूर्व माल की जांच के लिये अन्त : विभागीय समिति

748. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने यह विचार व्यक्त किया था कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा पास किये जाने से पूर्व माल की जांच के लिए एक अन्त:विभागीय समिति का गठन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस संबंध में कदाचारों को रोकने के लिये सीमाशुल्क विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क० आर० गणेश)** : (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम ने मई, 1971 में सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई को एक पत्र लिख कर यह सुझाव दिया था कि आयात किये गये "चिथड़ों" के परेषणों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय जिसमें सीमाशुल्क विभाग, राज्य व्यापार निगम और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के प्रतिनिधि हों ताकि सीमाशुल्क विभाग को यह सलाह दी जा सके कि माल "चिथड़े" हैं अथवा नहीं। ऊनी चिथड़ों के परेषणों के निरीक्षण के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया गया सुझाव सीमाशुल्क गृह द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि चिथड़ों को पहने जाने योग्य पोशाकों से भिन्न पहचानने में किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है और इसके कारण परेषणों की निकासी में विलम्ब होता। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क विभाग के पास आवश्यकता पड़ने पर अर्थात् यह जानने के लिए कि आयातित वस्तुएं ऊनी हैं अथवा संश्लिष्ट, सीमाशुल्क परीक्षणशालाओं में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा बताये गये किस्म के अनैतिक चलनों को रोकने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी ने ऊनी "चिथड़ों" के परेषणों के परीक्षण की कार्यविधि को कस दिया गया है। आयातकर्ताओं द्वारा अपनाये जा सकने वाले अनैतिक चलनों को दूर करने के निमित्त जांच के लिए गांठों के चुनाव की प्रणाली में संशोधन किया गया है। यह भी, कि गांठों की जांच सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता की देख-रेख में की जाती है।

**व्यापारिक बैंकों में ऋण और निक्षेप में अनुपात**

**749. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में व्यापारिक बैंकों में ऋण और निक्षेप में क्या अनुपात रहा ;

(ख) गत तीन वर्षों में व्यापारिक बैंकों द्वारा खरीदी गयी सरकारी सीक्योरिटियों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या व्यापारिक बैंकों को पांचवी योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने तक राज्य बिजली बोर्डों जैसी विकास एजेंसियों को रुपया उधार देने से मना किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी)** : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण और निक्षेप का अनुपात दिसम्बर, 1970, 1971 और 1972 के अन्त में क्रमशः 78.3 प्रतिशत, 72.8 प्रतिशत और 66.3 प्रतिशत रहा ।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश दिसम्बर, 1970, 1971 और 1972 के अन्त में, उनकी कुल जमा रकमों का क्रमशः 23.7 प्रतिशत, 23.7 प्रतिशत और 26.4 प्रतिशत था ।

(ग) किसी भी बैंक को बैंक-योग्य प्रस्तावों पर विचार करने से नहीं रोका गया है ।

**व्यक्तियों के पास पूंजी बनने के संबंध में औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचार**

**750. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 28 सितम्बर, 1972 को वार्षिक सामान्य बैठक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों का पता है कि आज व्यक्तियों के पास जो पून्जी बनी है वह नहीं के बराबर है और जितनी पून्जी इस समय बनी है वह सुस्थापित और सफल कम्पनियों के पास ही बनी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का हल निकालने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का स्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** :(क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा जो उल्लेख किया गया है वह उन समस्याओं के बारे में है जो औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के इच्छुक नए उद्यमकर्ताओं और प्रौद्योगिकी-विज्ञों (टैक्नोलौजिस्ट) के सामने, प्रवर्त्तकों की सामान्य शेयर पून्जी के रूप में उनके अंशदान के लिये साधन जुटाने के कार्य में आती हैं । ऋणदाता संस्थाओं का काम संभव सीमा तक, इन साधन सम्बन्धी कमियों को पूरा करने का प्रयास करता है ।

**इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो विमान चलाये जाने के कारण हुई हानि**

751. **श्री रणबहादुर सिंह :**

**श्री विजय मोदक :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 'एवरो' विमानों के प्रयोग के कारण, इण्डियन एयरलाइन्स को प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है ; और

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स को अपने बेड़े में 'एवरो' (एच० एस०–748) विमानों को लगातार चलाने के फलस्वरूप हो रही हानियों को पूरा करने के लिये, क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उसे सहायता दे, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) विमान की लाभप्रदता विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि, सेक्टर जिन पर उसका प्रयोग किया जाता है, सम्पन्न किया गया भार-अनुपात, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिचालन व्यय तथा किराया संरचना। एच० एस०–748 का प्रयोग मुख्यतया उन क्षेत्रीय मार्गों पर किया जा रहा है जिनकी बीच की मंजिल दूरियां छोटी-छोटी हैं तथा जहां भार-अनुपात बहुत अधिक नहीं हैं। अतः विमानों की लाभ-प्रदता का टाइप-वार सामान्यकृत मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। अनुभव से पता चलता है कि क्षेत्रीय मार्गों में से अधिकांश घाटे पर चल रहे हैं। इण्डियन एयरलाइन्स एक सार्वजनिक सेवा के रूप में कार्य कर रही है तथा इसके लिये केवल लाभप्रद सेक्टरों पर ही परिचालन करना संभव नहीं है। क्योंकि क्षेत्रीय मार्ग सामान्यतया घाटे के मार्ग हैं, तथा एच० एस०–748 मुख्यतया उन्हीं मार्गों पर परिचालन करते हैं, यह सही है कि कुल मिला कर ये विमान घाटे पर चल रहे हैं।

(ख) यद्यपि ऐसा कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि सरकार कुछ अलाभप्रद मार्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती आ रही है जिनमें कुछ वे मार्ग भी सम्मिलित हैं जिन पर एवरो विमान परिचालित होते हैं। सरकार इन विमानों की खरीद के लिए इण्डियन एयरलाइन्स को कुछ उपदान प्रदान करती है।

**भारत में 'विग' उद्योग**

752. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में 'विग' उद्योग की दशा बड़ी शोचनीय है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और इस उद्योग में कौन लोग लगे हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख) : यहां पर केवल एक ही फैक्ट्री है अर्थात विग इंडिया, मद्रास जो कि भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा चलाई जा रही है और निर्यातों के लिये विगों का विनिर्माण कर रही है। सरकार को किसी अन्य ऐसे एकक की जानकारी नहीं है जो निर्यात हेतु विग बनाने का काम करता हो। सस्ते संश्लिष्ट विगों के आने और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने से, जो कि आज अन्तर्राष्ट्रीय मांग का बड़ा भाग हैं, मानवकेश विगों की मांग में व्यापक गिरावट आने के कारण विगों के निर्यात में 1968–69 से कमी होनी आरम्भ हो गयी। विग्स इंडिया ने अब अपनी उत्पादन गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों की ओर परिवर्तित कर दिया है।

**लाख का व्यापार राज्य-व्यापार निगम के माध्यम से करने का प्रस्ताव**

**753. श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाख उत्पादकों को लाख व्यापारियों से कच्चे लाख के लिये औसतन कितना मूल्य मिलता है ;

(ख) निर्यात की जाने वाली तैयार लाख का औसत मूल्य क्या है ; और

(ग) लाख उत्पादकों और उद्योग की सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या सरकार के सम्मुख लाख के व्यापार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का कोई प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख) : अप्रैल-अगस्त, 1972 के दौरान निर्यातित हस्तनिर्मित तथा मशीननिर्मित चपड़े की औसत निर्यात कीमत क्रमशः 608 रुपये तथा 665 रुपये प्रति क्विन्टल थी । उत्पादकों द्वारा प्राप्त औसत कीमत का बताया जाना कठिन है ; तथापि, यह पता चला है कि हाल के महीनों में कीमतों में व्यापक वृद्धि होने के कारण उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में भी काफी वृद्धि हो गई है ।

(ग) लाख के व्यापार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

**कृषि पदार्थों, औद्योगिक कच्चे माल तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि**

**754. श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के अन्त तक कृषि, पदार्थों, औद्योगिक कच्चे माल तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वर्ष 1971 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) रुपये के गिरते हुए मूल्य तथा बहुसंख्यक लोगों के रहन-सहन की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) किन कारणों से सरकार इन के मूल्यों पर काबू पाने में असमर्थ है ; और

(घ) क्या सरकार ने मूल्यों में अधिक वृद्धि रोकने के लिये किसी शीघ्रगामी कार्यवाही करने पर विचार किया है, और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें दिसम्बर, 1971 और दिसम्बर, 1972 के लिए विभिन्न समूहों के थोक मूल्यों के सूचकांकों का (1961-62 = 100), जो सरकारी सूचकांक का अंग होते हैं और जिनमें खाद्य वस्तुओं, औद्योगिक कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के सूचकांक शामिल हैं, ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) से (घ) : ऐसी स्थिति में, जब अनाज, तेलहन और गन्ने जैसी बुनियादी कृषि वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाय, तब मूल्यों का कुछ बढ़ना अनिवार्य हो जाता है । कृषि उत्पादन में हुई कमी को उत्पादन के आपातकालिन कार्यक्रम और आयातों द्वारा पूरा किये जाने के प्रयत्न किए गए हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है और सरकारी स्टाक से अनाज की अधिक मात्रा में निकासी की जा रही है । पहली जुलाई, 1972 से चीनी के मूल्यों और

वितरण पर आंशिक सांविधिक नियंत्रण लागू कर दिया गया है। पहली अक्टूबर, 1972 "लेवी चीनी" का अनुपात (जिसमें निर्यात सम्बन्धी वचन भी शामिल हैं) 63.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है और चीनी का समान निर्गम मूल्य लागू कर दिया गया है। जनवरी, 1973 से कारखानों से उचित मूल्य की दुकानों तक चीनी लाने का काम थोक विक्रेताओं से लेकर भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया गया है। पहली नवम्बर, 1972 से नियंत्रित कपड़े के वितरण का काम सार्वजनिक अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है और कारखाना-बाह्य मूल्य तथा खुदरा मूल्य के बीच के मार्जिन को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने का निश्चय कर लिया गया है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सुदृढ़ हो जायगी। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि पिछले दो महीनों में अर्थात् नवम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 के बीच थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक (1961-62=100) में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि नवम्बर, 1971 और जनवरी 1972 के बीच 1.8 प्रतिशत की और नवम्बर, 1970 तथा जनवरी, 1971 के बीच 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, दिसम्बर, 1972 का (सबसे हाल के उपलब्ध) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर, 1972 में 210 के स्तर पर बराबर स्थिर है।

**विवरण**

**थोक मूल्यों का सूचकांक**

(1961-62=100)

| समूह | सूचकांक | | 1971 की तुलना में 1972 में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| | दिसम्बर, 1971 | दिसम्बर, 1972 | |
| खाद्य वस्तुएं | 204.3 | 244.1 | +19.5 |
| शराब और तम्बाकू | 198.6 | 239.4 | +20.5 |
| ईंधन, विद्युत रोशनी और चिकनाने के पदार्थ | 174.5 | 181.4 | +4.0 |
| औद्योगिक कच्चा माल | 184.7 | 218.1 | +18.1 |
| रसायनिक पदार्थ | 201.5 | 202.0 | +0.2 |
| मशीनें और परिवहन उपकर्ण | 161.7 | 169.7 | +4.9 |
| निर्मित वस्तुएं | 168.1 | 178.0 | +5.9 |
| सभी वस्तुएं | 185.9 | 211.4 | +13.7 |

**वर्ष 1972–73 के दौरान भारत का आयात और निर्यात**

755. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों में कितने रुपये का आयात और निर्यात हुआ था तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ;

(ख) कौन-कौन सी वस्तुओं के आयात और निर्यात में वृद्धि अथवा कमी हुई ; और

(ग) शेष दो महीनों में कितना व्यापार होने की सम्भावना है तथा उसकी मुख्य वस्तुएं क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) भारत का व्यापार वर्ष वित्तीय-वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च के समरूप हैं । अत: अप्रैल-नवम्बर 1971 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 1972 (अद्यतन उपलब्ध) की अवधि के लिए भारत के आयातों तथा निर्यातों का मूल्य नीचे दिया जाता है :

**अप्रैल नवम्बर, 1972 के दौरान भारत का विदेशी व्यापार**

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

| | अप्रैल-नवम्बर 1971 | अप्रैल-नवम्बर 1972 | अप्रैल-नवम्बर 1972 में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| आयात | 1,190.39 | 1,097.49 | −7.8 |
| निर्यात पुनर्निर्यात सहित | 1,006.45 | 1,239.28 | −23.1 |

(ख) (1) अप्रैल-अगस्त 1971 की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 1972 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध वस्तुवार) वे निर्यात मदें जिनमें निर्यात में वृद्धि हुई :

पटसन माल, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं जूतों को छोड़कर इंजीनियरी वस्तुएं, मोती, बहुमूल्य तथा अर्ध-बहुमूल्य रत्न, तम्बाकू अनिर्मित, काजू गिरियां, सूती थान, खली, मछली, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, कपास, सूती परिधान, सूत, वुड लम्बर तथा कार्क की वस्तुएं, कागज, रबड़ निर्मित वस्तुएं जिनमें कच्चा रबड़ शामिल हैं, खनिज ईंधन. स्नेहक, और संबंधित वस्तुएं (कोयला तथा कोक सहित), लोह-मैंगनीज तथा लोह मिश्रित धातु, कच्ची ऊन, मूंगफली कच्चा पटसन तथा अभ्रक ।

(2) अप्रैल-अगस्त, 1971 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 1972 के दौरान वे निर्यात मदें जिनमें निर्यात में गिरावट आई है :

लोह अयस्क, लोहा तथा इस्पात, चीनी, मैंगनीज अस्यक, कृत्रिम रेशम का कपड़ा तथा कते कांच के फैब्रिक्स, अरंडी का तेल, प्याज, चावल, तथा लोहे तथा इस्पात का स्क्रेप।

(3) अप्रैल-जुलाई 1971 की तुलना में अप्रैल-जुलाई, 1972 (अद्यतन उपलब्ध वस्तुवार) के दौरान के आयात मदें जिनके आयात में वृद्धि हुई है :

मशीनरी, गूदा तथा वेस्ट पेपर, डेरी उत्पाद और अंडे व फल व तरकारियां (काजू)।

(4) अप्रैल-जुलाई 1971 की तुलना में अप्रैल-जुलाई 1972 के दौरान वे आयात मदें जिनके आयात में गिरावट आई है :

अनाज तथा अनाज से बनी वस्तुएं, कपास, कच्ची ऊन, रासायनिक तत्व तथा योगिक, चिकित्सा संबंधी तथा भेषजीय उत्पाद, निर्मित उर्वरक, कागज, गत्ता तथा उससे बनी वस्तुएं, अलौह धातुएं, परिवहन संबंधी उपस्कर, कच्चे उर्वरक तथा कच्चे खनिज (कोयला, पैट्रोलियम तथा बहुमुल्य रत्नों को छोड़कर), टैक्सटाइल धागे तथा डोरे और लोहा तथा इस्पात।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 1972–73 के प्रथम आठ महीनों (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान भारत का निर्यात निष्पादन काफी उत्साह बर्द्धक रहा है। इस अवधि के दौरान 1,239.28 करोड़ रुपये के कुल निर्यात हुए जो अप्रैल-नवम्बर, 1971 के दौरान हुए 1006.45 करोड़ रुपए के निर्यातों की तुलना में 232.83 करोड़ रुपये या 23 प्रतिशत अधिक थे। 1972–73 के दौरान भारत के निर्यात 1760 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंच जाने की आशा है जिसमें चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं, सूती कपड़े के थान, काजू की गिरियां, मोती, बहुमूल्य तथा अर्द्धबहुमूल्य रत्नों आदि के निर्यातों का अधिक योगदान है।

दूसरी ओर, 1,097.49 करोड़ रुपये के आयात हुए जो 7.8 प्रतिशत कम थे जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल-नवम्बर, 1972 के दौरान हमारे व्यापार संतुलन में 141.79 करोड़ रुपये का लाभ रहा जबकि अप्रैल-नवम्बर, 1971 की अवधि में 183.94 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हालांकि, इस समय, भारत के आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है लेकिन इस रुख के उलटने की सम्भावना है क्योंकि खनिज तेल, इस्पात, उर्वरक और खाद्य सामग्री को अधिक आयात करने का विचार है।

## पटसन का उत्पादन करने वाले देशों का सम्मेलन

757. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का उत्पादन करने वाले देशों का एक सम्मेलन ढाका में हुआ था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किये गये निर्णयों की मोटी रूपरेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में।

(ख) सम्मेलन निम्नोक्त निष्कर्षों पर पहुंचा :

(1) पटसन व किनाफ और उससे बनी वस्तुओं के उपभोग को अधिकतर बढ़ाने के लिए उनकी स्थिर तथा बढ़ती हुई मांग को बनाए रखने के लिए भारत में "जूट इन्टरनेशनल" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

(2) पटसन के संबंध में गन्वेषणा तथा विकास करने के लिए ढाका में एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

(3) नियंत्रण करने वाले बोर्ड के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें उत्पादक देशों के प्रतिनिधि होंगे।

(4) यदि पांच वर्षों की अवधि के लिए व्यय के वार्षिक बजट का 50 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा दिया जाएगा तो शेष 50 प्रतिशत उत्पादक देशों द्वारा 1969–70 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान पटसन तथा पटसन से निर्मित वस्तुओं के अपने निर्यातों की कीमत के अनुपात में दिया जाएगा।

ये निष्कर्ष उत्पादक देशों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने पर प्रभावी होंगे।

**Amount given by Nationalised Banks to Farmers having Land Holdings of less than Five Bighas**

**758. Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

**(a)** Whether the farmers having land holdings of less than five bighas were given less amount of loan by the Nationalised banks during the last three years than the farmers having land holding of more than five bighas; and

**(b)** if so, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :**

**(a) & (b)** : Farmers are given credit facilities according to their needs of cultivation and no fixed criteria of loans per bigha or acre are rigidly observed by the public sector banks.

**Arrears of Taxes against Corporate Sector**

**759. Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) whether the taxes are still outstanding against the Corporate Sector undertakings referred to in the answer given to part (b) of Unstarred Question No. 2746 on 1st December, 1972 in Lok Sabha; and

(b) if so, the names of the undertakings against whom the taxes are outstanding and the steps taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Minitry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :**

**(a) & (b)** : The requisite particulars as on 1st February, 1973 are being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की योजना जहां पर पहले बैंक नहीं हैं ।**

760. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उन क्षेत्रों में जहां बैंक नहीं हैं अपनी शाखाएं खोलने के बारे में कोई योजना बनाई है ताकि इस बारे में स्पष्ट रूप से पता चल सके कि बैंकों की नई शाखाएं किस प्रकार के क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए और उनमें कैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय ;

(ख) यदि हां , तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेश क्या हैं और क्या इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि बैंकों की नई शाखाएं खोलने के बारे में रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन किया जाए ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी)** : **(क) से (ग)** : सरकारी क्षेत्र के बैंक नई शाखाएं खोलने के लिए उनके आकार, जन शक्ति और अन्य साधनों की दृष्टि से आयोजनाएं बनाते हैं । इन आयोजनाओं में, ग्रामीण तथा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 'लीड' बैंक सर्वेक्षण रिपोर्टों में निर्धारित किये गये विकास केन्द्रों में भी शाखाएं खोलने के लिये समुचित ध्यान दिया जाता है । रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों पर जोर देता रहा है कि वे उन क्षेत्रों में बैंक कार्यालय खोलें जहां अब तक बैंक नहीं हैं । हाल में रिजर्व बैंक ने 1973–75 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिये शाखा विस्तार के लिये भावी आयोजना बनाने की सलाह दी है, जिससे कि वे, ग्रामीण अर्धशहरी, शहरी और महानगर/पत्तन नगरों में खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या का संकेत दे सकें ताकि वे अपनी जन शक्ति संबंधी योजनाएं भी पहले ही बना सकें ।

**पालम स्थित एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल द्वारा गलत सूचना देने के बारे में दिल्ली और नागपुर के बीच उड़ानें भरने वाले विमानचालकों की शिकायत**

761. **श्री सतपाल कपूर :**

**श्री एस० कतामुतु :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1973 के 'नवभारत टाइम्स' के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली और नागपुर के बीच उड़ान भरने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान के विमान चालकों ने यह शिकायत की थी कि पालम स्थित एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल ने मौसम के संबंध में उन्हें गलत सूचना दी जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : **(क) और (ख)** : इस समाचार का संबंध उस घटना से प्रतीत होता है जिसमें 12–1–1973 को नागपुर से दिल्ली के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की रात्रि हवाई डाक सेवा प्रात थी । मामले की छानबीन की गयी है तथा गलत सूचना देने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से चेतावनी दे दी गयी है ।

**कपास और पटसन के बोरों के मूल्यों की समीकरण पद्धति के लिये समिति का गठन**

762. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास तथा कच्चो पटसन के बोरों के लिए मूल्य समीकरण पद्धति तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(ख) समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और यह अपना काम कब आरम्भ कर देगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (ए० सी० जार्ज)** : **(क) तथा (ख)** : रुई को लाने ले जाने के लिए भाड़ा समीकरण के प्रश्न पर विचार करने हेतु सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है जिस में रेल मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि होगा । वस्त्र आयुक्त का कार्यालय बम्बई का सलाहकार (रुई) तथा भारतीय रुई निगम का प्रबन्ध निदेशक भी समिति के सदस्य हैं। यह शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगी ।

**बंगला देश को और बंगला देश से सामान का तस्कर व्यापार**

763. **श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री बेकारिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच तस्कर व्यापार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है और

(ग) गत छः महीनों में महीने-वार कितने मूल्य व कौन-कौन सा माल पकड़ा गया ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : **(क) तथा (ख)** : ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि भारत से बंगला देश को तथा बंगला देश से भारत को माल के तस्कर-निर्यात में वृद्धि हुई है । फिर भी, तस्कर व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) तस्कर-व्यापार को रोकने के निमित्त प्रभावी उपाय करने के लिए सूचना के परस्पर आदान-प्रदान तथा समन्वय का इतमीनान करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अक्सर बैठकें की जाती हैं ।

(ii) तस्कर-विरोधी कार्य में लगे अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम शुरु किया गया है और अधिकारी समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(iii) तस्कर व्यापार की कोशिशों को रोकने के लिए कलकत्ता में गोदियों पर तथा हवाई अड्डे पर विशेष गुप्तचर्या एकक स्थापित किया गया है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**'टुकड़ों और 'चीथड़ों' की परिभाषा**

764. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टुकड़ों और चीथड़ों की वर्तमान परिभाषा को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :(क) जी, हां, सूती वस्त्री (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अंतर्गत प्रत्येक गांठ अथवा नियंत्रित कपड़े तथा अनियंत्रित कपड़े के अन्य पैकेजों पर मार्किंग करने के प्रयोजनार्थ चीथड़ों तथा टुकड़ों की परिभाषाएं हाल ही में संशोधित की गई है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

**विवरण**

सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अन्तर्गत गांठों पर अथवा नियंत्रित कपड़े तथा अनियंत्रित कपड़े के अन्य पैकेजों पर मार्किंग करने के प्रयोजनार्थ चीथड़ों तथा टुकड़ों की संशोधित परिभाषाएं अब इस प्रकार है :–

1. 'चीथड़े'

   1. उत्पादन की सामान्य प्रक्रिया (प्रोसैसिंग सहित) के दौरान प्राप्त होने वाले सूती वस्त्रों के वे प्रमाणित कटपीस जिनकी लम्बाई 23 सैंटीमीटर से अधिक परन्तु 45 सैंटीमीटर से कम हो और चौड़ाई एक मीटर अथवा अधिक हो और वे जिनकी लम्बाई 23 सेंटी–मीटर से अधिक परन्तु 65 सेंटीमीटर से कम हो और चौड़ाई 1 मीटर से कम हो, और

   2. क्षतिग्रस्त अथवा घटिया सूती वस्त्र के वे कटपीस जिनकी लम्बाई 23 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 45 सेंटीमीटर से कम हो और चौड़ाई 1 मीटर अथवा अधिक हो, और वे जिनकी लम्बाई 23 सेंटीमीटर से अधिक परन्तु 65 सेंटीमीटर से कम और चौड़ाई एक मीटर से कम हो।

2. 'टुकड़े'

   1. उत्पादन की सामान्य प्रक्रिया (प्रोसैसिंग सहित) के दौरान प्राप्त होने वाले सूती वस्त्रों के वे प्रामाणिक कटपीस (तौलियों के कटपीसों को छोड़कर) जिनकी लम्बाई 45 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 90 सेंटीमीटर से अधिक न हो और चौड़ाई 1 मीटर अथवा अधिक हो और वे जिनकी लम्बाई 65 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 135 सेंटीमीटर से अधिक न हो और चौड़ाई 1 मीटर से कम हो।

   2. क्षतिग्रस्त वे सूती वस्त्र (खराब हुए तौलियों को छोड़कर), जिनकी लम्बाई 45 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 90 सेंटीमीटर से अधिक न हो और वस्त्र की चौड़ाई एक मीटर अथवा अधिक हो और वे जिनकी लम्बाई 65 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 135 सेंटीमीटर से अधिक न हो और चौड़ाई एक मीटर से कम हो और

   3. क्षतिग्रस्त धोतियों तथा साड़ियों से प्राप्त वे कटपीस जिनकी लम्बाई 45 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 90 सेंटीमीटर से अधिक न हो और चौड़ाई 1 मीटर अथवा अधिक हो और वे जिनकी लम्बाई 65 सेंटीमीटर अथवा अधिक परन्तु 135 सेंटीमीटर से अधिक न हो और चौड़ाई एक मीटर से कम हो।

**आयकर आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में अपर डिविजन क्लर्क**

**765. श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1972 से 30 अक्तूबर, 1972 के दौरान दिल्ली मुख्यालय के आयुक्त, दिल्ली कार्यालय में अपर डिवीजन कलर्कों के कितने पद खाली पड़े थे, स्टाफ की स्थिति क्या थी और अपर डिवीजन क्लर्कों की स्वीकृत संख्या कितनी थी ;

(ख) इस अवधि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये कितने पद आरक्षित थे और क्या रिक्त पदों की अधिसूचना केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल, कार्मिक विभाग को दी गई थी ; और यदि हां, तो ऐसी अधिसूचना निकलवाने की तिथि क्या थी ;

(ग) क्या रिक्त पदों को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा दिये गये कर्मचारियों द्वारा भरा गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सैल से 'अनापित्त प्रमाण पत्र' प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो कब ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) उक्त अवधि के दौरान, अपर डिविजन क्लर्कों के ग्रेड में स्वीकृत संख्या 731 थी, जिनमें से 42 पद खाली थे ;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये 23 स्थान आरक्षित थे और उन्हें 3 जून, 1972 को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को अधिसूचित किया गया ;

(ग) केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल ने आरक्षित स्थानों के लिये 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया जिन्हें रिक्त पदों पर बकाया नियुक्त किया गया ; और

(घ) बिना भरे आरक्षित स्थानों के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र' 30 दिसम्बर, 1972 को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल से प्राप्त किया गया।

**Fraudulent Withdrawals from Banks**

**766. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether some persons were arrested in Delhi in the month of January 1973 for making fradulent withdrawals of about Rs. 37,000 from Central Bank of India and State Bank of India, New Delhi ;

(b) whether an amount of about Rs. 17,200 has been recovered from them ; and

(c) the action taken against them ?

**The Minister of FINANCE (Shri Y. B. Chavan) :**

(a) to (c) : According to the information available, the police have arrested three persons in Delhi in connection with a fraudulent withdrawal of a sum of Rs. 19,320 from the Janpath branch of Central Bank of India an attempted fraudulent withdrawal involving an amount of Rs. 17,200 from the Connaught Circus branch of the same Bank. The matter is still under investigation by the police who have been able to recover a sum of Rs. 15,721·45 paise out of Rs. 19,320 fraudulently withdrawn from the bank.

**भारत बंगला देश व्यापार समझौता**

767. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बंगला देश व्यापार समझौते के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके ;

(ख) यदि हां, तो भारत–बंगला देश व्यापार समझौते के कार्यान्वयन से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसे ठीक से कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) से (ग) : पहले से यह बताना मुश्किल है कि चालू व्यापार वर्ष के अन्त तक सीमित भुगतान प्रबंध के अन्तर्गत वास्तव में कुल कितना आयात तथा निर्यात होगा।

2. स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 1973 तक सीमित भुगतान प्रबंध के अन्तर्गत रजिस्टर की संविदाओं का मूल्य यह था :

बंगला देश को 16.39 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात तथा बंगला देश से 14.24 करोड़ रुपये मूल्य के आयात।

3. व्यापार के प्रवाह पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और बंगला देश अधिकारियों के साथ परामर्श करके उस में सुधार लाने के प्रयास किये जाते हैं।

**बंगला देश के साथ पटसन–व्यापार :**

768. **श्री समर गुह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच पटसन–व्यापार के सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) तथा (ख) : 350 रु० से लेकर 400 रु० तक प्रति गांठ की कीमतों पर कच्चे पटसन की 2 लाख गांठों के आयात हेतु नवम्बर, 1972 में बंगला देश के साथ एक करार किया गया था। आयात कार्य भारतीय पटसन निगम और भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा संयुक्त रूप से संभाला जा रहा है। उसके बाद बंगला देश से पटसन के आयात हेतु कोई अन्य संविदा नहीं की गयी है।

**आयकर की बकाया की वसूली**

**769. श्री के० बालदन्डायुतम :**

**श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर के बकाया को तेजी से वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में बकाया की वसूली की स्थिति में कोई सुधार हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस स्थिति में क्या सुधार हुआ है ; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1972 को आयकर के बकाया की कुल राशि क्या थी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) आयकर की बकाया रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (i) ऊपर (क) में यथा उल्लिखित उपायों के परिणामतः पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयकर की बकाया रकम में जो कमी हुई वह इस प्रकार है :–

| वित्तीय वर्ष | रकम (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1970–71 | 328.45 |
| 1971–72 | 303.64 |

(ii) इस तथ्य के बावजूद कि पिछले दो वर्षों में, पूर्ववर्त्ती वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक मांगें जारी की गईं और वसूलियां की गईं, फिर भी शुद्ध बकाया में कमी हुई, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होगा :–

(करोड़ रुपयों में)

| वित्तीय वर्ष | जारी की गई मांग | वर्ष के दौरान बजट वसूलियां | वर्ष के अन्त में शुद्ध बकाया |
|---|---|---|---|
| 1970–71 | 781 | 839.64 | 499.68 |
| 1971–72 | 1217 | 1002.57 | 438.60 |

(घ) 31 दिसम्बर 1972 को आयकर की कुल बकाया रकम के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन के मेज पर रख दी जायगी ।

**विवरण**

हाल के वर्षों के दौरान, सरकार ने बकाया आयकर की वसूली को तेज करने के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय किए हैं :–

(i) 1961 से पहले, बकाया कर की वसूली राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो राजस्व इकट्ठा करने में अक्सर पर्याप्त रुचि दिखाने में असफल रहते थे। अत: 1961 अधिनियम में स्वंय में पूर्ण राजस्व संहिता समाविष्ट थी और कर वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गयी जो विभागीय अधिकारी हो सकते हैं। कर वसूली का काम आयकर आयुक्तों के सभी कार्य-क्षेत्रों में लगभग पूरी तौर से ले लिया गया है ।

(ii) काम की कार्यात्मक विभाजन योजना का लागू करना ( यहां क्षेत्र में कर वसूल करना एक या अधिक आय–कर अधिकारियों का विशिष्ट कार्य बना दिया गया है। पूरे भारतवर्ष में 125 आयकर अधिकारी इस काम को अनन्य रूप से कर रहे हैं।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चकों की स्वीकृति और आयकर कार्यालयों में इस कार्य के लिये विशेष प्राप्ति काउंटरों का खोलना।

(iv) ऐसे कर–निर्धारितियों के नामों का प्रकाशन जिन्होंने कुछ निर्धारित सीमाओं के ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(v) देश भर में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान अनिर्णीत समायोजनों मूल-सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों पर अमल करने और निर्धारितियों पर बकाया शुद्ध मांग को वसूल करने पर विशेष जोर दिया गया है।

(vi) देश भर में आयकर विभाग के 173 अधिकारियों को कर वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयकर आयुक्त के ओहदे के 5 अधिकारी और कई अपर आयकर आयुक्त कर वसूली आयक्तों के रुप में कार्य कर रहे हैं।

(vii) कर निर्धारणों को पूरा करने की समय सीमा को घटाकर कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष कर दिया गया है ।

(viii) ब्रांच समिति ने कई सिफारिश की हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

**इंडियन एयरलाइन्स में विमान–चालकों का चयन**

**770. श्री के० बालदंडायुतम :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने विमान-चालकों के पदों के लिये 17 जनवरी, 1972 तक आवेदन–पत्र पाये थे ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने आवेदन-पत्र मिले, कितने प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और कितने प्रत्याशियों को चुना गया ;

(ग) चयन किस आधार पर किया गया : और

(घ) युद्ध में हताहत हुए व्यक्तियों के आश्रितों को स्थान देने के लिये क्या कोई आरक्षण रखा गया था ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) : इंडियन एयरलान्स के विमान-चालक के पदों के लिये 11–2–72 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे ।

(ख) 590 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे । 426 अभ्यार्थियों को, जो चयन योग्य थे, साक्षात्कार के लिये बुलाया गया तथा 55 चुन लिये गए हैं ।

(ग) एक प्रवर मनोविज्ञानिक द्वारा अभ्यार्थियों का एक टेस्ट लिया गया और तदुपरान्त †वमानन तथा तकनीकी विशेषज्ञों के एक बोर्ड द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया ।

(घ) जी नहीं ।

**इंडियन एयरलाइन्स के लिये एवरो विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव**

**771. श्री भगवत झा आजाद :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के लिये और रएवरो विमान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस विमान के कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) इंडियन एयरलाइन्स ने हिन्दुस्तान एरोनाटिकस लि० कानपुर, को दस और एच० एस–748 विमानों के लिये का देश दे रखा है, जिसमें से तीन विमान प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स इन विमानों के संधारण संबंधी अनुदेशों का पूर्णरूप से अनुपालन कर रही है तथा विमान–निर्माताओं द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट सुधारों का भी क्रियान्वयन करती रहती है ।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों के विस्तार संबंधी कार्यक्रम के निष्पादन के लिये कर्मचरियों को प्रशिक्षण**

**772. श्री भगवत झा आजाद :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आने वाले वर्षों के लिये कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोली जायेंगी ;

(ख) ऐसे विस्तार सम्बवन्धी कार्यक्रम के उचित रूप से निष्पादन के लिये क्या कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य हाथ में लिया गया है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई त्रिवर्षीय योजना तैयार की जा रही है ?

**वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) :**

(क) से (ग) : हाल ही में रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी है कि वे 1973–76 की तीन वर्ष की अवधि के लिये शाखा विस्तार की भावी आयोजना तयार करें जिसमें उन कार्यालयों की संख्या का उल्लेख क जिन्हें ग्रमीण, अर्धशहरी, शहरी और महानगरीय । बन्दरगाह नगरों में खोलने का प्रस्ताव है ताकि वे जन-शक्ति सम्बन्धी आयोजनाएं भी पहले ही तयार कर सकें । रिजर्व बैंक द्वारा जन-शक्ति सम्बन्धी बढ़ती हई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिय लगातार प्रयत्न किया जा रहा है ।

**औद्योगिक वित्त निगम द्वारा छोटे इस्पात संयंत्रों को धन देना**

773. **श्री पीलू मोदी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने छोटे इस्पात कारखानों को धन देन का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ; और

(ग) इससे देश में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

**(क) से (ग)** : औद्योगिक वित्त निगम इस्पात की छड़ों (बिलेट)/इंडलों के निर्माण के लिये इंजन का उपयोग करने वाले इस्पात संयंत्रों (लघु–इस्पात संयंत्रों) की स्थापना करने के लिये और ऐसे संयंत्रों का विस्तार करने के लिये पहले ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दे रहा है। निगम ऐसी प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उसके गुणावगुणों के आधार पर करता है बशर्ते कि वह तकनीकी सम्भाव्यता और आर्थिक सक्षमता की उन कसौटियों पर पूरा उत` जो अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिये निर्धारित हैं।

31 दिसम्बर, 1972 तक निगम ने लघु–इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये 7 तिष्ठानों को कुल मिलाकर 407.49 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोरखपुर के खजांची द्वारा 10 रुपये के जाली नोटों के परिचालन के बारे में पुलिस को की गई शिकायतें।**

774. **श्री पीलू मोदी :**
**श्री सुरेन्द्र महन्ती :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोरखपुर के खजांची ने पुलिस के पास इस प्रकार की शिकायत की थी कि 10 रुपये के जाली नोट परिचलन में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

**(क) और (ख)** : भारतीय राज्य बैंक, गोरखपुर के खंजांची द्वा । पुलिस प्राधिकारियों के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी थी ; लेकिन बैंक के सामान्य कारबार के दौरान, चार विभिन्न पार्टियों द्वारा गोरखपुर शाखा में जमा कराये गये नोटों की जांच करते समय 10 रुपये के मूल्य वाले 4 जाली नोटों का पता चला था, जिन्हें राजकोष नियमावली में निर्धारित सामान्य तरीके के अनुसार ुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया था ।

**भारत में निजि विदेशी पूंजी निवेश में कमी :**

**775. श्री पीलू मोदी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में कुल निजी विदेशी पूंजी निवेश में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास के लिये निजी विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं अथवा उटा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

**(क) और (ख) :** विदेशी गैर-सरकारी विवेश के संबंध में केवल 1970–71 तक के आंकड़ोंका संकलन ही उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किये गये त्वरित अनुमानोंके अनुसार, जिनसे विदेशी निवेशों के अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध होते हैं, 1969–70 और 1970–71 में किये गये विदेशी गैर–सरकारी निवेश की (जिसमें ऋण और संभरक ऋण भी शामिल हैं) शुद्ध राशि क्रमशः 29.2 करोड़ रुपया और 28.7 करोड़ पया थी, जिससे यह पता चलता है कि इस प्रकार के निवेश में कोई विशेष कमी नहीं हुई। उपर्युक्त दो वर्षों में सामान्य पूजी में किये गये निवेश की शुद्ध राशि क्रमशः 9.0 करोड़ पया और 11.9 करोड़ रुपया थी, जिससे पता चलता है कि इस सम्बन्ध म 1970–71 में वृद्धि हुई थी।

(ग) विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक है। विदेशी निवेश को समान्यता: अत्युन्नत प्राद्यौगिकी की, जिसकी इस देश को आवश्यकता है, प्राप्ति के वाहन के रूप में पसन्द किया जाता है।

**Installation of A Radar at Madras**

**776. Shri M. S. Purty :**

Will the Minister of **TOURISM AND CIVIL AVIATION** be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made for collecting meteorological data by installing a radar at Madras;

(b) if so, whether any foreign collaboration was required therefor and if so, the broad outlines thereof; and

(c) the expenditure involved therein?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :**

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The cost of the radar was about Rs. 24 lakhs.

**Proposal to Develop Vrindaban (Mathura) as a Tourist Centre**

**777. Shri B. S. Chowhan :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to develop Vrindaban (Mathura), the birth place of Lord Krishna, as a Tourist Centre; and

(b) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :**

**(a) & (b)** : Due to the constraint on resources and other priorities, it is not proposed to provide tourist facilities at Vrindaban in the Central sector for the present. The State Government is, however, taking up some tourism projects there.

**मैसूर राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों को पर्यटकों की रुचि के स्थानों के रूप में विकसित करने के लिये कार्यवाही**

**778. श्री एस० वी० कृष्णप्पा :**

**श्री के० पालन्ना :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य म निकट भविष्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों को पर्यटकों की रुचि के स्थानों के रूप में विकसित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये चुने गये इन स्थानों की अस्थायी सूची क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये उस राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

मैसूर राज्य में अनेक स्थानों पर, जिनमें सांस्कृतिक एवं अन्य महत्व के स्थान भी सम्मिलित हैं, पर्यटन के आधारभूत उपादानों का विकास एवं उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| क्रम सं० | पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमें | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में) |
| 1. | हाम्पी के निकट कमलापुर गांव में युवा होस्टल | 2·73 |
| 2. | एहोल में पानी सप्लाई की व्यवस्था | 0·16 |
| 3. | बांदीपुर वन्य जीव शरण-स्थल पर विश्राम गृह | 7·22 |
| 4. | डांडेली वन्य जीव शरण-स्थल पर विश्राम गृह | 6·63 |
| 5. | तीन मिनी-बसों की व्यवस्था; नांगरहोल, डांडेली तथा बांदीपुर वन्य जीव शरण स्थल पर प्रत्येक पर एक एक | 1·23 |
| 6. | होटल विकास ऋण योजना के अंतर्गत, बंगलौर में निजी क्षेत्र में दो होटल प्रायोजनाओं के लिये 92 लाख रूपये की राशि के दो ऋण स्वीकार किए जा चुके हैं | 92·00 |

भारत पर्यटन विकास निगम भी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, मैसूर राज्य में पर्यटकों के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है :–

1. अशोक होटल, बंगलौर, में 80.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 100 कमरे जोड़ने का प्रस्ताव है ।
2. हस्सन के यात्री लाज के आवास-स्थान का 8.57 लाख रुपये की लागत से 20 डबल कमरों का एक अतिरिक्त पथ (विग) जोड़ कर विस्तार किया जा चुका है ।
3. बीजापुर में एक यात्री लॉज ।
4. बंगलौर और हस्सन में परिवहन यूनिटें स्थापित की जा चुकी है ।

**जापान से आर्थिक सहयोग की पेशकश**

779. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**

**श्री के० मालन्ना :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आर्थिक स्वाधीनता के लिये उचित सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

**(क) और (ख)** सरकार ने जापान के विदेश मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 1973 को दिए गए विदेश नीति विधेयक भाषण को बड़ी दिलचस्पी से देखा है । जापान के विदेश मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा कि जापान भारतीय उप–महाद्वीप के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए

उपयुक्त सहयोग देना चाहता है । भाषण में विकासशील देशों को जापान द्वारा दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रति सरकारी विकास सहायता के अनुपात को 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य तक बढ़ाने, सहायता को अनावद्य करने का प्रयास करने और सहायता की शर्तों में सुधार करने के लिए जापान की सरकार के संकल्प का उल्लेख किया गया है। हम जापान सरकार इस क्षेत्र में नीति विषयक उद्देश्यों का स्वागत करते हैं और उस देश के साथ और अधिक मित्रतापूर्ण और आर्थिक सहयोग की आशा करते हैं ।

## सूत की सप्लाई के लिये स्वैच्छिक योजना

**780. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**

**श्री के० मालन्ना :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या भारत सरकार ने 40 और इससे अधिक काउन्ट के सूती धागे की सप्लाई के लिये स्वेच्छिक योजना पर पुनः विचार किया है और यदि हाँ, तो 31 अगस्त, 1972 तक धागे की कितनी पेटियां वितरित की गई और धागे के विभिन्न काउन्ट के मूल्य क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

60 (40 नहीं) तथा उससे अधिक काउन्ट के सूत की सप्लाई की स्वेच्छिक योजना 1 अगस्त, 1972 को प्रवृत की गई थी । वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित एक निगरानी समिति द्वारा इस योजना का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है । 31 अगस्त, 1972 तथा इस योजना के अंतर्गत 13·72 लाख किग्रा सूत का आबंटन किया गया । योजना के अन्तर्गत सूत के विभिन्न काउन्टों की विनियमित कीमतें अलग अलग मिलों में भिन्न 2 होती है क्योंकि वे 1 जून, 1972 (अथवा निकटतम तारीख) को उच्चतम संविदा कीमत, और जनवरी, 1972 के दौरान सम्बद्ध काउन्ट तथा पैकिंग संबंधी उच्चतम संविदा कीमत के बीच के अन्तर को ले कर और पूर्वोक्त प्रथम कीमत में से इस अन्तर का 50 प्रतिशत घटा कर निर्धारित की जाती है ।

## कर सम्बन्धी आयोग

**781. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने कर सम्बन्धी समूचे क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये एक कराधान आयोग स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):**

(क) तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने गत जनवरी में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सुझाव दिया था कि कर सम्बन्धी समूचे क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये एक कराधान जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ।

(ख) इस सम्बंन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

**कोजीकोड के निकट सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा एक नौका (लांच) का रोका जाना**

**783. श्री ए० के गोपालन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 5 जनवरी, 1973 को अरब सागर में कोजीकोड में अवैध अप्रवासियों सहित डुबाई जा रही एक नौका (लोंच) को रोका था ; और

(ख) सरकार लोगों के इस प्रकार अवैध रूप से आने जाने को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) कोजीकोड के परे सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 5 जनवरी, 1973 को अरब सागर में दुबई को जाती हुई 'एम०एस०वी० नूरानी' नामक एक लांच को रोका जिस में 149 अवैध उत्प्रवासी तथा 8 कर्मीदल के सदस्य थे ।

(ख) तस्कर-विरोधी कार्य के संबंध में समुद्र में गश्त लगाते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी कड़ी निगरानी रखते हैं और यदि कोई अवैध उत्प्रवासन का मामला ध्यान में आता है तो पार-पत्र अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अधीन उन व्यक्तियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है ।

**Scheme for earning maximum Foreign Exchange by Hotels in Rajasthan**

**784. Shri Nawal Kishore Sharma :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme so that Hotel industry in Rajasthan could earn maximum foreign exchange ;

(b) if so, the broad outlines thereof ;

(c) the share of Rajasthan Government in the scheme; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned after implementation of the scheme?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :**

**(a) to (d) :** In order to maximise foreign exchange earnings through tourism, suitable instructions have been issued by Government asking all establishments in the country including Rajasthan which offer accommodation to foreign visitors (barring certain exempted categories) to receive payment of hotel bills in foreign exchange only. No precise estimate of the amount of the extra foreign exchange to be earned as a result of this measure is possible at this stage.

**Scheme to increase the number of Tourist Centres in Rajasthan**

**785. Shri Nawal Kishore Sharma:**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to increase the number of Tourist Centres in Rajasthan with a view to earning more foreign exchange ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):**

**(a) & (b)** : The tourism infrastructure is being progressively improved and strengthened. A statement showing the tourism schemes in Rajasthan included in the Central Sector in the Fourth Plan is attached.

STATEMENT

**Tourism Schemes in Rajasthan included in the Fourth Plan in the Central Sector**

| **Department of Tourism** Schemes | **Plan allocation** (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Rest House at Bharatpur .. .. .. .. | 14·49 |
| 2. Supply of one mini-bus at Bharatpur .. .. | 0·41 |
| 3. Electrification of Sariska Wild Life Sanctuary .. .. | 3·18 |
| 4. Provision of one mini-bus at Sariska Wild Life Sanctuary .. .. .. .. .. | 0·41 |
| 5. Landscaping of Sariska Wild Life Sanctuary .. .. | 0·05 |
| 6. Tourist Bungalow at Jaisalmer .. .. .. | 5·00 |
| 7. Electric supply to Ranakpur .. .. .. | 0·85 |
| 8. Tourist Bungalow at Ranakpur .. .. .. | 1·00 (Rs. 3 lakhs would be spent over expenditure in the Fifth Plan). |
| 9. Reception Centre at Jaipur .. .. .. | 12·25 |
| 10. Youth Hostel at Jaipur .. .. .. .. | 4·36 |
| 11. Camping site at Jaipur .. .. .. .. | 1·00 |
| TOTAL .. | 43·00 |
| **India Tourism Development Corporation :** | |
| 1. Expansion of Lakshmi Villas Palace Hotel at Udaipur .. | 25·00 |
| 2. Transport Unit at Jaipur .. .. .. .. | 1·50 |
| 3. Transport Unit at Udaipur .. .. .. .. | 1·00 |
| TOTAL .. | 27·50 |

**Financial assistance given by L.I.C. to Rajasthan Government for building houses**

**786. Shri Nawal Kishore Sharma :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to Rajasthan Government by Life Insurance Corporation for building houses to the Housing Finance Societies during the last three years; and

(b) how much of the amount has been spent on the construction of house

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :**

(a) The loans disbursed by the LIC to the Rajasthan Government for housing and the Rajasthan State Co-operative Housing Finance Society Ltd. are given below :

(Rupees in lakhs)

| | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 (as on 15-2-73) | 1972-73 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rajasthan Government .. | 80·00 | 80·00 | 80·00 | 85·00 |
| 2. Rajasthan State Co-operative Housing Finance Society Ltd. .. .. .. | | .. | | 20·00* |

*The Society was registered on 31-12-1970 and the L.I.C. sanctioned for the first time in 1971-72 a loan of Rs. 55 lakhs out of which the first instalment of Rs. 20 lakhs was disbursed during 1972-73.

(b) Loans disbursed by the LIC to the State Government are intended for one or more of seven housing and allied schemes. Moreover the LIC is not providing the entire loan assistance for all the schemes. Hence it is not possible to say how much of the money given by the LIC has been spent on construction of houses.

As regards loans to Rajasthan State Co-operative Housing Finance Society Ltd., the first instalment of Rs. 20 lakhs was disbursed only recently, and these loans are distributed to primary Co-operative housing societies. Hence the information asked for is not available.

**हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बैंगलौर द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स को एवरो विमान, दिया जाना**

**787. श्री समर मुखर्जी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने सरकार को सूचित किया है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बैंगलौर द्वारा एवरो विमानों को तीसरी किश्त के देर से दिये जाने के कारण एयरलाइंस को चालू वर्ष में भारी हानि होगी ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) विमानों के शीघ्र भेजे जाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पुनरीक्षित वितरण अनुसूची के अनुसार 10 विमानों की आखिरी पारी के प्रथम विमान का वितरण इंडियन एयरलाइंस को अप्रैल, 1972 में तथा दसवें का अप्रैल, 1973 में किया जाना था। अब तक कारपोरेशन को तीन विमान प्राप्त हो चुके हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, कानपुर ने इण्डियन एयरलाइंस को सूचित किया है कि कुछ उत्पादन संबंधी समस्यांए हैं जिनकी वे अपने निर्माण-सहयोगी मैसर्ज़ हाकर सिडले लिमिटेड के साथ परामर्श करके जांच कर रहे हैं। शेष विमानों के इन समस्याओं का समाधान हो जाने के पश्चात शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है ।

**इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास बुक किए विमानों को दिया जाना**

**788. श्री समर मुखर्जी :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को आर्डर दिये गये दस विमानों में से अंतिम विमान के दिये जाने का मूल कार्यक्रम क्या था ;

(ख) क्या वितरण कार्यक्रम का बाद में पुनरीक्षण किया गया था ; और यदि हां, तो उसके पूरा किये जाने की अंतिम तिथि क्या है ; और

(ग) क्या उसे दे दिये जाने की संभावना है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) दसवां विमान सितम्बर 1972 में दिया जाना था ।

(ख) और (ग) पुनरीक्षित वितरण अनुसूची के अनुसार पहला विमान अप्रैल 1972 में तथा दसवां विमान अप्रैल 1973 में दिया जाना था। अभी तक 3 विमान प्राप्त हो चुके हैं। एच०ए०एल०, कानपुर ने इण्डियन एयरलाइंस को बताया है कि कुछ उत्पादन संबंधी समस्याएं हैं जिनकी वे अपने निर्माण सहयोगी मैसर्ज़ हाकर सिडले लि० के साथ परामर्श करके जांच कर रहे हैं। शेष विमान इन उत्पादन समस्याओं के हल हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है ।

**स्टैट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम के अन्तर्गत सहायक बैंक के महाप्रबन्धक द्वारा पद पर बने रहने की अवधि**

**789. श्री समर मुखर्जी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम के अन्तर्गत एक सहायक बैंक का महाप्रबन्धक चार वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर नहीं रह सकता है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 29 (3) (ख) की शर्तों के अनुसार किसी सहायक बैंक का महाप्रबन्धक, उतनी अवधि के लिये, जो चार वर्ष से अधिक नहीं होगी और उन शर्तों के अनुसार, जो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक की स्वीकृति से, उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित करे/कार्य करेगा । तथापि, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, पद छोड़ने वाला महाप्रबन्धक पुर्नीनयुक्त के लिये पात्र होता है ।

**लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात**

**790. श्री के० लकप्पा :**

**श्री पी०एम० मेहता :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने लघु उद्योगक्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादकों का निर्यात बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किए है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की मोटी रूप रेखा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां ।

(ख) सरकार ने लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों में निर्यात को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं । निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण पर भगवान सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लघु क्षेत्र को परिषदों तथा उनके द्वारा प्रायोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों तथा अध्ययन दलों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु कई कदम उठाये गए हैं । लघु क्षेत्र से निर्यातों के विकास तथा संवर्धन की देख भाल करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन में एक अलग निर्यात संवर्धन निदेशालय स्थापित किया गया है । लघु क्षेत्र से निर्यात संबंधी समस्यायों के संबंध में कार्यवाही करने तथा इस क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ाने का समर्थन करने हेतु निर्यात संवर्धन संबंधी एक स्थायी समिति नियुक्त की गई है । लघु उद्योग उत्पादों के संबंध में निर्यात उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक कार्यकारी दल भी है । पात्र निर्यात सदनों को केवल सभी अप्रत्यक्ष निर्यातों का लाभ प्राप्त होता है जब वे लघु क्षेत्र की वस्तुओं का निर्यात करते हैं ।

**देश में समुद्री तटों पर दर्शनीय स्थलों के विकास की योजना**

791. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में समुद्री तटों पर दर्शनीय स्थलों के विकास की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

(क) और (ख) जी, हां । कोवालम में एक समुद्रतटीय विहार-स्थल का विकास कार्य पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है । प्रथम चरण के जिसमें 40 कुटीरें, एक 100 कमरों का होटल, एक योग-व-मालिश केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक थियेटर, तथा जल क्रीड़ाओं की व्यवस्था चालू करना सम्मिलित है, चौथी योजनावधि में पूरा हो जाने की आशा है । महाबलिपुरम् में एक कुटीर कांप्लेक्स तैयार है तथा कार्य कर रहा है । कोवालम तथा महाबलिपुरम् का और आगे विकास करने तथा गोवा में समुद्र तटों का विकास करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किये गये समुद्र-तटीय विहार-स्थल विकास सार्वेक्षण दल द्वारा नवम्बर/दिसम्बर, 1972 में एक क्षेत्र-सर्वेक्षण किया गया । इसकी रिपोर्ट इस वर्ष जुलाई में प्राप्त हो जाने की आशा है ।

**विदेश यात्रा कर की अदायगी**

792. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन यात्रियों को वि`श यात्रा कर देना पड़ता है जो रुपयों में हवाई किराया देते हैं;

(ख) क्या यह कर उन यात्रियों को भी देना पड़ता है जो भुनाये जाने वाले प्रमाण-पत्रों सहित भुगतान करते हैं; और

(ग) क्या यात्रियों के किसी वर्ग को इस कर से मुक्त भी किया गया है यदि हां, तो कर-मुक्त यात्रियों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :**

(क) जी, हां। वित्त (सं० 2) अधिनियम 1971 की धारा 45 (1) के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बंध में जिसके लिए किराया भारतीय मुद्रा में दिया जाता है अथवा देय होता है, विदेश यात्रा कर अदा करना होता है।

(ख) जी, हां। तथापि, विमान कम्पनियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर एक कार्य पद्धति निर्धारित की गई है। यदि कोई यात्री, जिसके पास विदेशी मुद्रा, यात्री चेक, आदि के रूप में विदेशी मुद्रा हो, इस पद्धति को अपनाता है तो उसे कर अदा नहीं करना होगा।

(ग) उपयुक्त अधिनियम की धारा 46(ए) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, सरकारी राज-पत्र में अधिसूचना जारी करके, यात्रियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट दे सकती है। ऐसी अधिसूचनाओं को संसद के प्रत्येक सदन में पेश करना आवश्यक होती है। ऐसी छूट अधिसूचनाओं का सारांश संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4254/73].

---

**स्पेन के साथ व्यापार करार**

793. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में हस्ताक्षरित व्यापार-करार के अलावा भारत और स्पेन के बीच किसी अन्य व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बहुत बड़े पैमाने पर बीजकों में मूल्य से कम राशि का दिखाया जाना**

794. **श्री विजय मोदक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता पत्तन अधिकरण से हाल में बीजकों में बहुत बड़े पैमाने पर मूल्य से कम राशि दिखाने सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त की है यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या इस की जांच के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :**

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मामले की जांच की जा रही है।

**मैसूर से कच्चे रेशम का निर्यात**

795. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने कच्चे रेशम को कम मूल्य पर भी निर्यात के लिये देने का निर्णय किया है क्योंकि देश के मूल्य की तुलना में उसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य के केन्द्र ने राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति दिये जाने का निवेदन किया है क्योंकि राज्य में अधिक कारखाने सरकारी क्षेत्र के हैं और उनकी अर्थ क्षमता को बनाये रखने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :

(क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**उड़ीसा में चिल्का झील का विकास**

796. **श्री राम भगत पस्वान** :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील के विकास के लिये केन्द्र को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** :

(क) हाल में पर्यटन विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर में परिवर्तन का प्रस्ताव**

797. **श्री राम भगत पस्वान** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्याज की दर में कितनी वृद्धि की जायेगी और इसे अनुमानतः किस तारीख से लागू किया जायेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधियों की जमा रकमों पर ब्याज की दरों में हाल में जो वृद्धि की गयी है वह इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| पहले 10,000 रुपयों पर | 6 प्रतिशत |
| 10,000 रुपये से अधिक पर ये दरें 1 अप्रैल 1972 से लागू हैं | 5.3 प्रतिशत |

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि**

**798. श्री राम भगत पस्वान :**

**श्री जगन्नाथ मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हो रही हानि में गत वर्ष वृद्धि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हानि को कम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) 93 चालू और प्रोत्साहक उद्योगों को 1971-72 में कुल मिलाकर 18.96 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि 1970–71 में 2.86 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था ।

(ख) 1971–72 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में अधिक घाटा मुख्य रूप से इन कम्पनियों के कारण हुआ :—

(i) हिन्दुस्तान स्टील को 1970–71 में हुआ 4.51 करोड़ रुपये का घाटा बढ़कर 1971–72 में 45.63 करोड़ रुपये का हो गया । इसका मुख्य कारण राऊरकेला में छत गिर पड़ना था ।

(ii) एयर इण्डिया को 1970–71 में 3.87 करोड़ रुपये का लाभ हुआ लेकिन उसे 1971–72 में 1.96 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । यह घाटा 1971 की सर्दियों में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ने और अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा में मन्दी आने के कारण हुआ ; और

(iii) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन का घाटा, 1970–71 के 11.6 करोड़ रुपये से बढ़कर, 1971–72 में 13.31 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि लिगनाइट का उत्पादन कम हुआ था ।

सरकारी उद्यमों के कार्य परिणामों में सुधार के लिये उठाए गये कदमों में यह बातें शामिल हैं :–

(i) उपकरणों के बन्द रहने के समय को कम करने के लिये बेहतर रख-रखाव संगठन और पद्धतियां ;

(ii) उत्पादन, आयोजन और नियन्त्रण कार्मक प्रबन्ध, सामग्री प्रबन्ध, औद्योगिक इंजीनियरी आदि में सुधार ;

(iii) अभिप्रेरण बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं ;

(iv) बेहतर प्रबन्धकीय कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि के लिये सभी स्तरों पर प्रशिक्षण ;

(v) जहां मांग अपर्याप्त रही हो, वहां उत्पादन में विविधता लाने और निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न ; और

(vi) जहां आवश्यक हो, कच्चे माल और कलपुर्जों का आयात ।

**सरकार द्वारा खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लेना**

799. **श्री वयालार रवि :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1973 के "फ्री० प्रेस जर्नल" बम्बई में "वर्ल्ड बैंक ब्लौकिंग ग्रेन्ज ट्रेड टेक ओवर" (विश्व बैंक द्वारा खाद्यान्न व्यापार के अधिग्रहण में रुकावट डालना) के शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के प्रवक्ताओं द्वारा इन समाचारों का पहले से ही खण्डन किया जा चुका है । विश्व बैंक अथवा इसके पदाधिकारियों ने हमारी नीति के सम्बन्ध में हम से औपचारिक या अनौपचारिक रूप में कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं । वे केवल यह जानना चाहते थे कि क्या नीति में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप, बिहार कृषि मंडी परियोजनाओं के ढांचे में जिनके लिए मार्च 1972 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण प्राप्त किया गया था, या मैसूर कृषि मंडी परियोजनाओं के ढांचे में जिनके लिए इस अभिकरण से ऋण लेने के प्रस्ताव पर काफी विचार हो चुका है, परिवर्तन होंगे । विश्व बैंक को सूचित कर दिया गया था कि परियोजनाओं के ढांचे में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

**कृषि पुनर्वित्त निगम को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वित्तीय सहायता**

800. **श्री वयालार रवि :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि पुनर्वित निगम ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से कुल कितनी राशि की सहायता प्राप्त की है ;

(ख) किन मुख्य शर्तों पर यह सहायता प्राप्त की गयी है ; और

(ग) क्या कृषि पुनर्वित निगम के प्रबंध संचालक ने शिकायत की है कि ये शर्तें अव्यवहारिक हैं और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) कृषि पुनर्वित निगम को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत 15 फरवरी, 1973 तक 7.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध की गयी है ।

(ख) वे मुख्य शर्तें, जिनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त की जाती है, उनका सम्बन्ध छोटी सिंचाई, ट्रेक्टर और कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनों, भूमि को समतल करने, भूमि के विकास आदि जैसी निवेश की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में नकद अदायगी, ब्याज की दर और ऋण परिपक्वता से है। ये शर्तें

परियोजना की किस्म के अनुसार अलग-अलग होती हैं। तकनीकी शर्तों का सम्बन्ध, मुख्यत : भूमिगत जल विकास के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता सत्यापित करने के बाद छोटी सिंचाई के लिये और उद्वाही सिंचन कार्य-क्रम में राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, ऋण जारी करने से है ।

(ग) सरकार को शर्तों की अव्यवहार्यता के सम्बन्ध में कृषि पुनर्वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## Calling attention to a matter of urgent Public Importance

### डालर के अवमूल्यन करने के अमरीकी सरकार के निर्णय का भारतीय रुपए पर प्रभाव

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : मैं **वित्त मंत्री** का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"डालर का अवमूल्यन करने के अमरीकी सरकार के निर्णय और उसका भारतीय रुपये तथा अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव" ।

**वित्त मंत्री** (**श्री यशवन्तराव चव्हाण**) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 21 दिसम्बर, 1971 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने वाशिंगटन में हुई बैठक में "दस के समूह" के बीच हुए करार के परिणामस्वरूप मुद्राओं के सममूल्यों के पुनर्निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना दी थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने मुद्राओं के सममूल्यों के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन कर दिया था। निधि ने अन्य सदस्य देशों से भी अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी मुद्राओं की विनिमय दरों की घोषणा करें जिन्हें केन्द्रीय दरें कहा जायगा। निधि ने इन केन्द्रीय दरों में 2.25 प्रतिशत के मार्जिन के अन्दर-अन्दर घटबढ़ की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि भारत सरकार ने भारतीय रुपये की केन्द्रीय दर 18.9677 रुपये प्रति पौण्ड स्टर्लिंग निर्धारित करने का निश्चय किया था।

ऐसा विश्वास था कि इस पुनर्निर्धारण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी स्थिति स्थिर हो जायगी। किन्तु 23 जून, 1972 को पौण्ड स्टर्लिंग के सम-मूल्य को विनिमय दर से मुक्त कर दिया गया। हाल में, 12 फरवरी, 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने डालर का 10 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। औद्योगिक देशों के बीच बराबर असन्तुलन बने रहने के कारण हाल में एक बार फिर स्थिति अनिश्चित-सी हो गयी। अमेरिका की घोषणा के बाद येन को भी विनिमय दर से मुक्त कर दिया गया है और जर्मन ड्यूश मार्क के लिये एक नयी केन्द्रीय दर निर्धारित की गयी है। अपने उद्देश्यों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए सरकार ने इन परिवर्तनों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और यह निश्चय किया गया कि दिसम्बर 1971 में हमने 18·9677 रुपये प्रति स्टर्लिंग पौण्ड की जो केन्द्रीय दर निर्धारित की थी उसे कायम रखा जाय। रिजर्व बैंक इस केन्द्रीय दर से 2.25 प्रतिशत के उतार-चढ़ाव के मार्जिन का लाभ उठाता रहेगा।

डालर के अवमूल्यन के तुरन्त बाद, नये डालर के रूप में पौण्ड स्टर्लिंग का मूल्य 3.7 प्रतिशत बढ़ गया। किन्तु, चूंकि रुपया स्टर्लिंग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिये अमरीकी डालर की तुलना में, भारतीय रुपये के मूल्य में भी इतने ही प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जगत में विद्यमान अनिश्चितताओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने पौण्ड-स्टर्लिंग की अगाऊ खरीदों और अमरीकी डालर की हाजिर और अगाऊ खरीदों को स्थगित कर दिया है। जैसे ही परिस्थितियां ठीक हो जायेंगी वैसे ही खरीदें फिर से शुरू कर दी जायेंगी।

मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय रुपये का, अमरीकी डालर के साथ, 10 प्रतिशत अवमूल्यन नहीं किया गया है। चूंकि हमारी विनिमय दर पौण्ड-स्टर्लिंग के रूप में निर्धारित की गयी है इसलिये अन्य मुद्राओं की तुलना में हमारी मुद्रा के मूल्यों का निर्धारण, अन्य मुद्राओं की तुलना में पौण्ड-स्टर्लिंग की विनिमय दरों के आधार पर होता है। पौण्ड-स्टर्लिंग जैसी प्रमुख मुद्रा की तुलना में जिसका उपयोग, काफी बड़ी सीमा तक, हमारे व्यापार से सम्बन्धित बीजकों को बनाने के लिये किया जाता है, हमारी मुद्रा के मल्य में स्थिरता बनाए रखने से हमारे निर्यातकों और आयातकों दोनों को लाभ होगा।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे उस निर्यात-व्यापार के सम्बन्ध में, जिसके बीजक अमरीकी डालरों में तैयार किये जाते हैं—और यह क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है—हमारे निर्यातकों को रुपयों के रूप में पहले की अपेक्षा मामूली सी कम वसूलियां होंगी। लेकिन इसके साथ, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि भारतीय रुपये की तुलना में ड्यूश-मार्क और येन के सममूल्य में वृद्धि हो जाने से अन्य देशों के बाजारों में इन देशों के उत्पादों की अपेक्षा हमारे निर्यातकों को कुछ लाभ होगा। जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि चूंकि स्टर्लिंग-रुपया दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिये इसका ब्रिटेन के बाजारों को किये जाने वाले निर्यातों तथा उन निर्यातों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके बीजक स्टर्लिंग में तैयार किये जाते हैं। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, अमरीकी माल हमें सस्ता पड़ेगा लेकिन जर्मनी और जापान की वस्तुएं अधिक महंगी हो जाएंगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी गतिविधियों का हमारे व्यापार पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसपर कड़ी नजर रखी जायेगी और सरकार इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को पूरा करने में किसी प्रकार की आंच न आए।

हाल में हमने जो निश्चय किया है वह पिछले कुछ वर्षों में लिये गए निर्णयों के अनुरूप है और इसका हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि रुपया-स्टर्लिंग दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य में कोई ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है, इसलिये इसका निर्यात, आयात, बजट सम्बन्धी प्राप्तियों और शोधन शेष पर मामूली सा प्रभाव पड़ेगा।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार के प्रश्न पर अब 20 देशों के सचिवीय समिति में, जिसका भारत भी एक सदस्य है, विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस समिति में और अन्य मंचों पर हमारा यह प्रयास रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में ऐसे सुधार किये जाने चाहिएं जिनसे पर्याप्त भुगतान क्षमता, व्यापार और विनिमय दरों में स्थिरता के सम्बन्ध में विकासशील देशों की आवश्यकताओं का पूरा-पूरा पता चल सके और विश्व के व्यापार का समन्वित ढंग से विकास हो सके जिसमें विकासशील देश पूरा-पूरा भाग ले सकें।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** माननीय मंत्री ने वक्तव्य देकर सभा और देश को इस मामले पर शान्त रहने का प्रयास किया है। डालर के अवमूल्यन से उत्पन्न नवीनतम स्थिति का सरकार ने पूरा अनुमान अभी तक नहीं लगाया है।

सरकार का हाल ही के महीनों और गत वर्ष के दौरान ऋण लेना उचित था क्योंकि हमारे निर्यात व्यापार में भारी वृद्धि हुई थी और आयात व्यापार में कुछ सीमा तक कमी हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप देश का अनुकूल व्यापार शेष था। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि देश का अनुकूल व्यापार शेष होने के बावजूद भी भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व में, सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 60 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

अत: देश को जो सामान्य स्थिति में लाभ प्राप्त होने वाले थे वे तीन कारणों से समाप्त हो गये। पहला कारण विदेशी ऋणों का भार है। दूसरा कारण उन देशों से विलम्ब से ऋण प्राप्त होना है जिनसे हमे शीघ्र ऋण प्राप्त करने की आशा थी। तीसरे, आयात पर बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाना है।

एकाधिकार प्राप्त बड़े व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा रिजर्व कम होता जा रहा है।

अवमूल्यन के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि इससे हमारे देश के व्यापार पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार द्वारा किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि आगामी वर्षों में इतनी अधिक दर से निर्यात में वृद्धि नहीं होगी और आयात में कमी करना भी सम्भव नहीं होगा। शायद इस्पात, रासायन, उरवर्क और खाद्यान्नों का देश को और अधिक आयात करने की आवश्यकता होगी।

यह बात समझ में नहीं आती कि रुपया पौंड पर आश्रित क्यों रहे पौंड इतनी अधिक शक्तिशाली अथवा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गये विदेशी मुद्रा की कमी के कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ? देश की मुद्रा की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा की स्थिति कब से खराब हुई है और सरकार ऋणों पर रोक लगाने के बारे में क्यों विचार नहीं करती है ?

पटसन, चाय, खालों आदि के निर्यात के मामले में जर्मनी और जापान ही विशेषकर हमारे प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। यदि हम विश्व की मंडियों में अपनी धाक बनाये रखना चाहते हैं, तो हमे उनकी किस्म अच्छी बनाये रखनी होगी।

जापान और जर्मनी से होने वाले आयात में वृद्धि हो रही है। उनके उत्पाद हमारे लिये बहुत महंगे होते जा रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमे पौण्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को निर्यात को प्रोत्साहन देने और आयात में कमी करने के बारे में नये उपाय पता लगाने चाहियें। माननीय मंत्री ने देश की स्थिति का बहुत आशावादी चित्र खींचा है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने देश की आर्थिक स्थिति का बहुत आशावादी चित्र खींचा है। मै देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई आतंक नहीं फैलाना चाहता और यह नहीं कहता कि विश्व मुद्रा प्रणाली की अनिश्चितता हमारे ऊपर भी आ गई है और इससे हमारी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। सरकार ने 1972-73 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया था कि हमारे विदेशी मुद्रा संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है और आगामी वर्ष इस पर और दबाव बढ़ने की सम्भावना है। इसका मुख्य कारण राहत सम्बन्धी ऋणों का विलम्ब से प्राप्त होना था। राहत ऋणों की यह राशि लगभग 148 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-नवम्बर के बीच इसमें से बहुत कम राशि प्राप्त हुई थी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: उक्त विलम्ब का कारण नीति सम्बन्धी मामले थे अथवा इसके कारण अन्य थे।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इसके कारण नीति सम्बन्धी मामले भी थे लेकिन सम्बन्धित सरकारों और उनकी विधान सभाओं की अनुमति लेने में भी विलम्ब हुआ है। अमरीका सरकार ने अपनी नीतियों के कारण भी विलम्ब किया है।

परन्तु भारत किसी भी देश के दाबव में आने वाला नहीं है। नवम्बर के बाद स्थिति में परिवर्तन हो गया है अब सब ऋण वसूल हो गया है इससे हमे अपनी विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार करने में सहायता मिली है।

तीन बड़े देशों--पश्चिमी यूरोप, अमरीका और जापान में आर्थिक हितों का संघर्ष हो रहा है इससे विनिमय दरों का युद्ध हो रहा है। यदि हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अथवा व्यापार बाजार में काम करना है, तो हमें कुछ अन्तरवर्ती मुद्राओं को स्वीकार करना पड़ता है और वे मुद्राएं हैं डालर और पौण्ड। जब हमने देखा कि डालर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता जा रहा है, तो हमने सोचा कि यदि हम पौण्ड लेने का प्रयास करें तो उचित होगा। यह आरोप लगाना कि हमारी मुद्रा किसी देश की मुद्रा पर आश्रित है, गलत है। यदि भविष्य में हमें पौंड से अपना सम्बन्ध तोड़ना राष्ट्रहित में लगा तो हम पौण्ड से अपना सम्बन्ध तोड़ लेंगे।

यह पूछा गया है कि हम अपना सम्बन्ध सोने से क्यों नहीं जोड़ लेते। इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि सोने की स्थिति पहले ही संकटनीय है।

दुर्भाग्य से हमे बहुत बड़ी राशि खाद्यान्नों के आयात पर खर्च करनी पड़ती है। हमें विविध वस्तुओं का निर्यात करना चाहिये।

**श्री पी० बेंकटासुब्या (नन्द्यात)** : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि हम किसी भी अन्य देश की मुद्रा पर आश्रित नहीं रहेंगे। माननीय मंत्री को पता है कि डालर पर लगातार दबाव पड़ रहा है और इसलिये उन्होंने पौण्ड को अपनाया है। पिछले 4 और 5 वर्षों से पौण्ड पर भी दबाव बढ़ रहा है। अतः सरकार अन्य देशों की मुद्राओं जैसे स्वीडन की फ्रैंक अथवा जापान की येन से सम्बन्ध स्थापित क्यों नहीं करती ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस सम्बन्ध में हमारी रूचि का प्रश्न नहीं उठता। उन देशों की अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय नीतियां हैं (**अन्तर्बाधाएं**)

केवल एक देश की मुद्रा संकट में नहीं है। इस समय पूर्ण मुद्रा प्रणाली ही संकट में है। अतः एक देश की मुद्रा के स्थान पर दूसरे देश की मुद्रा से सम्पर्क स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है।

अतः इस बारे में उचित हल यही है कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि हमे ऐसी मुद्रा प्रणाली अपनानी चाहिये जो स्थायी हो।

यदि इस मामले में सुनिश्चितता नहीं होगी तो हमें विस्तृत विश्व व्यापार में अपना उचित भाग प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें विकासशील देशों के लिये संशोधन प्राप्त करने सम्भव नहीं होंगे।

अतः यह एक बहुत साधारण मामला नहीं है। हमें इस बारे में विश्व की प्रतिक्रिया की जानकारी रखनी होगी और ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जो राष्ट्रीय हित में हो।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : वर्तमान मुद्रा संकट सीमित मामला नही है। यह निरन्तर प्रक्रिया है। इसके तीन कारण हैं। पहला, पौंड को अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिये खुले बाजार में छोड़ा जाना। दूसरा, डालर का 10 प्रतिशत अवमूल्यन। इसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। और दूसरे देशों में होने वाले व्यापार हमारे व्यापार सम्बन्धों पर ही प्रभाव पड़ा है। रिजर्व बैंक द्वारा पौंड और डालर के लिये वायदे सौदों पर रोक लगाने के लिये जारी किये गये निदेशों से यह प्रकट होता है कि वित्त मंत्री ने इस मामले में अधिक सावधानी से काम लिया है। इस मामले में सरकार का विचार स्थिति का अध्ययन करना मात्र है।

हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिये कि अमरीका ने अपने डालर का 10 प्रतिशत अवमूल्यन क्यों किया ? अमरीका द्वारा वियतनाम युद्ध में भाग लेने से और वहां रक्षा पर बहुत बड़ी राशि खर्च करने के परिणामस्वरूप भुगतान शेष की स्थिति पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है।

ऐसा किये जाने के बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। माननीय मंत्री ने बताया है कि उक्त अवमूल्यन से बहुत साधारण अन्तर पड़ेगा लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि इससे हमारे निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम स्थिति का पूरा विश्लेषण करना चाहते हैं।

क्या अब समय नहीं आ गया है जबकि हमें पौंड से अपना सम्बन्ध समाप्त कर लेना चाहिये ?

अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा अधिकांश तथा निर्यात भारत को किया जाता है। भारत के नये पारस्परिक उत्पादों केविस्तार के लिये इन देशों में मंडियां उपलब्ध नहीं हैं। अतः भारत को अपने पारस्परिक उत्पादों को दक्षिण पूर्व, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को निर्यात करने के बारे में इन

देशों से नये व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये जिससे हम आर्थिक मुद्रा संकट से मुक्त हो सकें। सरकार मुद्रा संकट के बारे में केवल अमरीका तथा ब्रिटेन में घटी घटनाओं के अनुसार विचार कर रही है ।

हम अपनी मुद्रा का सम्बन्ध पौंड से जोड़ते जा रहे हैं। क्या ब्रिटेन ही यूरोपीय समुदाय का सब कुछ है ? उसे इस बारे में अपने हितों की चिन्ता है। उसे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की अधिक चिन्ता नहीं है।

अतः यह आवश्यक है कि हम रुपये को पौंड से जोड़ने के बारे में विचार करें।

वर्तमान मुद्रा संकट को देखते हुए और भुगतान शेष की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार निर्यात के लिये अधिक सुविधाएं देने और आयात पर और अधिभार लगाने का है ? मलेशिया और सिंगापूर जैसे छोटे देशों ने भी अमरीकी डालर के अवमूल्यन की उपेक्षा की है।

सरकार को इस बारे में 'देखो और प्रतीक्षा करो' नीति से काम न लेकर कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा मध्य पूर्व देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद माननीय सदस्य को यह विदित नहीं है कि वे देश मुद्रा संकट से हमारे से अधिक प्रभावित हुए हैं।

डालर पर संकट आने का मुख्य कारण जापान के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन होना है। अमरीका ने यह सोचा है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा भेदभाव करने वाले कार्य किये गये हैं अन्य दो देशों का मामला यह है कि उन्होंने अमरीका में अपनी मुद्रा स्थिति सम्बन्धी स्थितियों पर नियन्त्रण रखने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है। अतः उन्होंने उत्तरस्वरूप कार्यवाही नहीं की। इस संकट का मुख्य कारण यही है । हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य अनिवार्य रूप से किसी तीसरे तटस्थ ग्रुप का पता लगाना होना चाहिये, जिसका हम अन्तर्वर्ती मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकें हमारा यह प्रयास होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नकदी प्राथमिकताएं दी जाने में वृद्धि हो।

इसके साथ ही हम यह चाहेंगे कि मुद्रा प्रणाली सम्बन्धी ढांचे, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में विकासशील देशों की अधिक और प्रभावशाली आवाज है । इस समय अधिकांश देशों का उसमें मताधिकार का 26 प्रतिशत कोटा है ।

चूंकि विकासशील देशों का 20 सदस्यों की समिति में अल्पमत है, अतः हमारे प्रयास, धैर्य और बुद्धिमत्ता पर इस मामले में बहुत कुछ निर्भर है। यदि हम जापान से और अधिक व्यापार करना चाहेंगे, तो सम्भवतः जो हमें करना पड़ेगा, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा ।

**Shri Jagan Nath Rao Joshi (Shajapur)** : The dollar had a set back twice after the second world war. Its effects are but natural, on us whether they may be good or bad. We have devalued our currency once in 1966. Our currency was linked with pound for the last few year's but after some time Britain also began to look towards Europe in this connection and we could not get our share of profit as a member of the European Common Market.

America has recently devalued its currency. After the devaluation of dollar, the pound was immediately floated but it was devalued by four percent only. I want to know what steps Government propose to take in this connection. During the year 1971-72 there has been an increase of 3 percent in our export trade. The Hon. Minister's suggestion that it should be raised upto seven percent, is praiseworthy. I want to know whether Government wants to link its currency with some other country like Germany or Japan? I also want to know what solid steps have been taken to achieve the target of seven percent increase in our export trade ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जहां तक निर्यात व्यापार के विस्तार का प्रश्न है, यह गैर-परम्परागत वस्तुओं का किया जायेगा। इस बारे में यह भी ध्यान देना होगा कि इनका व्यापार किन-किन देशों से किया जायेगा। वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा केवल दरों तक ही सीमित नहीं रहती लेकिन यह किस्म के सम्बन्ध में भी होती है। अन्ततः इस बात का निर्णय न केवल वस्तु की दर बल्कि सप्लाई की गई वस्तु की किस्म के आधार पर होगा। मैं आश्वासन देता हूं कि इस बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि 'मार्क' और 'येन' मजबूत मुद्राएं हैं। वास्तव में डालर का अवमूल्यन उनको कमजोर करने की दृष्टि से किया गया है। इस बारे में हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा।

## नियम 377 के अन्तर्गत मामला

## MATTER UNDER RULE 377.

### मंत्रियों के कथित गलत वक्तव्य

**श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय)** : मैं औद्योगिक विकास मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम और रक्षा-मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल के विरुद्ध नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 22, दिसम्बर, 1972 को छोटी कार के उत्पादन सम्बंधी नीति पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते समय जानबूझकर गलत वक्तव्य दिया था।

चर्चा, में, जिसे 'मारूति' पर हुई चर्चा का नाम दिया गया था, यें आरोप लगाये गये थे कि वायुसेना के संस्थानों में इमारतों तक कुछ अन्य संस्थानों के निर्माण के समय रक्षा मंत्रालय के कुछ नियमों और विनियमनों का उल्लंघन किया गया था उस समय श्री शुक्ला ने आश्वासन दिया था कि रक्षा संस्थानों को वहां से हटाया नहीं जायेगा और श्री सुब्रह्मण्यम ने इस बात पर जोर दिया था कि जहां तक "रक्षा निर्माण कार्यों का संबंध है", नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

मुझे 11 मार्च, 1971 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है "कि इस स्टेशन के ध्यान में यह बात आई है कि हरियाणा राज्य ने 24 फरवरी, 1971 की अधिसूचना के अनुसार इस डिपो के आस-पास की कुछ भूमि अधिगृहीत की है। उस क्षेत्र की जांच से पता लगता है कि उस भूमि का एक बड़ा भाग रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिबन्धित क्षेत्र में आता है "उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य अथारिटी द्वारा भूमि खरीदी गई है तो इससे डिपो के विस्फोटकों और हवाई अड्डों को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

इस पत्र से यह भी स्पष्ट है कि इस बारे में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपत्ति की गई थी और यह भी विदित होता है कि एक ऐसा अधिनियम बना हुआ है जिसके अन्तर्गत विशेष दूरी तक किसी निर्माण पर रोक लगी है ।

अतः यह स्पष्ट है कि दोनों ही मंत्रियों ने गलत वक्तव्य दिये थे और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच के लिये सौंपा जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले की जांच करूंगा

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** :It is a clear case of breach of privilege and it should be referred to the Privileges Committee.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले में जाँच करूंगा और फिर सदन को सूचित करूंगा ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर)** : दोनों ही मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं । वे इस बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और फिर आप उन पर विचार कर सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नोटिस पर निर्णय देने से पूर्व मुझे इस पर अच्छी तरह विचार करना होगा ।

**श्री समर गुह (कन्टाई)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने मिश्र जी को नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दी थी । मैं नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में भी निर्णय लेने से पूर्व मुझे जांच करनी होगी । माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा था कि वह एक मामला उनकी जानकारी में लाना चाहते हैं । मैंने उनको कहा था कि यदि वह उक्त मामले को विशेषाधिकार के मामले के रूप में उठाना चाहते हैं, तो मुझे उस मामले की जांच करनी होगी अन्यथा वह उक्त मामले को सदन में उठा सकते हैं ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : यदि आप इस मामले पर विचार करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी मैं यह मामला नियम 222 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं । मैंने माननीय मंत्री को 22 नवम्बर 1972 को एक पत्र लिखा था जिसका जबाव अभी तक नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे नियम 377 के अन्तर्गत केवल एक ही नोटिस भेजें । सब नोटिसों पर चर्चा करना सम्भव नहीं है ।

## आन्ध्र प्रदेश में बंदी बनाये गये श्री नागभूषण पटनायक की चिकित्सा के बारे में और रानीगंज में हरिजन बस्ती के जलाये जाने के बारे में

## RE. MEDICAL TREATMENT OF SHRI NAGA BHUSHAN PATNAIK DETAINED IN AN ANDHRA JAIL AND RE. BURNING OF HARIJAN BASTI IN RANIGANJ

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर)** : मैं आपका तथा माननीय मंत्री का ध्यान श्री नागभूषण पटनायक, की हालत की ओर दिलाना चाहूंगा । श्री नागभूषण पटनायक एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं और इस समय आंध्र प्रदेश में जेल में हैं । उनकी हालत खराब होती जा रही है उन्हें जेल में उचित चिकित्सा की सुविधा प्राप्त नहीं है । उनकी हालत बहुत गम्भीर है अतः मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में शीघ्र स्थानान्तरित किया जाये जिससे उन्हें शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके ।

**श्री जी० विश्वानाथन** : यह उससे संबद्ध है ।

**श्री डी० के० पन्डा** : श्री नागभूषण पटनायक के साथ राजमुंद्री जेल में अमानवीय व्यवहार किये जाने के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा है। उन्हें पेट के अलसर की बीमारी है उनके पिताजी ने कई पत्र लिखे हैं परन्तु उन पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। 10-15 सदस्यों को उनकी चिन्ताजनक स्थिति के बारे में तार प्राप्त हुए हैं। इतने पर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है ।

उन्हें दिल्ली मैडिकल इन्स्टीट्यूट में लाया जाना चाहिये। दोनों ओर से लगभग 120 संसद सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उन्हें मृत्युदंड को माफ करके उन्हें तुरन्त रिहा किया जाना चाहिए

**Shri Hukam Chand Kachwai (Morena)** The students of Medical College Faridabad are on hunger strike for several days. The Government has not fulfilled promises made to them. The Government should come forward with a statement in this connection.

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पाणिग्रही और श्री पंडा ने जो मामला उठाया है श्री खाडिलकर उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं। श्री एस० एम० बैनर्जी ने भी यह मामला उठाया है ।

**श्री एस० एम० बैनर्जी : (कानपुर)** : श्री पाणिग्रही तथा श्री पंडा ने श्री नागभूषण पटनायक के साथ किये जा रहे व्यवहार की बात कही है । श्री नागभूषण अपने 32,000 साथियों सहित जेल में हैं। उनकी कानूनी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । राष्ट्रपति महोदय को तथा प्रधान मंत्री को सभी दलों के 80 सदस्यों से भी अधिक ने हस्ताक्षर करके एक याचिका दी है। श्री नागभूषण को सर्वप्रथम राजमुंद्री से उपचार के लिये दिल्ली लाया जाना चाहिये । उनको दिये गये मृत्यूदंड को माफ किया जाना चाहिये। 32,000 बन्दी नवयुवकों को तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

**स्वास्थय तथा परिवार नियोजन मंत्री ( श्री आर० के० खाडिलकर)** : इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय के सचिव ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के परामर्शदाता से सम्पर्क स्थापित किया । उनसे एक घंटे पहिले हमें यह सूचना प्राप्त हुई है। कामरेड नागभूषण को मृत्युदंड दिया गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने गम्भीर दर्द की शिकायत की थी तथा एपेन्डिसाइटिस रोग से ग्रस्त बताया था और कटक को स्थानांतरित किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी। सिविल सर्जन ने तथा अन्य अधिकारियों ने उनका निरीक्षण किया और बताया कि आपरेशन करना अनिवार्य नहीं है और कोई खतरे की बात नहीं है उनकी स्थिति संतोषजनक है । अतः उन्होंने स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं की है। सरकार ने उनके स्वास्थ्य के बारे में सावधानी बरती है और यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें हैदराबाद भेज दिया जायेगा ।

**श्री डी० के० पंडा** : यह सूचना किस तिथि को मिली है ?

**श्री आर० के खाडिलकर** : यह सूचना अभी मिली है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : उन्हें दिल्ली मैडिकल इन्स्टीट्यूट में लाने में क्या हानि है ?

**श्री डी० के० पन्डा** : हमें इस मामले में मानवीय भावना से काम लेना चाहिये । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है, मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है ।

**श्री डी० के पंडा :** मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि श्री नागभूषण को दिल्ली लाकर मानव हितैषी भावना प्रदर्शित की जाये, क्योंकि उनकी स्थिति, चिन्ताजनक है । कटक, विजाग, राजमुंधरी आदि कहीं पर भी उनका उपचार संभव नहीं है ।

**कुछ माननीय सदस्य उठे :**

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझ पर दबाव देकर ऐसा नहीं कर सकते, (व्यवधान)

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) :** इस माह की 20 तारीख को बस्ती की रानीगंज कागज मल में एक राजनैतिक दल के कुछ गुन्डों ने एक हरिजन बस्ती जला दी थी और एक हत्या कर दी थी यह आक्रमण सुनियोजित ढंग से किया गया था । पुलिस भी उपद्रवियों से सहयोग किये हुए थी, सरकार को मामले की जांच करनी चाहिये और एक वक्तव्य देना चाहिये । यह कार्य सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लोगों ने किया था ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972

### स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968

### आपात संकट (माल/उपक्रम) अधिनियम, 1971

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 अभेद के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 770 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सां० आ० 771 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) साधारण बीमा कारबार (कतिपय अर्जनीय कम्पनियों के कृत्य) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 2(ङ), में प्रकाशित हुए थे । (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 4232/73)

(2) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 27 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 764(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 765(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सां० आ० 75(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 764(ङ) का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4233/73)

(3) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अंतर्गत आपात संकट (माल) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 749 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(4) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात संकट (उपक्रम) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 750(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4234/73 )

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० सां० नि० 1497, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1589 में, प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4235/73)

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क वापसी (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1493 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4236/73)

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 1590, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 50(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 92 और 93 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4237/73)

(8) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101 क की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 8(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन भारतीय बीमाकर्त्ता के रूप गठित भारतीय साधारण बीमा निगम का अनुमोदन किया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4238/73)

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 490(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 5, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 6. जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 51, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 46(ङ), 47 (ङ) और 48(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4239/73)

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी)** : मैं अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकार अधिनियम, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकार, नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० आं० नि० 766 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4240/73)

**समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार के अधिनियम, 1972, के अन्तर्गत, अधिसूचना इलायची बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1972–73 तथा निर्यात (गुण प्रकार) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना ।**

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आँ० 14 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

( ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4241/73)

(2) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० आ० 9(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कुछ समुद्री उत्पादों पर उपकर की दर निश्चित की गयी है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4242/73)

(3) इलायची नियम, 1966 के नियम, 39 के उप-नियम (2) (ङ) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखा गया दे खिये संख्या एल० टी० 4243/73)

(4) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 103 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) विद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 158 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 160 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) कराया गोंद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 162 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) इस्पात ट्यूबों और ट्यूबलरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 163 में प्रकाशितहुए थे ।

(छः) रबड़ आइस बैगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 268 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) रबड़ गरम जल बोतल निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 259 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) रबड़ पेटियों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 270 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) रबड़ बेल्टिंग निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 271 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 272 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) रबड़ हौज़ों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 273 में प्रकाशित हुए थे :

(बारह) मानव केशों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 274 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 4244/73)

---

## राज्य सभा से संदेश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

### अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

**सचिव** : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 20 फरवरी 1973 को अपनी बठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1973 पास किया है ।

## राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
## AS PASSED BY RAJYA SABHA

**सचिव :** मैं अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पारितरूप में सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

## लोक लेखा समिति
## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### 65वां प्रतिवेदन

**श्री सेझियान (कुम्बकोणम) :** मैं, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 37वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## रेल अभिसमय समिति
## RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

### तीसरा प्रतिवेदन

**श्री आर० के सिन्हा (फैजाबाद) :** मैं, रेल अभिसमय समिति, 1971 का वाणिज्यिक और सम्बद्ध विषय (भाग 1)' सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## सभा का कार्य
## BUSINESS OF THE HOUSE

**संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 26 फरवरी, 1973 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :–

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के संकल्प पर चर्चा ।

(3) वर्ष 1973–74 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा ।

जैसा कि पहले बताया गया है कि वर्ष 1973–74 के लिये सामान्य बजट बुद्धवार, 28 फरवरी 1973 को अपराह्न 5 बज प्रस्तुत किया जायेगा ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : With your permission, Sir, I would like to ask one question from the Hon. Minister regarding the business of the House.

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखकर भेज सकते हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं दो बातें उठाना चाहता हूं और संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों को मंत्रियों द्वारा अगले सप्ताह वक्तव्य देने के लिये, विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंचा दें। बिजली की सप्लाई में कटौती कर देने के कारण उत्तर प्रदेश के उद्योगों में भारी संकट है और सभी कारखानों में यहां तक कि चार आयुद्ध –कारखानों में भी उत्पादन में निरन्तर कमी आ रही है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड़ला बन्धुओं के अल्यूमीनियम कारखाने इन्दाल्कों को छूट दी है। आयुद्ध कारखानों को नहीं जो देश की रक्षा के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। सम्बद्ध मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बात चीत करें और इस ओर ध्यान दें कि रक्षा उत्पादन सामग्री में कमी न हो। मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री से उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

दूसरे मंहगाई पर चर्चा के लिये अगले सप्ताह समय दिया जाना चाहिये।

तीसरी बात मुझे हरियाणा के शिक्षकों के बारें में कहनी है। आपने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। वहां कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। शिक्षकों पर अत्याचार किये गये हैं। आप कृपया शिक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहें।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Haryana teachers have been arrested in Delhi by Delhi Police. This matter cannot be raised in Haryana Assembly. Chief Minister is not prepared to listen to anything. The state Government is not prepared to implement the recommendations of Kothari Commission. I would request you to allow discussion on it and ask the Minister to make a statement on that.

**श्री समर गुह (कन्टाई)** कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकीय पर उड़ीसा तथा बंगाल में बहुत सी अप्रिय घटनाऐं हुई हैं। ऐसी आधारहीन अफवाहें फैली हुई हैं कि सैंकड़ों व्यक्ति मारे गये हैं। बंगाल तथा उड़ीसा के लोगों के बीच सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। उनके बीच तनाव होने का कोई कारण नहीं है। समाज विरोधी तत्वों द्वारा कुछ घटनायें घटित हुई हैं। मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। लोगों के मस्तिष्क से भय दूर करने के लिये एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

फरीदाबाद मैडिकल कालिज के छात्र दिल्ली में भूखहड़ताल कर रहे हैं। सरकार को सदन में बताना चाहिये कि उनके भय को दूर करने के लिये तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं।

हरियाणा के शिक्षकों के बारे में मैने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। शिक्षकों से सम्बन्धित दो बातें हैं। पहली यह कि उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया दूसरे जेल में उनके साथ किये गये व्यवहार के प्रति उनकी शिकायतें। गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर)** : मुझे आसनसोल से श्री रोबिन सेन का एक तार मिला है। जिसमें बताया गया है कि इस महीने की 20 तारीख को नारायणपुरी गांव में हरिजनों की भोरी जाति के 20 घर जला दिये गये। उनकी सम्पत्ति तथा फसल लूट ली गयी और वहां अभी तक आंतक छाया हुआ है। सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Sir, there is serious drought condition in the Country. We find a large scale exodus from villages to cities. Hon. Minister should allot time for a discussion on it.

There is an amendment Bill regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes pending since last session. I would like to know by what time the Bill will come in the House.

**श्री के० रघुरामैया** : माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसे मैंने ध्यान से सुना है और मैं उनके विचारों को विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंचा दूंगा ।

---

**भारत और मिश्र के बीच व्यापार करार के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर में शुद्धि**

**CORRECTION OF ANSWER TO S.Q.174 RE-TRADE AGREEMENT BETWEEN INDIA AND EGYPT.**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ए० सी० जार्ज । कार्य सूची की मद संख्या 10–

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में .....

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

**श्री ए० सी० जार्ज** : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

**भारत और मिश्र के बीच व्यारार करार के संम्बध में वक्तव्य**

भारत और मिश्र के बीच व्यापार असन्तुलन के सम्बन्ध में श्री एम० रामगोपाल रेड्डी द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों के उत्तर में और माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुसरण में विदेश व्यापार उपमन्त्री श्री ए० सी० जार्ज ने कहा था :–

(1) "असन्तुलन का हिसाब प्रत्येक तिमाही लगाया जाता है ।"

(2) बकाया राशि 6.9 करोड़ रु० है ।

उपर्युक्त विवरणों में असावधानीवश त्रुटियां रह गई । सही स्थिति इस प्रकार है :–

(1) असन्तुलन का हिसाब प्रति वर्ष लगाया जाता है ।

(2) नई व्यापार योजना में शामिल किये गये पुख्ता साख-पत्रों के सम्बन्ध में बकाया राशि 6.95 करोड़ रु० है । मिश्र के साथ चालू व्यापार प्रबन्ध के शुरू में बकाया राशि मिश्र के हक में 1.67 करोड़ रु० थी ।

खद है कि यह सभा के ध्यान में इससे पूर्व नहीं लाया जा सका क्योंकि सही स्थिति मालूम करने में कुछ समय लग गया ।

---

## समितियों का चुनाव

## ELECTION TO COMMITTEES

### एक इलायची बोर्ड

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, श्री एम० राजंगम् के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, इलायची बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, श्री एम० राजंगम् के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, इलायची बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुए :**

The motion was adopted

### (दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

**श्री बूटा सिंह रोपड़ :** मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति से श्री सुखदेव प्रसाद के उप-मंत्री नियुक्त किये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त समिति में राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा ऐसे निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति से श्री सुखदेव प्रसाद के उप-मंत्री नियुक्त किये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त समिति में राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा ऐसे निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

The Motion was adopted.

**आधे घंटे की चर्चा के बारे में**

Re : Half-an-Hour Discussion.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज होने वाली आधे घंटे की चर्चा सदस्य के कहने पर स्थगित कर दी गई है।

---

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी**

Motion of thanks on President's Address—**contd.**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री गोस्वामी 12 मिनट बोल चुके हैं। वह 2–3 मिनट और ले सकते हैं उसके पश्चात् श्री वाजपेयी बोलेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 बजे लिया जायेगा, अब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.45 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर पैंतालीस मिन्ट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till forty-five minutes past fourteen of the clock

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर अड़तालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

The Lok Sabha then reassembled after Lunch at Fourty-eight Minute Past Fourteen of the clock.

**उपाध्यक्ष महोदय :** पीठासीन हुए।

**(Mr. Deputy Speaker in the Chair)**

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) :** कल मैं शिक्षित बेरोजगारों एवं शिक्षा पद्धति के बारे में कह रहा था। मैं यह तो नहीं कहता कि इस शिक्षा पद्धति से हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। परन्तु मैं यह तो कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण विश्व में भारी परिवर्तन हुए हैं। जिन बातों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह मूर्तिमान हो गयी हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है?

हिन्दी की शायद कोई ही फिल्म होगी जिसमें "दिल" का उल्लेख न मिलता हो। परन्तु हृदय परिवर्तन द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि दिल तो एक पम्पिंग यन्त्र है। इसमें भावुकता का कोई स्थान नहीं है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज स्थितियां बदल गई हैं इसलिये हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 16 में इस बारे में उल्लेख किया गया है परन्तु कोई ठोस सुझाव नहीं दिये गये हैं। आजकल की पीढ़ी या तो राजनीतिक बनना चाहती है या चलचित्र अभिनेता। हमारे समाज में शिक्षकों, किसानों तथा कलाकारों को उचित सम्मान नहीं मिलता।

खाद्यान्नों में मिलावट पर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि लोग शुद्ध घी को हजम नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि मिलावट को गंभीर अपराध माना जाये।

कांग्रेस एक महासागर के समान है इसलिये श्री फ्रेंक एन्थनी का यह कथन कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं अपितु एक आन्दोलन है, अतएव उससे देश की भलाई की इच्छा नहीं की जा सकती, गलत है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** : The President's Address does not represent true picture of the problems facing the country nor does it suggest measures to overcome these problems.

The question whether Andhra is divided into two States or not is not the basic issue. The fundamental question facing the country is how to implement the slogan 'Garibi Hatao' I would like the Prime Minister to make it clear as to what kind of socialism she wants to establish in the country. Is her socialism the same as given by communists or Marxists.

Marxism means complete nationalisation of means of production and distribution.

While writing the foreword of socialism in India Planning shri Nehru observed.

"Socialism has become rather a vague word with many meanings attached to it. In the modern world with its dynamism and its tremendous technological progress, it is clear that Indians concept of socialism undergoes the change and yet its fundamental principles remain. In India it is important for us to profit by medium technical processes and increase production both in agriculture and industry. But in doing so we must not forget that essential adjective to be aimed at is the equality of the individual and the dharma underlying it".

The Prime Minister should make her position clear in the whole matter. Whether in her concept of socialism private section would exist and whether the farmer would be made the owner of the land and whether the Government intend to impose collective farming.

The Government has just decided to take over the wholesale trade of foodgrains. Is it a practical step? Does the Government possess the requisite machinery, efficiency and resources to implement this scheme?

The existing scheme would not only increase the hardships of producers but also of consumers. Would the Government employees go to every village to buy cereals ? Would the Government establish a monopoly house in trade of foodgrains ? It ought to be seriously considered wether the proposed takeover is in general interest of the people.

I have received complaints regarding nationalised Banks that their employees cannot take up the matter before the officers but they are compelled to take them up with the unions. Principally no body can oppose nationalisation. But whether the nationalisation is in general interest and whether it can be properly implemented, requires serious consideration.

The policy of the Government in regard to land reforms and the distribution of land is half hearted as surplus land has been distributed in very few States. In the programme of land distribution it is to be made really effective, the landless farmers in large number should be taken on the committees to be formed for the purpose.

There is a good deal of talk about violent disturbances in the country. Can the members of the ruling party say that they did not resent to violent methods in a larger number of cases ?

The violent incidents that have taken place in Andhra Pradesh cannot be appreciated by any one. It is wrong to say that reactionaries are leading the agitation. In fact the demand of separate Telengana is very old one. The agreement reached at among the leaders for the retention of unity of the State did not work out.

Now there is demand for separation from both sides. This has now become the demand of the people. The Prime Minister should not make this a prestige issue.

I feel that a Commission can be formed for examining the demand for the bifurcation of the State. If this question is kept pending for an indefinite period it would create more complications. The wave which has harassed the Prime Minister can even de-throne her.

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

### बाइसवां प्रतिवेदन

**श्री के० लकप्पा (तुमकुर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 22 वें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 22 वें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

The motion was adapted

## संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक

Salaries and Allowances of members of Parliament Amendment Bill

**(नयी धारा 11 का अन्तः स्थापन)**

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधि० नियम 1954 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० ए० शमीम (श्री नगर) : मैं इस विधेयक का पुनःस्थापना की स्थिति में विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने नोटिस आज प्रातः दिया है।

Two Maharajas who are Members of Parliament have brought forward this Bill...

उपाध्याक्ष महोदय : इस समय आप विधेयक के पुनःस्थापित किये जाने की आपत्ति पर ही अपने को सिमित रखें। आप किस आधार पर पुनःस्थापन का विरोध कर रहे हैं।

श्री एस० ए० शमीम : यह विधेयक संसद सदस्यों को बदनाम करने के लिये है। इन सभी विशेषाधिकारों को यदि धन के रूप में आंका जाये, तो इसका कोई मूल्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों को आप विधेयक पर विचार करते समय रख सकते हैं। अब हमने यह देखना है कि क्या इस विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है।

श्री एस० ए० शमीम : मैं सिद्धांत रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस पर मतदान कराया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय प्रश्न यह है कि क्या विधेयक का पुनःस्थापित किया जाये अथवा नहीं। सदस्य महोदय कहना चाहते हैं कि विधेयक उचित नहीं है।

**श्री एस० ए० शमीम** : नियम पुस्तक में व्यवस्था है कि पुनःस्थापित करते समय कोई भी सदस्य किसी भी विधेयक का विरोध कर सकता है।

सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं वह दान नहीं हैं। यह उन्हें इसी लिये प्राप्त हैं कि उन्हें कुछ विशेष उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। आप ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाते कि सदस्यों को वेतन-भत्ते बिल्कुल ही न मिलें। इन दिनों हम मूल्य-मूल्यों की वृद्धि का मामला उठाते रहे हैं।

**डा० कर्णी सिंह** : अब तो कोई महाराजा नहीं रहा।

**श्री एस० ए० शमीम** : मैं उन दो भूतपूर्व महाराजाओं के बारे में कह रहा था जो इस विधेयक को पेश करना चाहते हैं। मूल्यों में वृद्धि से तो एक संसद सदस्य पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक साधारण व्यक्ति पर, क्योंकि सभी संसद सदस्यों को तो अन्य निजि स्रोतों से आय नहीं होती। उन्हें ऐसे लोगों को जिनको विभिन्न स्त्रोतों से आय होती है। कहना चाहिये कि उन्हें किसी प्रकार के भत्ते की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस विधयेक का उद्देश्य घटिया किस्म के प्रचार से लोकप्रिय बनना तथा संसद सदस्यों के प्रति जनता में घृणा की भावना पैदा करना है। इस विधेयक को यदि स्वीकार किया गया तथा हमारे भत्तों वेतन आदि पर प्रभाव पड़ा तो इससे हमारे कार्यकरण तथा तत फलस्वरुप संसदीय लोकतंत्र पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। मेरा अनु रोध है कि इस विधेयक को पेश करने की अनुमित न दी जाये।

**डा० कर्णी सिंह (बीकानेर)** : मै बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य संसद सदस्यों के प्रति लोगों में घृणा-भाव को पैदा करने का कतई नहीं है। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि क्योंकि समुचे देश में विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा रहा है तो फिर सदस्यों को भी जनता से बहुत अलग क्यों रखा जाये ? इस के विरोध में मुझपर व्यकितगत रूप से टिप्पणियां करने से तो कोई लाभ होगा नहीं, इस मामले की गम्भीरता खत्म नहीं होती। मैंने गत वर्ष भी 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी राहत तथा वृधावासा बीमा के विषयों पर तीन विधेयक पेश किये थे पन्रतु सभा नें वे अस्वीकार कर दिये और इस सबंन्ध में विरोध करते हुए यह कहा गया कि मैंने ये विधेयक एक भूतपूर्व महाराजा के पुत्र होने के नाते पेश किये थे।

मैं चाहता हूं कि यदि इस विधेयक का विरोध करना है तो किसी सिद्धान्त को लेकर किया जाये। यह न कहिए कि संसद सदस्य विशेषाधिकार के आवकारी हैं तथा यह अधिकार बने रहने चाहिये बल्कि यह चाहिये कि उन पर भी एक सामान्य नागरिक की भांति सभी कर लगाने चाहियें।

विशेषाधिकारों के सबंध मे मैं यह नहीं चाहता कि किसी संसद सदस्या के कार्यकरण मे कोई बाधा पड़े, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर कर संबंधी नियम समान रूप भी लागू हों, अब सभा जो चाहे निर्णय करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये :

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

The motion was negatived

श्री भुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में यह परम्परा रही है कि किसी गैरसरकारी सदस्य के विधेयक को पुनःस्थापना स्तर पर विरोध नही किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परम्परा की बात नहीं, बल्कि सभा की इच्छा की बात है कि वह अनुमति दें अथवा न दें।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
### सप्तम अनुसूची संशोधन

**Dr. Bhogendra Jha (Jainagar)** : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

**Dr. Bhojendra Jha** : I introduce the Bill.

---

## (संविधान सशोधन विधेयक)
## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
### अनुच्छेद 100 तथा 189 का संशोधन

श्री आर० पी० डालगनम्बी (वैल्लौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री आर० पी० अलगनम्बी : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

---

## संविधान (संशोधन विधेयक)

## CONSTITUTION AMENDMENT BILL

### आठवीं अनुसूची का संशोधन

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम डा० कर्णी सिंह द्वारा 15 दिसंबर, 1972 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।" साथ ही विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचलित करने के लिये श्री मूलचंद डागा द्वारा 1 दिसम्बर 1972 को पेश किये गये संशोधन पर भी आगे विचार करेंगे।

श्री एस० एन० सिंह बोल रहे थे, परन्तु अब वह उपस्थित नहीं हैं। श्री ओंकार लाल बेरवा।

**Shri Onkar Lal Berwa (Kotah)** : Being a Rajasthani I should have not opposed this language, but it is a pity that although the introducer pleaded for this the language yet he as well as all the speakers on this issue spoke in a foreign language that is English. I wish he had spoken in Rajasthani. Above all this Bill appears to be motivated to increase faction with Hindi which is definitely the language of the whole country. This is virtually an effort to drive the people away from Hindi. No language can proper if it is divided and transferred into many dialects and then official States is demanded for each of them. This more appears to be having this purpose. So, we vehemently oppose it.

**Shri M. Ram Gopal Reddy (Nijamabad)** : Rajasthani and Hindi are two different languages. (*interruptions*) : So, it is wrong to say that the proposal for Rajasthani Language has been brought in opposition to Hindi. I belong to South India and still as you see, I love Hindi and speak in Hindi. I agree that Hindi should the National Language of the Country, but Rajasthani language is also as good a language as Tamil, Telugu and others. If it is proposed to make Rajasthani the National Language of the Country. I would oppose it ; but certainly it should be honoured as a State Language like others.

**श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा)** : मैं इस विधेयक के पक्ष अथवा विरोध में तो अधिक कुछ नहीं कहना चाहता; हां संविधान की आठवीं अनुसूची के बारे में अवश्य कुछ कहना चाहुंगा, जिस में 15 भाषाओं का प्रावधान है। इन में तामिल भाषा को छोड़ किसी भी भाषा का इतिहास तेरवीं शताब्दी से पहले का नहीं है। यह भाषाऐं अपभ्रंशों से निकली हैं। राजस्थानी भाषा की सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं तथा शताब्दियों तक डिंगल बोली के रूप में प्रयुक्त होती रही है अब यह हिन्दी में समवेत हो चुकी है जैसे कि भोजपुरी तथा मैथिली अपना असतित्व हिन्दी में मिल चुकी है। अत: राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना भाषा ज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

राजस्थानी एक भाषा न होकर केवल एक बोली है। इस का कोई क्रमिक साहित्यक के विकास नहीं हुआ है भाषा के अधार पर राजस्थान पहले से ही एक पूर्णराज्य है अत: उस पर एक और भाषा का भार लाद देना न्याय संगत नहीं है जिसका कि कोई क्रमिक साहित्यक विकास नहीं हुआ है।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : डा० कर्णी सिंह द्वारा प्रस्तावित उस विधेयक का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। भारतीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाना चाहिये तथा इसके साथ अन्य भाषाओं के समान ही व्यवहार भी किया जाना चाहिये। यदि राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती है तो उसे अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार नेपाली तथा मणिपूरी भाषायें भी हैं। वे भी किसी न किसी संस्कृति का माध्यम हैं। किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का यह अर्थ तो नहीं कि उससे हिन्दी का विरोध होता है बल्कि इससे तो स्वयं हिन्दी का विकास होता है, इसकी शब्दावली में गहनता आती है। मेरा अनुरोध है कि भारतीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली हर भाषा को पूर्ण तथा समान अवसर दिया जाना चाहियें।

**Shri Hukam Chand Kachwai (Morena)** Rajasthani is no doubt a very Sweet, impressive and attractive language and there are many such languages in India. All these languages are required to be developed and nourished. But making it the State language of Rajasthan is not going to do any benefit to Rajasthani; it would rather harm the interest of Hindi. It would divide the people into two groups one who would propagate for Rajasthani and against Hindi and another who would propagate for Hindi. and against Rajasthani. I, therefore do not agree that Rajasthani should be given place in the Eighth Schedule of the Constitution. However, this language as well as all other such languages should be given all opportunities and help for their development and enrichment.

I want only one language at the National level, and oppose the Bill brought here by Dr. Karni Singh.

**The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs : (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : The object of this Bill is to amend the Eighth Schedule of the Constitution which if gone through would reveal that it is linked with Articles 344(1) and 351 and has a very limited scope. Both the Articles are as under :

344. (1) "राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।"

351. "हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सांस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्ताक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उस के शब्द भंडार के लिये मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत वैसी उल्लिखित भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

These Articles show that keeping or not keeping any language in the Eighth Schedule does not make any body responsible for the development of that language. The mover of this Bill had moved a similar bill in 1968 also and Shri Chavan had in his reply on 16th Feb. 1968, said :

> "यदि कोई भाषा किसी राज्य की भाषा भी बन जाती है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उसे आठवीं अनुसूची में वर्णित किया जाये। किसी भी भाषा का विकास वस्तुतः पूर्णतः स्वतंत्र रूप से होता है।"

उस समय भी सरकार की यही नीति थी और आज भी वही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री विश्वनाथन ने कहा है कि वर्ष 1971 की जनगणना में राजस्थानी तथा हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या में हेर-फेर करके हिन्दी भाषियों की संख्या अधिक दिखाई गई है। दूसरे, इनका कहना है कि संस्कृत यद्यपि केवल 2, 212 लोगों द्वारा बोली जाती है तो भी उसे आठवीं अनुसूची में रखा गया है जिन्होंने हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के परस्पर विवाद के बारे में डा० सुनीत कुमार चटर्जी का मत उद्धत किया है।

दूसरे प्रश्न के बारे में मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 351 के अनुसार संस्कृत भाषा की शब्दावलि के विकास के लिये आधार बनाया गया है इसीलिये संस्कृत को आठवीं अनुसूची में रखा गया है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के बारे में उनका आरोप गलत तथा निराधार है। जनगणना राज्यों द्वारा की जाती है तथा कोई केवल उन्हीं आंकड़ों को संजित करके आज पेश कर देता है। केन्द्र तो केवल अनुदेश जारी करता है। मातृ-भाषा की पदपरिभाषा है कि किसी व्यक्ति के शैशवकाल में उसकी माता उससे जो भाषा बोलती है अथवा उसके घरवाले घर में जो भाषा बोलते रहे हैं वही उसकी मातृ-भाषा है। यह सब जानकारी राज्य सरकारें एकत्रित करती हैं। तथा कोई तो केवल उन्हें संकलित करता है जहां तक राजस्थानी भाषियों की संख्या का 1961 के 1.47 करोड़ से घटकर 1971 में केवल 17 लाख रह जाने का प्रश्न है, संभव है पहले लोगों ने राजस्थानी को मातृ-भाषा लिखाया हो परन्तु बाद में उसे कोई भाषा न मान कर हिन्दी को ही अपनी मातृ-भाषा लिखवा दिया हो, क्योंकि राजस्थानी बोली की लिपि भी हिन्दी है। हर व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

तीसरे, उन्होंने श्री सुनीत कुमार चटर्जी के विशेष मत का उल्लेख किया है जो कि बहुमत की तुलना में अल्पमत है। यह सभा बहुमत की तुलना में अ पमत की बात कैसे स्वीकार कर सकती है ?

मैं यह स्वीकार करता हूं कि राजस्थानी भाषा की अपनी सांस्कृतिक और परम्परा है, उसमें अपनी समृद्धि है, उसकी अपनी ऐतिहासिकता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि समूचे राजस्थान में केवल राजस्थानी ही बोली जाती है। वहां 19 बोलियां बोली जाती हैं तथा वे परस्पर काफी भिन्न हैं। यदि माननीय सदस्य इनमें से किसी एक बोली की बात करते तो कुछ समझ में आता। वस्तुतः जो भाषा व्यापक रूप से किसी प्रदेश में बोली जाती हो, वही उस प्रदेश की भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में गुजराती भाषा है। हालांकि उनकी लिपि भी हिन्दी के समान ही देवनागरी है। लिपि के कारण कोई भाषा अपना अस्तित्व नहीं खो बैठती है।

कुछ मित्रों ने कहा कि भारत में जितनी भी बोलियां हैं सभी को अनुसूची में शामिल किया जाये। हमारे देश में 279 बोलियां हैं। यदि यह सुझाव दिया जाता है कि सभी 279 बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

राजस्थान में रजवाड़ों के विलय से पूर्व कौनसी भाषा बोली जाती थी ? और फिर उसी भाषा को सभी रजवाड़ों की भाषा क्यों नहीं मान लिया गया ? कारण यही था कि वे सब भाषायें न होकर बोलियां थीं और भाषा तो केवल हिन्दी ही थी और इसीलिये राजस्थान ने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है।

इन परिस्थितियों में, सरकार उक्त संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती और मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

**Dr. Karni Singh (Bikaner)** : I thank those hon. Members who have supported my Bill. However, I would like to point out to those friends who say that I do not know Hindi, that I know Hindi well, I believe it would be a matter of injustice to the people of Rajasthan if Rajasthani language is not given due recognition. I Commend this Bill and request the House to pass it.

**(Hon. Member spoke in Rajasthani)**

**(माननीय सदस्य राजस्थानी भगषा म बोलें)**

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पेश किये जाने के बाद से मेरे पास राजस्थान से बहुत सारे पत्र आये हैं तथा इसी विधेयक को पेश करने के कारण मुझे चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त हुआ। मैं चुनाव जीत कर इस सभा में आया। राजस्थानी भाषा को पं० जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, मालवीय जी जैसे विशेषज्ञों ने भी स्वीकार किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने राजस्थानी अनुभाग को एक स्वायत्तशासी निकाय बना दिया है और वह निकाय बीकानेर में राजस्थान भाषा साहित्य संगम के नाम से कार्य कर रहा है तथा उसका बजट एक लाख रुपये वार्षिक है। अजमेर स्थित राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के लिये राजस्थानी को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकृति दी है तथा जोधपुर विश्वविद्यालय ने एम० ए० परीक्षा के लिये राजस्थानी तीन प्रश्न-पत्र कर दिये हैं।

मैं इस संबंध में मंत्री महोदय के तर्क से सहमत नहीं कि कैसे वर्ष 1961 की तुलना में वर्ष 1971 के दौरान राजस्थानी भाषियों की संख्या 1.47 करोड़ से घटकर केवल 20 लाख रह गई। मुझे पता चला है कि जनगणना के समय प्रायः अधिकारीगण लोगों से पूछते हैं कि वे हिन्दी भाषा जानते हैं अथवा नहीं और जब वे हां कह देते हैं तो अधिकारीगण खुद ही उनकी मातृभाषा हिन्दी लिख देते हैं। मंत्री महोदय जरा इस संबंध में जाँच करके तो देखें कि कहां पर क्या गलती है।

जहां तक बोलियों की विभिन्नता का प्रश्न है, सो दुनिया के हर कोने में यह वैभिन्य पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही भाषा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न ढंग से बोली जाती है। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी भाषा का रूप इंगलैंड में कुछ है तो अमेरिका में कुछ और तथा भारत में उससे भी भिन्न है। मैंने राजस्थानी का नाम इसलिये लिया है क्योंकि यह समूचे राजस्थान की एकता और अखण्डता की द्योतक है। इसी के लिये मैंने यह विधेयक पेश किया है, मैंने यह नहीं कहा है कि राजस्थानी को राजकीय भाषा बनाया जाये। मैंने यह तो मांग की है कि इस विधेयक पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये जो सरकार को यह बताये कि उसे क्या करना चाहिये।

जहां तक मंत्री महोदय का यह कहना है कि उन्होंने सिन्धी भाषा को इसलिये आठवीं अनुसूची में शामिल किया है कि उस बारे में सभा में एक मत था, तो मैं कहूंगा कि यदि मंत्री महोदय अपने दल के लोगों को ह्विप जारी न करें तो मेरे विधेयक को भी सर्वसम्मत समर्थन मिल जायेगा।

मैंने इस संबंध में प्रधान मंत्री से पत्राचार किया था मैंने उन्हे अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया था।

राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी और नेपाली आदि भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में मैं सरकार के मत को नहीं जानता किन्तु मेरा यह आशय नहीं है कि इन क्षेत्रीय भाषाओंसे किसी भी राज्य में हिन्दी भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े किन्तु इन भाषाओं की साहित्यिक समृद्धता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए यदि मैं अपने राजस्थानी भाषा विधेयक को वापस ले लूं तो संसद को दिए गए इस आश्वासन पर कि भारत की इन मख्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा, सरकार को विचार करना होगा ।

मेरे पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री ने बताया है कि इस आठवीं अनुसूची के बारे में बहुत भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। इस अनुसूची में किसी नई भाषा को शामिल करने से लोगों की भावनाएं भले ही सन्तुष्ट हो जाएं किन्तु इससे उस भाषा को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी अथवा नेपाली भाषाओं की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समृद्धि और महत्व को बनाए रखने के लिए किन्हीं अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अपेक्षा ऐसे रचनात्मक प्रयास कहीं अधिक मूल्यवान होंगे।

अत: प्रधान मंत्री बहुत ही व्यावहारिक रही हैं। देश की कठिनाइयों और विघटनवादी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में इस विधेयक को पेश करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। प्रधान मंत्री इस के लिए देश भर के भाषाविदों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करेंगी इस लिए मैं सभा की अनुमति से अपने इस विधेयक को वापस लेना चाहता हूं। यह समिति, जिन लोगों की भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई है, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने पेश करेंगी और मार्गोपायों का पता लगायेगी जिससे राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, पहाड़ी जैसी भाषाओं को उनका उचित भाग मिल सके और ये भाषाएं नष्ट होने से बच सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के सम्बन्ध में श्री मूल चन्द डागा के इस संशोधन कि जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाए, पर विचार किया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि डा० कर्ण सिंह को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :**

**The motion was adopted.**

**डा० कर्ण सिंह** : मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं।

## संविधान (संशोधन) विधेयक
## Constitution (Amendment, Bill)

### (अनुच्छेद 19, 22 आदि का संशोधन)

**श्री ए०के० गोपालन** (पालघाट) : में प्रस्ताव करता हूं : कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । मैंने अपने इस विधेयक में तीन संशोधनों संविधान के अनुच्छेद 19, 22 और 31(क) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

सम्पत्ति रखने के अधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है जिससे सम्पत्ति और उत्पादन के स्रोतों को केन्द्रित होने से रोका जा सके और सामान्य व्यक्ति का अहित होने से बचाया जा सके ।

जहां तक विधेयक की धारा 2 और 5 का सम्बन्ध है अनुच्छेद 19 के खण्ड 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव इसलिए किया गया है जिससे राज्य को हर प्रकार की सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया जा सके और निर्धारित सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति खरीदने और बेचने सम्बन्धी नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए । हम चाहते हैं कि उत्पादन के समस्त साधन और स्रोत धीरे धीरे राज्य के हाथों में आ जाएं और एकाधिकार को अविलम्ब समाप्त किया जाए और मुख्य और भारी उद्योगों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । इसके साथ साथ लघु और मध्यम आकार की व्यक्तिगत सम्पत्तियों के मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए और गैर सरकारी उद्यमों को नौकरशाही की उदण्डता से बचाया जा सके, क्योंकि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत सरकार अपनी शक्ति का उपयोग बड़े लोगों के हितों में तथा छोटे लोगों के विरुद्ध करती है ।

अनुच्छेद 31 के खण्ड 2 में राज्य को सार्वजनिक उपयोगों के लिए नागरिकों की सम्पत्ति अर्जित अथवा अधिग्रहण करने हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और यह उपबन्ध किया गया है कि अर्जित अथवा अधिग्रहित सम्पत्ति के बदले मुआवजे के रूप में जो राशि दी जाए वह बाजार भाव से काफी कम हो। सिद्धान्ततः तो यह अच्छा लगता है के व्यावहारिक रूप में बहुत कठिनाई आती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं सरकार के कानून गरीबों के विरुद्ध और धनवानों के लाभ के लिए बनाये जाते हैं। अतः संविधान में ऐसी व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है जिससे निर्धनों और मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों की सम्पत्ति , जो कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत आती है, की कानूनन सुरक्षा की जाए और उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ऐसा किये बिना उसे अर्जित अथवा अधिग्रहित न किया जाए।

अनुच्छेद 31 के खण्ड (3) के द्वारा राज्य विधान मण्डल असमर्थ हो जाते हैं। यदि किसी विषय में राज्य विधान मण्डल कानून बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो उस मामले में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का नियंत्रण मानना उचित नहीं है ।

समाजवाद और सामाजिक न्याय एक तरफा नहीं होते । इस के लिए पारस्परिकता का व्यवहार होना चाहिए। उत्पादन के स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व उसी स्थिति में ठीक सिद्ध हो सकता है जब कि लोगों को रोजगार का अधिकार मिले और बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को लाभ हो। किन्तु यदि राज्य में मूलभूत अनिवार्यताएं प्रदान नहीं की जाती है तो इस प्रबन्ध ग्रहण को राज्य का

पूंजीवाद माना जायेगा और इसे नौकरशाही पूंजीवाद कह सकते हैं और इससे एक विशेष वर्ग प्रभाव में आ जायेगा जिससे शोषण और पूंजीवाद अवश्य बढ़ेगा। अतः इस विधेयक में प्रस्त वित संशोधन अत्यावश्यक है। विधेयक के खण्ड 3 में मैंने कहा है कि ऐसा अधिकार दिया गया है, किन्तु जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि 16 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिया जाना चाहिए। केवल रोजगार की गारंटी ही नहीं अपितु उसे जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाना चाहिए। राज्य द्वारा बेरोजगार वृद्धों, बीमार और अपंग व्यक्तियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। उच्चतम माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। निःशुल्क डाक्टरी चिकित्सा और समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आज भी कुछ उद्योगों में एक ही प्रकार का कार्य करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों की मजूरियों में बहुत असमानता है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। छोटे शस्त्र धारण करने या रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जबकि बदमाश और शरारती लोग शस्त्र रख सकते हैं तो फिर शान्तिप्रिय और कानून को मानने वाले नागरिकों को भी हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि शान्तिप्रिय लोग बदमाशों के हाथों कष्ट और पीड़ा पाते हैं। सिख कृपाण रखते हैं किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती। अतः प्रत्येक व्यक्ति को छोटे हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो सरकार जनता में विश्वास नहीं रखती वही इस संशोधन का विरोध करेगी।

मेरे विधेयक का खण्ड 4, संविधान के अनुच्छेद 24 के बारे में है। निवारक निरोध और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ब्रिटिश राज्य के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने अनुच्छेद 22 के कुछ उपबन्धों को काला उपबन्ध कहा था। मैंने विधेयक में अनुच्छेद 22 का इस कार संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि निवारक निरोधक अधिनियम केवल शत्रुओं और उनके साथी व्यक्तियों पर ही लागू किया जाए ताकि भारतीय नागरिकों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अनेक उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर निवारक कार्यवाही की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने एक निर्णय में कहा है कि विश्व के किसी भी सभ्य देश में निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है जिससे कि व्यक्ति को अवसर दिए बिना उसे अपने अधिकार से वंचित किया जाता है।

निवारक निरोधक अधिनियम के इतिहास से पता चलता है कि इस का उपयोग सदा राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया गया है और निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस का बहुधा दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस अधिकारियों को सरकार के प्रतिद्वन्द्वी यक्तियों की सूची दे दी जाती है कि इन व्यक्तियों को निवारक निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया जाए। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। अतः संविधान में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए ताकि निवारक निरोधक अधिनियम का दुरुपयोग न किया जा सके। इसका उपयोग नागरिक के विशेषाधिकार कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में तीन साधारण संशोधन हैं। मैं समझता हूं सभी इनका समर्थन करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"(कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए)"

**श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच)** : इस विधेयक के उद्देश्य और सिद्धांत जिनके कारण यह विधेयक लाया गया है। बिल्कुल उचित है जिनसे मैं सहमत भी हूं किन्तु अन्य कई कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**

**Shri K.N. Tewari in the chair**

यह विधेयक कुछ निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार कार्यांग की स्वैच्छिक कार्यवाही से इसकी सुरक्षा और कुछ परिस्थितियों में राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण से सम्बन्धित है। सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे संविधान में अनेक उपबन्धों की कई प्रकार से व्याख्या की गई है और हमारा संविधान बहुत ही जटिल है।

संविधान के अनुच्छेद 19, 31 और 38 में प्रस्तावित संशोधन संविधान के वर्तमान उपबन्धो के अन्तर्गत आ जाते हैं। उदाहरणार्थ : किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से केवल कार्यांग की कार्यवाही द्वारा ही वंचित नहीं किया जा सकता उसकी सम्पत्ति कानून द्वारा उसे मुआवजा देकर केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिये ही अर्जित की जा सकती है। ये सभी बातें संविधान में पहले से ही अन्तनिहित हैं। इस वर्ष में कानून बहुत लचकीला और व्यापक है। अनुच्छेद 31 में बताया गया है कि मुआबजा वादयोग्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे अपनी सम्पत्ति का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाए तो इस अनुच्छेद के उपबन्ध के अन्तर्गत उसकी इस बात को रद्द किया जा सकता है। अतः उसे मुआवजा बाजार भाव पर नहीं मिलेगा। अतः इस विधेयक में दी गई सारी बातें और प्रस्तावक के उद्देश्य संसद द्वारा पारित किए गए संविधान के 24वें, 25वें और 26 वें संशोधनों द्वारा पूरे हो जाते हैं।

जहां तक अनुच्छेद 19 क का सम्बन्ध है कि सभी नागरिकों को काम का अधिकार है और 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिये, का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। किन्तु केवल कानून बनाने से स्थिति और हास्यस्पद हो जायेगी।

संविधान के निदेशक सिद्धांतों में व्यवस्था है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिये किन्तु यह बात निर्विवाद है कि 25 वर्षों के बाद भी यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जब हम प्राथमिक स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं तो क्या उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है और इसे संविधान के निदेशक सिद्धांतों में करने के बजाए मूल अधिकारों में की जानी चाहिये। ऐसा करने से स्थिति बहुत हास्यस्पद हो जायेगी। वैसे यह उद्देश्य बहुत सुन्दर है।

जहां तक समान कार्य के लिये समान वेतन के उपबन्ध का सम्बन्ध है, कार्य और वेतन संविद द्वारा या कानून द्वारा विनियमित किए जाते हैं। एक वर्ग के श्रमिक को अपने कार्य के अनुसार ही वेतन मिलता है। अतः समान कार्य के लिये वेतन में असमानता लाने से तो यह अपने आप ही गैर संवैधानिक हो जायेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध की व्यवस्था करने से स्थिति और हास्यस्पद हो जायेगी।

जहां तक निवारक निरोधक अधिनियम के उपबन्ध की संविधान से निकालने का सम्बन्ध है, यदि तोड़ फोड़ करने वालों, अपराधियों और शान्ति और व्यवस्था को भंग करने वालों को साक्ष्य न मिलने पर दण्ड न दिया जाए तो किसी भी देश का कानून उचित नहीं कहा जा सकता यदि उसमें ऐसे व्यक्तियों को नजरबन्द करने की व्यवस्था न की गई हो। निवारक निरोधक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिये अधिनियम में ही कई संरक्षण, प्रदान किए गए हैं। हमने जो आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना, अधिनियम पास किया है, उसमें अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है।

**श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गणेश घोष, जिन्होंने 1930 में चटगांव शास्त्रागार डकैती में भाग लिया था, को 1953 में निवारक निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफतार किया गया था। उन्हें केवल इसलिये गिरफतार किया गया था कि उन्होंने शास्त्रागार की डकैती में भाग लिया था।

**सभापति महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री बी० आर० शुक्ल** : जो यक्ति केवल इस बात में विश्वास रखते हैं कि क्रांति केवल बन्दूक की गोली से ही आ सकती है, उनसे निवारक निरोधक अधिनियम के उपबन्धों के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। इस विधेयक में प्रस्तावित उपबन्ध अनावश्यक है क्योंकि उनमें से अधिकांश तो संविधान में पहले से ही है। इन से अतिरिक्त संविधान में और व्यवस्था करने से कानूनी और संविधानिक कठिनाईयां अवश्य उत्पन्न हो जायेंगी।

**श्री ए० के० गोपालन** : मैं न्यायालय के निर्णय से कुछ वाक्य उल्लिखित करना चाहता हूं

**सभापति महोदय** : आपको उत्तर देने का अधिकार है और अपना उत्तर देते समय आप उनका उल्लेख कर सकते हैं।

**Shri Sajoo Pandey (Ghazipur)**: Sir, I stand to support the Bill brought forward by Shri A.K. Gopalan. One of the provisions of this Bill is that all citizens shall have the right to work and to earn a living wage after attaining the age of 16 years. I want that the words 'living wage' should be replaced by the words 'need based wage'.

The Bill also seeks to provide for free education upto Higher Secondary stage for all. Since Government have failed to provide free and compulsory Education upto primary level, it would be rediculous to talk about free education upto Higher Secondary level. In all the countries of the world there is free education but here in India education is not free. On the other hand talk of establishing the socialistic pattern of society in the country whereas on the other hand there are separate schools for the children of the rich people who give best and the highest education to their children. This is very sad state of affairs. In my opinion the hon. Minister should accept this proposed provision that there should be free education upto higher secondary level.

There had been long standing demand for same pay for the similar type of work. We have no any objection in providing the same pay for the similar type of work, in the constitution.

The Government should also have no objection in providing voting rights to all those who have attained the age of 18 years.

Every citizen will be in a position to protect himself from the holigans who possessed arms if the right to own small arms is given to him. The Minister should have no objection in accepting this provision.

The Preventive Detention Act should be withdrawn because it is against the aspirations of our constitution.

The question of property right is before the Supreme Court. If the constitutional provision so far as it related to those possessing large properties is being amended, there should be no objection to it. If it is not possible for the Government to accept the amendments as put forth in the Bill, they can be accepted with suitable modifications.

**श्री बी० बो० नायक (कनारा)** : श्री ए० के० गोपालन द्वारा लाया गया विधेयक बहुत् ही विचारणीय है। हमें अपने संविधान से अनुच्छेद 31 और 31 ख में उल्लिखित सम्पत्ति के अधिकार और जीवन निर्वाह के अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट करना होगा। हमें संविधान निर्माताओं की बुद्धिमता पर संदेह नहीं करना चाहिये। संविधान में कुछ संरक्षण का उपबंध करते समय हमने सम्पत्ति के अधिकार को संरक्षण देने का प्रयास किया है किन्तु हमने कहीं भी जीवन निर्वाह के अधिकार को संरक्षण नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सम्पत्ति के अधिकार का अर्थ एक व्यक्ति की आजीविका के अधिकार से है।

इस विधेयक में उल्लिखित उपबंध अभ्यावहारिक हैं। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का खर्च 800–900 करोड़ रुपये तक का होगा। इसी प्रकार अपंगता पैंशन अथवा अन्य भत्तों के उपबंध करने से 1000 करोड़ रुपया तक खर्च होगा। किंतु फिर भी यह स्वागत योग्य विधेयक है और इसका समर्थन किया जाना चाहिये।

****श्री जे० माता गोडर (नीलगिरी)** : इस विधेयक को सभा को स्वीकार कर लेना चाहिये।

यद्यपि सारे देश भर में जमींदारी को समाप्त कर लिया गया है, फिर भी अमीर जमींदारों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को सफलता पूर्वक अपने अनुकूल बना लिया है और सीमा से अधिक भूमि को अपने परिवार के लोगों में ही बांट लिया है।

सम्पत्ति कर देने वालों की संख्या पिछले आठ वर्षों के दौरान 30,800 से बढ़कर 1,20,000 हो गई है किन्तु इस अवधि में सम्पति कर से प्राप्त होने वाली राशि 8.26 करोड़ रुपये से बढ़कर केवल 15.62 करोड़ रुपये हुई है जिससे स्पष्ट होता है कि कानून में अथवा उसके कार्यान्वयन में कहीं गड़बड़ी है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि गलती कहां पर है।

---

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हमारे समाज का धनवान वर्ग कानून से कोई न कोई बचाव का रास्ता निकाल ही लेता है । इसीलिये प्रस्तावक की इच्छा है कि अनुच्छेद 19 में एक नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाये जिससे देश के सभी नागरिकों को जो 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों, को कार्य मिलने और जीवन निर्वाह योग्य मंजूरी मिलने का मूल अधिकार प्राप्त हो सके, उच्च मध्यम स्तर तक निशुल्क शिक्षा हो, बेरोजगारों, बूढ़ों, बीमारों, अयोग्य व्यक्तियों को राज्य से सहायता प्राप्त हो और निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके तथा समान कार्य के लिये समान वेतन मिले। इन बातों में कोई बुराई नहीं है । और संविधान में इन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

नवयुवकों के लिये सरकार पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रही है । यह बात संदेहस्पद है कि क्या सरकार भी इन लोगों को रोजगार देने में समर्थ हो पायेगी । इन परिस्थितियों में यह बात मूल अधिकार के रुप में संविधान में रखी जानी चाहिये ।

यद्यपि निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत यह बात कही गयी है कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा निशुल्क होगी परन्त स्वतंत्रता के दो दशकों के पश्चात भी यह बात मात्र स्वपन्न ही है ।

तमिलनाडु में विश्वविद्यालय से पूर्व की शिक्षा निशुल्क दी जाती है । अन्य राज्य भी तमिलनाडु के पदचिन्हों पर चल सकते हैं ।

विधेयक में एक उपबंध यह है कि छोटे शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाये । देश की रक्षा की दृष्टि से लोगों को यह अधिकर मिलना चाहिये और सरकार को इस बात से कोई भय नहीं होना चाहिये । छोटे हथियार चलाने सम्बन्धी लोगों के मन में जो भय है, वह दूर किया जाना चाहिये । जनता हमारे देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति है और उ हें शस्त्र चलाने में प्रशिक्षित होना चा हिये । इस बात को मूल अधिकारों में सम्मिलिति करने में सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिये ।

**Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon)** : This Bill provides for the amendment of the Constitution. Some of the points referred to in the Bill are already receiving the attention of the Government. It is our duty to see that we make definite and concrete progress towards those objectives and with the improvement of our resources we will be able to make definite progress.

It is our desire that the children of our country recieve free education. There can be no two opinion on this issue. The mover of the Bill want that there should be free education upto Higher Secondary Standard. The Government is seriously considering this matter.

The Bill provide that all citizens over the age of 18 years will have the right to franchise. This matter is also under active consideration of the Government.

The Bill seeks to amend clause 3 of Article 22 in so far as it concerns. The arrest or detention of a person under any law providing for preventive detention. The existing provision is necessary to deal with the threat to the territorial integrity of the country from subversive elements and fifth columnists.

It is proposed to include the right to bear small arms in the list of fundamental rights. It is difficult to understand as to what is the purpose of making this provision. We want a peaceful revolution in the country. It is not desireable to give answer to young ones so as to encourage them to take to the path of revolt.

With these words I oppose these amendments.

**Shri Hukam Chand Kachwai (Morena)**: I support many provisions contained in the Bill moved by Shri Gopalan. I doubt if the Govt. will be willing to adopt this Bill.

**श्री सांझीयान पीठासीन हुए**

**Suri Sezhiyan in the chair**

Shri Pandey was saying that education in handling the arms should not be imported because they will become fifth columnists....

**Shri R. S. Pandey** : I did not say so.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You said about training in the arms.... (*interruptions*). If he says something about poor country, he should first see himself**

**श्री के० एन० तिवारी (बेतिया)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह बात उचित नहीं है कि माननीय सदस्य, एक अन्य माननीय सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे कि **

**सभापति महोदय** : यदि इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां हों तो उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकल दिया जायेगा ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Old people who are without employment should be given old age allowances. Necessary arrangements for giving them free medical treatment should also be made.

Reference has also been made about the right of equal pay for equal work. It is not understood as to why the Government is not thinking in terms of giving equal pay for equal work.

It is suggested that the right to exercise franchise should be given to citizens of 18 years of age. The Government is perhaps fearing that it might be thrown out of powers if this right is granted. There is no reason for not granting them the right of franchise. Government should accept this suggestion.

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

**Expunged as ordered by the Chair.**

It is also suggested that permission be given to have small arms. Military training either through N.C.C. or any other agency should be imported to all able bodied persons who will be able to face external aggression or any other emergency.

A reference regarding fixation of land ceiling has also been made. It is suggested that assessment be first made about the actual requirement of each family and one should not be allowed to hold more than his requirement.

**Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad)** : This Bill is a mixture of the views of CPM and Jan Sangh. If provision is made for old age pension, no body will save a single pie or insure himself. It will be a dangerous step if people are allowed.

**सभापति महोदय** : क्या इन्हें और समय चाहिये ?

**श्री एम० रामगोपाल रैडी** : मैंने तो अभी शुरु किया है ।

**सभापति महोदय** : तो ये अगले दिन जारी रखें ।

**इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 26 फरवरी, 1973/7 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, February 26, 1973/Phalguna 7, 1894 (Saka)**

M/JDILSS—490—23-5-73—GIPS